मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

कन्या हाई स्कूल प्रारंभ किया जाना

1. **(*क्र. 380) श्री सचिन यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी व कन्या हाई स्कूल प्रारंभ करने के क्या मापदण्ड हैं, उनके नियम व प्रक्रिया क्या है ? जानकारी दें । (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा तहसील कसरावद की ग्राम पंचायत लाहोरी में कन्या हाई स्कूल एवं ग्राम लेपा में हाई स्कूल प्रारंभ करने हेतु जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को लिखे गए कितने कितने पत्र कब-कब प्राप्त हुए और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यवाही संबंधित विभाग या शासन स्तर पर लंबित क्यों है और बालिकाओं के अध्ययन हेतु कन्या स्कूल एवं हाई स्कूल प्रारंभ करने के लिए शासन व संबंधित विभाग संवेदनशील क्यों नहीं हैं ? कारणों का उल्लेख करें । (घ) बालिकाओं के अध्ययन हेतु ग्राम पंचायत लाहोरी में कन्या हाई स्कूल एवं ग्राम लेपा में हाई स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति व प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? समय-सीमा बतायें । नहीं तो कारणों का उल्लेख करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** । कन्या शाला उन्नयन के पृथक से मापदण्ड निर्धारित नहीं है । (ख) जिला कलेक्टर को पत्र क्रमांक 135 दिनांक 12-07-2014 एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र दिनांक 22-07-2014 प्राप्त हुए हैं । कन्या शाला लाहोरी एवं शासकीय माध्यमिक शाला लेपा उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने से कार्यवाही नहीं की जा सकी । (ग) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । शालाओं का उन्नयन सह शिक्षा में किया जाता है जिसमें बालिकाएं भी लाभान्वित होती है । अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' के प्रकाश में उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "एक"

अमानक और घटिया स्तर की औषधियों की आपूर्ति

2. **(*क्र. 59) श्री मुकेश नायक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अमानक और

घटिया स्तर की औषधियों की आपूर्ति तथा मरीजों को आपूर्ति के संबंध में शासन को वर्ष 2013-14 और 2014-15 में (दिसम्बर 2014 तक) कुल कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) औषधियों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये क्या उपाय किये जाते हैं और इन उपायों में क्या कमी है, जिन्हें दूर करने के लिये शासन प्रयास कर रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में अमानक और घटिया स्तर की औषधियों की आपूर्ति तथा मरीजों को आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2013-14 और 2014-15 में दिसम्बर 2014 तक विभाग को किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई, राज्य स्तर की प्रयोगशाला में परीक्षण पश्चात निम्नानुसार औषधियां अमानक होने की शिकायत निम्नानुसार प्राप्त हुई :-

क्र	क्रय वर्ष	अमानक औषधि	फर्म का नाम
01	2012-13	जिंक सल्फेट टेबलेट	मेसर्स मेडिपोल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली
		जिंक सल्फेट ओरल संस्पेंशन	
		पोवीडिन आयोडिन लोशन	मेसर्स रिडवर्ग फार्मास्यूटिकल्स लि.
02	2013-14	सिफलॉक्सिन ओरल सस्पेंशन ड्राई सिरप	मेसर्स मेक्समेड लाईफ साईसेस लि., उत्तराखण्ड
		सालब्यूटोमाल सल्फेट	मेसर्स एडाइड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
		मेटोनिडेजॉल टेबलेट	मेसर्स ला-केमिको प्रा. लि.
		मल्टी विटामिन टेबलेट	मेसर्स विलक्योर रेमिडिज

अमानक पायी गई दवाओं की निर्माता फर्मों के विरूद्ध दवा नीति 2009 एवं निविदा में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई एवं इन फर्मों की धरोहर राशि राजसात की गई तथा निर्माता कंपनी को संबंधित दवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया । (ख) औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में शासन की नीति स्पष्ट है । औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु WHO Gmp प्रमाण पत्र प्राप्त निर्माताओं से ही औषधियां क्रय की जाती है । दवाइयों की गुणवत्ता परीक्षण का कार्य समय पर किया जाता है । औषधियों के प्रदाय के पूर्व प्रदायकर्ता द्वारा देयक के साथ स्वयं की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्धारित एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है । इस रिपोर्ट के न होने पर देयकों का भुगतान नहीं किया जाता है । साथ ही चिकित्सा संस्था द्वारा भी ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा सेम्पल लेकर गुणवत्ता परीक्षण राज्य स्तर की प्रयोगशाला में करवाया जाता है । औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला चिन्हित हैं ।

केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं

3. **(*क्र. 627) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में विभाग की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्र एवं राज्य शासन की संचालित हैं ? क्या उक्त योजनाओं के संचालन का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराया है ? (ख) जिला चिकित्सालय गुना एवं विधानसभा क्षेत्र बमोरी के अंर्तगत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों एवं स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने रिक्त पद हैं एवं रिक्त पद कब तक और कैसे भरे जायेंगे ? (ग) गुना जिले में आगामी वर्ष में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवीन खोले जाने की योजना है या गत तीन वर्षों में कोई स्वीकृत किया है ? क्या गुना जिले में विभाग में कोई स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्माण कार्य चल रहे हैं, कौन-कौन से कब तक पूर्ण होंगे बतायें ? (घ) गुना जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों में गत तीन वर्षों में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कौन सी स्वीकृत योजनाएं बंद पड़ी हैं, कब चालू होगी एवं उक्त अस्पतालों में गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी दवाइयां मुफ्त दी गईं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) गुना जिले में स्वास्थ्य विभाग की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे केन्द्र एवं शासन की संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । जी हाँ । (ख) प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** । रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है । (ग) प्रश्नांश की जानकारी वर्तमान मे निरंक है । शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है** । (घ) प्रश्नावधि से गुना जिले के स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों में केन्द्र एवं राज्य शासन की कोई भी योजना बंद नहीं है । जिले के स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में गत तीन वर्षों में प्रावधान अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** अंकित दवाइयाँ नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

छात्रावास/आश्रमों में पेयजल, विद्युत, शौचालय की व्यवस्था

4. **(*क्र. 1930) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग के जिला उमरिया, शहडोल, अनूपपुर विकासखंडवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य छात्रावास आश्रमों के नाम, स्वीकृत छात्र एवं छात्राओं की संख्या, छात्रावास प्रारंभ होने का वर्ष सहित विवरण दें ? क्या छात्रावास/आश्रम स्वयं के भवन में संचालित हैं या किराये से लिया गया है ? यदि किराये से लिया गया है, तो मकान मालिक का नाम, पता, प्रति माह किराये की राशि, कुल कमरों की संख्या एवं साईज सहित जानकारी दें ? (ख) क्या छात्रावास/आश्रमों में पेयजल, विद्युत, शौचालय की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो किन-किन छात्रावासों/आश्रमों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? नाम सहित जानकारी दें । (ग) प्रत्येक छात्रावास बालक/बालिका/आश्रम/आश्रम शालाओं में भोजन हेतु डायनिंग टेबल की व्यवस्था है ? कितने छात्रावासों में डायनिंग टेबल की व्यवस्था नहीं है ? उन छात्रावासों के नाम जिलेवार एवं विकासखंडवार दें ।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) शहडोल संभाग अन्तर्गत जिला उमरिया, शहडोल, अनूपपुर की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है** ।

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कोचिंग की सुविधा

5. **(*क्र. 516) श्री जतन उईके :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में छात्रों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि हाँ, तो उक्त सुविधा कब से उपलब्ध कराई जा रही है एवं इसके लिये कोई आदेश जारी किए गये हैं ? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) क्या उक्त सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रावासों में निवासरत बच्चों को भी उपलब्ध कराई जा रही है ? (ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत छात्र/छात्राओं को उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी तथा कब तक आदेश जारी कर दिए जायेंगे ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । वर्ष 2008 से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हाँ । (ग) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "दो"

विस्थापितों को मुआवजा एवं भू-अधिकार

6. **(*क्र. 1759) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम रैपुरा चनाटी मौटा चौकन ग्रा.पं. राजगढ़ वि.ख. राजनगर से लोग विस्थापित हुए ? (ख) कितने लोगों को मुआवजा एवं जमीन दी गई ? (ग) कितने लोग आज तक भूमि स्वामी नहीं बने, कब तक उन्हें भूमि स्वामी बनाया जायेगा ? (घ) यदि प्रश्न दिनांक तक भूमि स्वामी अधिकार नहीं दिया गया, तो क्यों ? दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) 123 भू-स्वामी खातेदारों को उनकी परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि एवं उक्त खातेदारों में से ही ग्राम में निवास करने वाले पात्र 165 परिवारों को जमीन दी गई है । (ग) 165 परिवार भूमि स्वामी नहीं बन पाये है । वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रचलन में है । डि-नोटिफिकेशन होने के उपरांत राजस्व पट्टे विस्थापित परिवारों को प्रदाय किये जायेंगे । विस्थापित 165 परिवारों को जिन्हें 02 हैक्ट. वन भूमि आवंटित की गई है, उन परिवारों को वन भूमि के अस्थाई भू-अधिकार प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर द्वारा प्रदाय किये गये हैं, ताकि विस्थापित परिवारों को

शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकें । (घ) वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन हेतु डि-नोटिफिकेशन की कार्यवाही की जा रही है । भूमि स्वामी अधिकार देने की कार्यवाही की प्रक्रिया लंबी व विस्तृत होने से कोई दोषी नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

ग्वालियर स्थित ट्रेनिंग केम्प में प्रशिक्षण पर व्यय

7. **(*क्र. 1121) श्री आरिफ अकील :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 02 से 08 जनवरी 2015 को दिल्ली में आयोजित स्कूल स्तरीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश/भोपाल के चयनित खिलाड़ियों द्वारा ग्वालियर स्थित ट्रेनिंग केम्प में प्रशिक्षण प्राप्त कर भाग लिया था ? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उक्त प्रतियोगिता के नाम पर कितनी राशि किस-किस कार्य (खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खान-पान, रहन एवं आवागमन इत्यादि) पर व्यय हुई ? (ग) प्रश्नांश (क)-(ख) के परिप्रेक्ष्य में भोपाल के खिलाड़ियों को ग्वालियर प्रशिक्षण हेतु किन-किन प्रशिक्षकों द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय कर लाया तथा ले जाया गया और यह भी अवगत करावें कि जो खिलाड़ी बगैर प्रशिक्षक के ट्रेनिंग केम्प ग्वालियर गये, उन्हें आवागमन, रहने एवं भोजन के नाम पर कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब व किसके द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । (ख) प्री-नेशनल कोचिंग केम्प हेतु कुल 51 खिलाडियों के लिए रू. 65,690/- तथा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, दिल्ली में 43 खिलाडियों और 06 आफिशियल्स के सम्मिलित होने के लिए रू. 1,64,180/- इस प्रकार कुल राशि रू. 2,29,870/- जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर को आवंटित किए गए । व्यय विवरण **संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है** । (ग) भोपाल संभाग के 06 खिलाडियों को ग्वालियर प्रशिक्षण हेतु ले जाने एवं व्यय/भुगतान राशि का विवरण **संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है** । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "तीन"

विद्युत/सौर ऊर्जा उपकरणों का क्रय

8. **(*क्र. 909) श्री राम सिंह यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में वाटर हीटर एवं सौर ऊर्जा लाईट तथा इनवर्टर क्रय किए गए थे ? यदि हाँ, तो उक्त सामग्री को क्रय करने हेतु टेण्डर विज्ञप्ति किन-किन समाचार पत्रों में कब-कब प्रकाशित की गई ? (ख) उक्त सामग्री प्रदाय हेतु किन-किन फर्मो के कौन-कौन से टेण्डर प्राप्त हुए ? टेण्डर तुलना पत्रक अनुसार किन-किन फर्म के किस-किस सामग्री

के टेण्डर किनके द्वारा कब स्वीकृत किए गए ? संलग्न कर जानकारी दें । (ग) टेण्डर स्वीकृति अनुसार किन-किन फर्मों को सप्लाई ऑर्डर कब-कब जारी किए गए ? संलग्न कर जानकारी दें । (घ) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री प्रदाय हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई और न ही टेण्डर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं, तो समाचार पत्रों की प्रति संलग्न कर जानकारी दें ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** । टेंडर की स्वीकृति क्रय समिति द्वारा दी गई है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है** ।

<u>श्रमिकों को मुआवजा एवं रोजगार</u>

9. **(*क्र. 1380) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रिज्म सीमेंट मनकहरी (रामपुरबघेलान) में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? इसमें कितने फैक्ट्री प्रबंधन ने नियुक्त किये हैं और कितने श्रमिक ठेका प्रथा से कार्य कर रहे हैं ? फैक्ट्री प्रबंधन एवं ठेका प्रथा मिलाकर कुल कितने श्रमिक कुशल/अर्द्धकुशल हैं ? (ख) पिछले तीन वर्षों में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ठेका प्रथा मिलाकर कितने श्रमिकों की कार्यरत रहते हुये दुर्घटना में मृत्यु हुई है, मृत श्रमिकों से जो कार्य लिया जा रहा था, क्या वह उस कार्य हेतु कुशल श्रमिक थे या नहीं ? मृत श्रमिकों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया और आश्रितों को नौकरी पर रखा गया या नहीं ? (ग) फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कितने व्यक्तियों को स्थानीय लोगों को जमीन के बदले रोजगार पर रखा गया है तथा कितने बाहरी व्यक्तियों को रखा गया है ? सूची सहित उपलब्ध करावें । (घ) क्या शासन द्वारा स्थानीय लोगों को पचास प्रतिशत रोजगार में रखने हेतु फैक्ट्री प्रबंधनों को निर्देश जारी किये गये हैं, जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करायें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) प्रिज्म सीमेंट मनकहरी में कुल 3600 श्रमिक कार्यरत है । इनमें से फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा 1035 श्रमिक नियोजित है तथा 2565 ठेका श्रमिक हैं । उक्त में से 1003 कुशल तथा 289 अर्ध कुशल श्रमिक है । **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है, जिसमें श्रमिकों की मृत्यु हुई हो । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । **(ग)** श्रम कानूनों के अंतर्गत जमीन के बदले रोजगार दिये जाने संबंधी प्रावधान नहीं होने से श्रम कार्यालय द्वारा यह जानकारी संधारित नहीं की जाती है । **(घ)** श्रम कानूनों के अंतर्गत स्थानीय लोगों को रोजगार देने संबंधी प्रावधान नहीं होने से श्रम विभाग द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं ।

शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधा

10. **(*क्र. 1158) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय मंदसौर सहित जिले के समस्त चिकित्सालयों में कितने कर्मचारी होने चाहिये तथा वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है ? (ख) शहरी चिकित्सक एवं ग्रामीण चिकित्सक के वेतन में क्या अंतर है ? (ग) कस्बा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक की दिन तथा रात्री ड्यूटी की अलग-अलग व्यवस्था रखी गई है या नहीं ? यदि रखी गई है तो वर्तमान में किस चिकित्सक की दिन की ड्यूटी है तथा किस चिकित्सक की रात्रि ड्यूटी है, नाम बतावें ? (घ) ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को रात्रि में शासकीय चिकित्सक द्वारा चेक कर इलाज करने की क्या व्यवस्था है या नहीं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है** । (ख) शहरी/ग्रामीण चिकित्सक के मूल वेतन में कोई अंतर नहीं है । (ग) जी हाँ, जिला चिकित्सालय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है** । ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सक दिन में ड्यूटी पर चिकित्सीय कार्य करते है तथा रात्रि में इमरजेंसी की स्थिति में ऑन कॉल मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है । (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार ।

ठेका श्रमिकों का शोषण रोकने हेतु शर्तों का उल्लंघन

11. **(*क्र. 560) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कामधेनु सिक्युरिटी सर्विसेस, इंदौर के द्वारा जिला चिकित्सालय सतना/पन्ना/उमरिया/सिंगरौली में कितनी संख्या में साफ-सफाई का ठेका वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लिया है ? अगर हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ठेके के लिये न्यूनतम शर्तें शासन ने रखी थी एवं कार्यादेशों की एक-एक प्रति जिलेवार/शर्तवार/कार्यादेशवार उपलब्ध करावें ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ठेका श्रमिकों का शोषण रोकने, ठेकेदारों को लिखित में (टेंडर में) निर्देश दिऐ थे कि सफाई कर्मचारियों का बैंक एकाउन्ट के माध्यम से ई-पेमेंट किया जाये ? पी.एफ. एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) की कटौती हर माह उनके पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. के एकाउन्ट में जमा किया जाये ? न्यूनतम योग्यता कक्षा आठवीं पास होना चाहिए ? क्या ये तीनों शर्तों को कामधेनु द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में चारों जिला चिकित्सालयों में पूरी की गई ? अगर हाँ, तो दस्तावेज प्रस्तुत करें । (ग) प्रश्नांश (ख) की पूर्ति न करने पर क्या कार्यवाही राज्य शासन उक्त कंपनी के विरूद्ध कब तक करेगा ? बिन्दुवार/नियमवार विवरण दें ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) कामधेनु सिक्युरिटी सर्विसेस, इन्दौर नामक किसी फर्म को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जिला चिकित्सालय सतना/पन्ना/उमरिया/सिंगरौली की साफ-सफाई का ठेका नहीं दिया गया । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की जाँच

12. **(*क्र. 1053) श्रीमती रेखा यादव :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अक्टूबर 2014 में जारी आदेशानुसार श्रम विभाग छतरपुर एवं श्रम विभाग बैतूल ने जिले में कार्यरत किस वन परिक्षेत्र में संचालित कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कार्यरत वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा चौकीदारों को देय भुगतान की जाँच प्रश्नांकित तिथि तक की गई ? कितनी समितियों के भुगतान की जाँच किया जाना शेष है ? (ख) राज्य में प्रचलित किस कानून, किस नियम, किस आदेश, किस निर्देश, किस संकल्प में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किए जाने की बजाय मानदेय की राशि का निर्धारण कर मानदेय का भुगतान चौकीदारों को दिए जाने का अधिकार रखती है ? (ग) श्रमायुक्त द्वारा अक्टूबर 2014 को जारी आदेश या निर्देश के बाद भी छतरपुर एवं बैतूल जिले में चौकीदारों को दिए गए मानदेय भुगतान की जाँच प्रश्नांकित तिथि तक भी पूरी कर प्रकरण न बनाए जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं ? (घ) कब तक श्रम विभाग छतरपुर एवं बैतूल जिले में कार्यरत सभी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में चौकीदारों को किए गए मानदेय भुगतान की जाँच कर प्रकरण बना लेगा समय-सीमा सहित बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) श्रमायुक्त के पत्र के निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी छतरपुर द्वारा वन विभाग से छतरपुर जिले मे कार्यरत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे है, किंतु अभी तक वन विभाग द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई है । अतः निरीक्षण नहीं किये जा सके हैं । श्रम पदाधिकारी बैतूल द्वारा जिले में कार्यरत बैतूल परिक्षेत्र में 7, चिंचैली में 6, ताप्ती रेंज में 5, शाहपुर में 1, रानीपुर में 1, निरीक्षण संपादित किये गये हैं तथा 623 समितियों के भुगतान की जाँच किया जाना शेष है । **(ख)** किसी श्रम कानून में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाने संबंधी प्रावधान नहीं है । सदस्यों के मानदेय का निर्धारण श्रम विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । अतः जानकारी श्रम विभाग से संबंधित नहीं है । **(ग)** वन विभाग, छतरपुर से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण नहीं किया जा सका है । बैतूल जिले में स्थित शेष समितियां दूरस्थ वनांचल में होने तथा श्रम कर्यालय में अल्प अमला होने से समितियों के निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है तथापि कार्यवाही निरंतरित है । **(घ)** प्रश्नांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है ।

अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियमों की अवहेलना

13. **(*क्र. 1418) श्री तरूण भनोत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महर्षि विद्या मंदिर क्र. 1 नर्मदा रोड़ जबलपुर में अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के तहत कितने गरीब छात्रों को नर्सरी, एलकेजी एवं कक्षा प्रथम में प्रवेश दिया गया है ? जानकारी पृथक-पृथक कक्षावार लक्ष्य उपलब्धि के अनुसार वर्ष 2012 से 1 फरवरी 2015 तक बताई जावे ? (ख) क्या यह सही है कि वर्णित (क) के संस्था प्राचार्य द्वारा गरीब बच्चों को वर्णित (क) की योजना से वंचित कर निर्धारित छात्र प्रवेश संख्या से कम बच्चों को प्रवेश देकर शासन के नियमों को अनदेखा किया जा रहा है व गरीब छात्रों के अभिभावकों से अभद्रता की जा रही है, जिसकी शिकायत भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन एवं स्कूल प्रशासन को की गई थी ? पूर्ण जानकारी दी जावे । (ग) यदि वर्णित (ख) सत्य है, तो स्कूल प्रशासन संबंधित संस्था एवं संस्था प्राचार्य पर क्या कार्यवाही करेगा ? क्या संस्था की मान्यता समाप्त करने हेतु कार्यवाही की जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है** । (ख) जी हाँ, विगत सत्रों में निर्धारित सीट संख्या के मान से लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नहीं दिये जाने संबंधी जाँच प्रचलन में हैं, संबंधित विद्यालय/प्राचार्य के द्वारा किसी से अभद्रता करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है** । (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य द्वारा बनाए गए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में विहित प्रावधान के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

परिशिष्ट - "चार"

अग्रेषित शिकायत की जाँच एवं कार्यवाही

14. **(*क्र. 1361) श्री राजेश सोनकर :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय मंत्रीजी ने अपने पत्र क्र. 1491 दि. 04.07.2014 द्वारा एक शिकायत की जाँच बाबत लिखा था, जिसे संचालक लोक शिक्षण ने अपने पत्र क्र. स्था/सत./सी./इंदौर/2014/26/400 दि. 10.7.14 द्वारा संभागायुक्त इंदौर को प्रेषित किया था ? हाँ तो जाँच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई, उसमें क्या तथ्य पाये गये अगर अधिकारी दोषी पाया गया तो दि. 31.1.15 तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कारण बतावें यह जाँच रिपोर्ट की सूचना मंत्री जी को कब प्राप्त हुई अगर नहीं प्राप्त हुई तो कौन अधिकारी विलंब करने का जिम्मेदार है ? (ग) मंत्रीजी द्वारा अग्रेषित शिकायत के निष्कर्ष मंत्रीजी को भेजने का प्रावधान है अथवा नहीं ? अगर नहीं भेजी तो उस अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । संभागायुक्त कार्यालय आयुक्त इंदौर संभाग द्वारा डॉ. के.के. पाण्डे संयुक्त संचालक, संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग इंदौर से जाँच कराई जाकर जाँच प्रतिवेदन भेजा गया जो कि दिनांक ०६.०८.२०१४ को संचालनालय लोक शिक्षण में प्राप्त हुआ । जाँच प्रतिवेदन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** तत्कालीन संयुक्त संचालक श्री एस.बी. सिंह शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने के कारण जाँच प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु श्री सिंह के पैतृक विभाग उच्च शिक्षा विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है । (ख) एवं (ग) श्री एस.बी. सिंह का मूल विभाग उच्च शिक्षा विभाग होने के कारण जाँच रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रेषित की गई है । उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है । निर्णय लिये जाने के बाद अवगत कराना संभव हो सकेगा । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

अस्पताल में उपचाररत कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था

15. **(*क्र. 442) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर के महाराजा यशवंतराव (एम.वाय.) अस्पताल में वार्ड में घुसकर एक कैदी की हत्या की गई थी ? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की घटना अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है ? इस घटना में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये व किस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) ऐसी घटना पुन: न हो इस हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा एम.वाय. अस्पताल में कैदियों के वार्ड हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । **(ख)** जी नहीं । इलाज हेतु आने वाले कैदियों की सुरक्षा हेतु जेल प्रशासन सुरक्षाकर्मी प्रहरी नियुक्त करता है । घटना के दिन ड्यूटी में तैनात प्रहरी यशपाल को दोषी पाया गया था एवं उसे निलंबित किया जा चुका है । **(ग)** एम.वाय. चिकित्सालय इन्दौर में नवीन कैदी वार्ड बनाया जा रहा है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है । उपचार के लिये लाए जाने वाले कैदियों की सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल पदस्थ किये जाने हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा स्थानीय पुलिस को लिखा गया है ।

निरीक्षण में गाईडलाईन अनुसार व्याप्त कमियाँ

16. **(*क्र. 1467) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में निजी अस्पतालों की कितनी संख्या है, नामवार उल्लेख करें ? स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों का निरीक्षण वर्ष में कितनी बार किया जाता है ? 2014 में विभाग के किस-किस अधिकारी ने निजी अस्पताल का निरीक्षण किया ? निरीक्षण के दौरान किस-किस अस्पताल में विभाग की गाईड लाईन के अनुसार क्या कमियां पाई गई ? क्या-क्या कार्यवाही संबंधित अस्पताल या प्रबंधन पर की गई, नाम दिनांक सहित बतायें ?

(ख) क्या विभाग की गाईड लाईन के अनुसार निजी अस्पतालों में ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ रखे जाने की बाध्यता है ? हाँ, तो क्या विभाग की गाईड लाईन के अनुसार निजी अस्पतालों में वर्तमान में ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ निजी अस्पतालों में कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो अस्पताल के अनुसार पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या नाम सहित बतायें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) ग्वालियर जिले में 177 नर्सिंग होम पंजीकृत है । जिले में पंजीकृत नर्सिंग होम (निजी चिकित्सालयों) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** अनुसार है । म.प्र. उपचार्यागृह तथा रूपोपचार संबंधी स्थापनायें अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण हेतु समयावधि निर्धारित नहीं है तथापि आवश्यकतानुसार निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जाता है । वर्ष 2014 में विभागीय अधिकारियों द्वारा निजी चिकित्सालयों के निरीक्षण एवं पाई गई कमियों सहित की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार है । (ख) जी नहीं मापदण्ड अनुसार विहित योग्यताधारी पैरामेडिकल रखे जाना अनिवार्य है । केवल ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ जो अर्हता प्राप्त नहीं है, को नहीं रखा जा सकता । निजी चिकित्सालय का पंजीयन एवं नवीनीकरण उनके चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारीवृंद जिसमें चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ भी सम्मिलित है, की उपलब्धता के पश्चात ही किया जाता है, तदनुसार पंजीकृत निजी चिकित्सालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर स्टाफ कार्यरत है । निजी चिकित्सालय में पदस्थ पैरामेडिकल स्टाफ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है ।

स्वरोजगार/ऋण हेतु योजनाएं

17. **(*क्र. 1690) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है ? कृपया सभी योजनाओं की जानकारी दें । (ख) अनु.जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने के क्या-क्या मापदण्ड हैं तथा इन योजनाओं के तहत कितनी राशि तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये वर्तमान में दो योजनायें संचालित है (1) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ख) अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये संचालित योजनाओं के मापदण्ड एवं योजनाओं के तहत ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण राशि की सीमा का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है** ।

स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

18. **(*क्र. 1962) श्रीमती अनीता सुनील नायक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने डॉक्टरों के पद एवं पेरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त हैं ? केन्द्रवार, पदवार बतावें । (ख) क्या वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में विशेषज्ञ के पाँच पद रिक्त हैं, अगर हाँ, तो इन पदों की पूर्ति की जायेगी तो कब तक और नहीं तो क्यों ? (ग) क्या पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पदों पर डॉक्टरों एवं पेरामेडिकल स्टाफ की पदस्थापना की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है** । (ख) जी हाँ । प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में शतप्रतिशत पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई है । पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है । (ग) जी हाँ, विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "पांच"

सी.टी. स्केन हेतु अधिकृत सेन्टर

19. **(*क्र. 1843) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री अमित महाजन पुत्र श्री रामनजर महाजन निवासी आलमपुर जिला भिण्ड, जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर में कब से कब तक चिकित्सा हेतु भर्ती रहे ? बताएं । (ख) श्री अमित महाजन का सी.टी. स्केन किस डॉक्टर द्वारा कहाँ कराया गया ? ग्वालियर में सी.टी. स्केन हेतु कौन-कौन सा सी.टी. स्केन सेन्टर अधीक्षक/डीन/शासन द्वारा अधिकृत है ? क्या अमित महाजन का सी.टी. स्केन अधिकृत सी.टी. स्केन सेन्टर से न कराया जाकर अन्य सेन्टर पर कराया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है कि डॉ. आदित्य श्रीवास्तव न्यूरो सर्जन एवं सहायक प्राध्यापक न्यूरो सर्जरी विभाग जी.आर. मेडिकल कॉलेज ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में अमित महाजन का सी.टी. स्केन रिपोर्ट नार्मल होना तथा सी.टी. स्केन की रिपोर्ट एवं फिल्म हॉस्पिटल के रिकार्ड में उपलब्ध न होने की रिपोर्ट दी है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि जे.ए. हॉस्पिटल में कुछ व्यक्ति फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाकर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के कार्य में संलग्न हैं ? यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों को दण्डित किया जाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) श्री अमित महाजन पुत्र श्री रामनजर महाजन निवासी आलमपुर जिला भिण्ड दिनांक 03/12/2014 से 07/12/2014 (जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर) में भर्ती रहे । (ख) श्री अमित महाजन का सीटी स्केन डॉ. आदित्य श्रीवास्तव द्वारा कराया गया । मरीज बी.पी.एल. एवं दीनदयाल श्रेणी में नहीं था । सामान्य श्रेणी के मरीजों के लिये अधीक्षक/डीन/शासन द्वारा कोई भी सेंटर अधिकृत नहीं है । केवल बी.पी.एल. एवं दीनदयाल योजना के मरीजों के लिये विद्या सीटी स्केन एवं गालव सीटी स्केन ग्वालियर में पूर्व से सत्र 2007-08 से अधिकृत है । (ग) चूंकि चिकित्सालय में सी.टी. स्केन मशीन समान्य श्रेणी के मरीजों के लिये अधिकृत ही नहीं है । इसलिये हॉस्पिटल के रिकार्ड में सीटी स्केन रिपोर्ट/फिल्म होना संभव ही नहीं है । (घ) इस प्रकार की कोई शिकायत मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में प्राप्त नहीं हुई है । यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उच्च स्तरीय जाँच समिति बनाकर जाँच उपरांत दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

<u>निर्माण कार्यों के लिए राशि का भुगतान</u>

20. **(*क्र. 1559) श्री मधु भगत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग बालाघाट को वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों, आश्रमों, प्राथ.माध्य. हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों के मरम्मत कार्य, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, मूत्रालय, शौचालय तथा अन्य कार्यों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या और कौन-कौन से कहाँ-कहाँ निर्माण कार्य कराये गए हैं ? उक्त निर्माण कार्य के लिये विभागीय सहायक यंत्री, उपयंत्री से कार्यों का प्राक्कलन सत्यापन एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार ही कार्य स्वीकृत किये गए हैं ? क्या कार्य की पूर्णता के आधार पर विभागीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्रियों से मापांक कराया गया ? यदि कराया गया तो निर्माण कार्यों की संपूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बतायें कि भुगतान प्रक्रिया में भुगतान राशि चैक द्वारा दिए गए हैं या पूर्णावंटित हैं या केश दिया गया है, जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट को वित्तीय वर्ष 2013-14 में हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु राशि रूपये 431.87 लाख मूत्रालय-शौचालय निर्माण हेतु राशि 13.50 लाख रूपये प्रदाय किये गये है । प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के मूत्रालय-शौचालय निर्माण हेतु राशि रूपये 19.17 लाख रूपये प्रदाय किये गये है । अन्य कार्यों के लिये राशि निरंक है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के सभी कार्यों हेतु राशि निरंक है । प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के मूत्रालय- शौचालय के निर्माण हेतु राशि रूपये 68.55 शेष अन्य कार्यों हेतु राशि निरंक है । (ख) जिले में प्राप्त राशि से कराये गये निर्माण कार्यों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । उक्त निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की गई है । कार्य की पूर्णता के आधार पर विभागीय उपयंत्री एवं सहायक

यंत्रियों से मापांक कराया गया है । हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के कार्य का भुगतान संबंधित एजेंसी को ई-पेमेंट द्वारा किया गया है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में निर्माण ऐजेंसी के खातों में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से हस्तांतरित किये गये है ।

परिशिष्ट - "छः"

शालाओं में पेयजल/विद्युत/रिक्त पदों की वैकल्पिक व्यवस्था

21. **(*क्र. 1683) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखण्डों के अंतर्गत आने वाले समस्त प्राथ. एवं माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल के क्या-क्या स्त्रोत हैं ? यदि कोई स्थाई स्त्रोत किसी संस्था में नहीं है, तो पेयजल की कैसे व्यवस्था की जाती है ? (ख) शाजापुर जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में साफ-सफाई एवं सुरक्षा के लिए क्या शालाओं में भृत्य एवं चौकीदार के पद सृजित हैं, जिसमें से कितने पर भृत्य एवं चौकीदार पदस्थ हैं, रिक्त पदों वाली कितनी संस्थाएं हैं, यदि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भृत्य एवं चौकीदार के पद सृजित नहीं हैं तो क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखकर भृत्य एवं चौकीदार की व्यवस्था की जावेगी, कब तक ? (ग) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्युत कनेक्शन लिए जायेंगे अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था जैसे सौर ऊर्जा से बिजली की व्यवस्था की जावेगी, क्या आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शाजापुर जिले के कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखण्डों के अंतर्गत आने वाले समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प, कुआँ एवं टेपवाटर से संस्था अनुसार पेयजल के स्त्रोत हैं । सूची संलग्न प्राथमिक विद्यालय **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**, माध्यमिक विद्यालय **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**, जिन संस्थाओं में स्थाई स्त्रोत नहीं है उन संस्थाओं में ग्राम के कुऑ अथवा हैण्डपम्प से पेयजल की व्यवस्था की जाती है । स्थाई/अस्थाई व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

शालाएँ	विकासखण्ड						कुल योग कॉलम 4 +7
	कालापीपल			शुजालपुर			
	स्थाई	अस्थाई	योग	स्थाई	अस्थाई	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक	160	15	175	191	09	200	375
माध्यमिक	93	11	104	100	2	102	206
योग	253	26	279	291	11	302	581

(ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । किसी भी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में चौकीदार का पद सृजित नहीं है । दैनिक वेतन पर चौकीदार रखे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्युत कनेक्शन लिए जाने हेतु वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है । भविष्य में राशि प्राप्त होने पर विद्युत व्यवस्था की जावेगी ।

छात्रावासों हेतु राशि का आवंटन एवं सामग्री क्रय

22. **(*क्र. 1016) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) सागर जिले में छात्रावासों के लिये विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन राशि से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या सामग्री फर्म/संस्थाओं से क्रय की गई ? सामग्री क्रय करने में शासन के नियमों का पालन किया जा रहा हैं या नहीं ? (ग) सागर जिले में विभाग को प्राप्त आवंटित राशि में से कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक शेष है विभाग द्वारा उक्त राशि का उपयोग किस-किस सामग्री क्रय करने में किया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सागर जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदाय आवंटन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जिला सागर में वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा छात्रावास में उपयोग में आने वाली सामग्री क्रय नहीं की गई है । सामग्री का क्रय पालक शिक्षक समिति के माध्यम से किया जाना है । (ग) सागर जिले में वर्तमान में सामग्री पूर्ति मद में आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण सामग्री क्रय किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "सात"

100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन का निर्माण

23. **(*क्र. 1310) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक 649) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 के उत्तर में सदन में चर्चा के दौरान ब्यावरा में 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन की अतिशीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति कराने एवं बजट में शामिल कराने का आश्वासन दिया गया था ? तो क्या आश्वासन अनुरूप उक्त अस्पताल भवन निर्माण कार्य बजट में सम्मिलित कर लिया गया है ? (ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । द्वितीय अनुपूरक में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

माझी, मांझी एवं मझवार जनजाति के संबंध में जानकारी

24. **(*क्र. 142) श्री मोती कश्यप :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि अ.ज.जा. की सूची की माझी व मझवार जनजाति के संबंध में

श्री एस.आर. मन्सोरिया भोपाल द्वारा आ.जा.अ. संस्था से मांगी गई जानकारी की अप्राप्ति पर अपने पत्र दिनांक 31-05-2014 द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव को कोई लेख किया है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) आवेदक की अपील नं. 04 पर दिनांक 10-10-2013 को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदक की किन्हीं दिनांकों की अपील क्रमांक 1 से 3 की याचित जानकारी पर कोई आदेश पारित किया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अभ्यावेदक को माझी (MAJHI) व मझवार जनजाति का नृजातीय विवरण (सीमित मानव शास्त्रीय अध्ययन), पहचान, परम्परागत व्यवसाय, जीवन पद्धति व संस्कार एवं सीधी जिले की माझी जनजाति का सांस्कृतिक प्रलेख किन्हीं तिथियों में उपलब्ध कराये गये हैं ? (घ) क्या माझी (MAJHI), मांझी (MANJHI) एवं मझवार जनजाति की पहचान में उत्पत्ति, गोत्र, टोटम, धर्म (जीववादी), देवी-देवता, जीवनचक्र (जन्म, विवाह, मृत्यु) के संस्कार तथा उनमें ब्राम्हण, नाई, धोबी की सेवायें एवं वधुमूल्यप्रथा, वैवाहिक संबंध, सामाजिक स्तर, बोली तथा परंपरागत पेशा आदि किन संदर्भ साहित्यों एवं संस्था के प्रतिवेदनों के आधार पर किस रूप में है ? (ड.) सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रश्नांश (क) से (घ) की उपलब्ध नहीं करायी गई याचित जानकारी कब तक प्रदान करायी जायेगी और किन दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं । श्री एस. आर. मंसौरिया द्वारा दिनांक 31/05/2014 को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** (ड.) जानकारी प्रेषित की जा चुकी है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>परिशिष्ट - "आठ"</u>

<u>विद्यालयों का उन्नयन</u>

25. **(*क्र. 20) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चर माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल शाला भवन के उन्नयन हेतु शासन को अभी तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? शासन कब तक विद्यालयों के उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान करेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन हेतु 06, माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन हेतु क्रमशः 36 एवं 35 तथा हाईस्कूल से उ.मा.वि. में उन्नयन हेतु क्रमशः 6 एवं 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रावधान अनुसार 04 प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया गया है । निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने, सक्षम बजट स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पात्र शालाओं का उन्नयन संभव नहीं है । अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

1. **(क्र. 3) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जवा एवं डभौरा रीवा जिला मुख्यालय के अंतिम छोर पर स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या समुचित स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस बीमारी से संबंधित चिकित्सा की सुविधा प्रदाय की जा रही है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में - उक्त स्वास्थ्य केंद्र में क्या सभी बीमारी से संबंधित चिकित्सालय का विस्तार एवं चिकित्सकों की पदस्थापना की गई हैं ? (ग) यदि नहीं, तो समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामु. स्वा. के. सिरमौर एवं सामु. स्वा. के. जवा जिला रीवा में समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है । प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र डभौरा में 6, बेड का केंद्र संचालित हैा प्रसव एवं टीकाकाण की सुविधा उपलब्ध है । (ख) प्रश्नांक "क" के संदर्भ में चिकित्सालय के स्तर पर आधारित चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं । प्रदेश में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी के बावजूद विशेषज्ञ/चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है । ताकि जनता की बीमारियों का प्राथमिक उपचार कराया जा सके । (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग प्रयासरत है । विशेषज्ञों के पद पर पदोन्नति निरंतर जारी है एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, चयन सूचि प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी । निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है ।

खाचरोद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विद्यालय भवनों की स्थिति

2. **(क्र. 21) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत कितने विद्यालय भवन विहीन है ? कितने विद्यालयों को मरम्मत की आवश्यकता है एवं कितने नवीन विद्यालय भवन बनाने की योजना है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 हायर सेकेण्ड्री एवं 05 हाईस्कूल शासकीय माध्यमिक शाला भवनों में संचालित हैं, जिनमें से 02 हायर सेकेण्ड्री तथा 01 हाईस्कूल के लिये अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है । 08 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विघालयों में मरम्मत की आवश्यकता है । नवीन निर्माण की स्वीकृति बजट में राशि उपलब्धता पर निर्भर करती है । नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत

08 प्राथमिक एवं 01 माध्यमिक विघालय भवन विहीन है । विघालयों की मरम्मत की आवश्यकता एवं नवीन विद्यालय बनाने की योजना निम्नानुसार है :-

सं. क्रं.	विवरण	प्राथमिक विघालय	माध्यमिक विघालय	योग
1	मरम्मत की आवश्यकता	170	70	240
2	विशेष मरम्मत की आवश्यकता	01	-	01
3	नवीन विघालय भवन बनाने की योजना	08	01	09

इस प्रकार 241 विघालयों के मरम्मत की आवश्यकता है एवं 09 नवीन विघालय भवन स्वीकृत है ।

राष्ट्रीय शहरी मिशन अंतर्गत प्राप्त राशि

3. **(क्र. 60) श्री मुकेश नायक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 में (दिसम्बर 2014 तक) कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और खर्च हुई ? (ख) क्या यह सही है कि इस मिशन के तहत राज्य के शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जनता तथा शहरी गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है ? अत: बताये कि इससे कितने शहरों में कितनी गरीब जनसंख्या को लाभ मिला ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत शासन से राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 में (दिसम्बर 2014) तक कुल 69.13 करोड़ की राशि प्राप्त हुई एवं रूपये 7.44 करोड़ की राशि खर्च हुई है । (ख) जी हाँ । 48 शहरो में 45.50 लाख शहरी गरीब जनसंख्या को लाभांवित किया जा रहा है ।

जिला चिकित्सालय शाजापुर में डायलिसिस मशीन की व्यवस्था

4. **(क्र. 86) श्री अरूण भीमावद :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला स्तर के चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीन की उपलब्धता करवाने हेतु क्या शासन के प्रावधान है ? (ख) यदि हाँ, तो जिला चिकित्सालय शाजापुर में डायलिसिस मशीन अभी तक क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई है ? (ग) यदि उपलबध करवाई जा रही है, तो जिला चिकित्सालय शाजापुर में यह सुविधा मरीजों को कब तक उपलब्ध हो जाएगी ? समयावधि बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी, हाँ । (ख) जिला चिकित्सालय, शाजापुर सहित प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रचलन में है । (ग) निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

शाला भवन का निर्माण

5. **(क्र. 99) श्री अरूण भीमावद :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में हाईस्कूल भरड़ कब से प्रारंभ किया गया है ? (ख) क्या हाईस्कूल भरड़ का अपना शाला भवन है ? यदि नहीं, तो यह शाला भवन किस भवन में संचालित है ? (ग) क्या हाईस्कूल भरड़ को शासन द्वारा उ.मा.वि. में उन्नयन कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि उक्त शाला का अपना भवन नहीं है तो भवन निर्माण की स्वीकृति के साथ राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी ? समय-सीमा बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शाजापुर जिले में शासकीय हाईस्कूल भरड़ 2008 से प्रारंभ है । (ख) जी नहीं । शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय में संचालित है । (ग) जी हाँ । शासकीय हाईस्कूल भरड़ को नवम्बर-2014 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया गया । (घ) उक्त शाला भवन के निर्माण की स्वीकृति एवं निर्माण हेतु राशि बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना

6. **(क्र. 181) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिला सिंगरौली में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की शासन की कोई योजना हैं ? (ख) यदि नहीं, तो औद्योगिक नगरीय होने के कारण लोगों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा क्षेत्र में आयुष के विकास का लाभ लोगों को दिये जाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्तमान में कोई योजना नहीं है । (ख) सिंगरौली जिले में 04 नवीन आयुष औषधालय खोले जाने की योजना है ।

राज्य बीमारी सहायता के लंबित प्रकरण

7. **(क्र. 227) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य बीमारी निधि के अंतर्गत राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर किन-किन अस्पतालों को किन-किन बीमारी के इलाज हेतु शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई 20 जनवरी 2015 की स्थिति में सूची दें ? (ख) राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत उपचार हेतु क्या-क्या प्रावधान, शर्तें, मापदण्ड हैं पूर्ण विवरण दें । इस हेतु बीमार व्यक्ति द्वारा क्या-क्या प्रक्रिया, कार्यवाही करनी पड़ती है पूर्ण विवरण दें ? (ग) किन-किन के आवेदन पत्र रायसेन एवं देवास जिले में लंबित है तथा क्यों, प्रकरणवार कारण बतायें । उक्त प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा ? (घ) रायसेन एवं देवास जिले के किन-किन मान. विधायकों के पत्र मान. मंत्रीजी तथा जिला प्रशासन को 1 वर्ष की अवधि में प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । (ख) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** (ग) रायसेन जिले में निम्निलिखित दो प्रकरण स्वकृति हेतु लंबित है । 1. श्री कमलेश मिश्रा पिता श्री हरि मिश्रा निवासी ग्राम सुल्तानगंज तह. बेगमगंज के किडनी रोग के उपचार हेतु राशि रू. 70000/- का ऐस्टिमेट चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, कलेक्टर महोदय रायसेन के माध्यम से दिनांक 2.02.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन मे प्राप्त हुआ । प्रकरण तैयार करने हेतु श्री कमलेश मिश्रा को पत्र लिखा गया । उपस्थिति उपरांत स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी । 2. श्री रणवीर सिंह यादव पिता श्री नन्हे सिंह ग्राम लखनपुर तह. बेगमगंज का किडनी रोग के ईलाज हेतु राशि रू. 2.40 लाख का चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर का ऐस्टीमेट दिनांक 02-02-2015 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन कार्यालय में प्राप्त हुआ । संचालनालय संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र क्रमांक 4/एस. आई. ए. एफ./ 2012/322 भोपाल दिनांक 15/02/2012 के प्रावधान अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है उक्त प्रकरणों का निराकरण 15 दिवस में कर दिया जावेगा । देवास जिले में कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है । (घ) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है** ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपूर्ण कार्य

8. **(क्र. 243) श्री वीरसिंह पंवार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत कौन-कौन से कार्य जन. 2015 की स्थिति मे विदिशा एवं रायसेन जिले में अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों ? कार्यवार कारण बतायें ? (ख) अनुबंध अनुसार उक्त कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं होने पर शासन द्वारा उक्त निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की ? (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये जाते है, तथा इस हेतु क्या-क्या मापदण्ड शर्ते है पूर्ण विवरण दें ? (घ) वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 मे विदिशा एवं रायसेन जिले में क्या-क्या कार्य कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये ? एजेन्सी का नाम तथा कार्य प्रारंभ की दिनांक सहित पूर्ण विवरण दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । (ख) निर्माण एजेंसियों द्वारा संबंधित ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं । निर्माण एजेंसियों के साथ निर्माणाधीन शासकीय हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूल के निर्माण कार्यो की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती है । यह एक सतत् प्रक्रिया है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है** ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद का निर्माण

9. **(क्र. 285) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कितने पद स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) क्या यह सत्य है कि म.प्र. में आज भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की पदस्थापना नहीं की गई है क्योंकि पदों का निर्माण नहीं किया गया है जिससे स्वास्थ्य विभाग के कार्य सुचारू संचालित नहीं हो रहे हैं ? (ग) शासन कब तक पदों का निर्माण कर पदस्थापना की कार्यवाही सम्पन्न करेगा ? (घ) लोक हित में तुरंत पद निर्माण कर पदस्थापना कराई जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के 51 जिलों में 51 पद स्वीकृत हैं । (ख) जी नहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद समस्त जिलों में स्वीकृत किया जा चुका है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है एवं सितम्बर 2014 में 20 अधिकारियों की पदोन्नति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संवर्ग में की जाकर पदस्थापनाएँ की गई है एवं विभाग के कार्य सुचारू रूप से संचालित हैं । (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) **जानकारी उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' अनुसार है** ।

बल्देवगढ़ एवं खरगापुर में चिकित्सकों के पदों की पूर्ति

10. **(क्र. 340) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य केंद्र बल्देवगढ़ एवं खरगापुर में डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं है और बल्देवगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र में तो डाक्टरों की अत्यंत कमी है तथा खरगापुर में भी सेवानिवृत्त डॉक्टर की कार्य अवधि बढ़ाकर तैनाती की गई है ? (ख) क्या खरगापुर एवं बल्देवगढ़ में महिला चिकित्सक भी नहीं है ? क्या इन दोनों अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की पूर्ति करायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें एवं महिला डॉक्टर खरगापुर में कब तक तैनात करा देंगे ? समयावधि बतायें ? (ग) क्या शासन के रिर्काड में दोनों जगहों पर महिला डॉक्टरों एवं पुरूष डॉक्टरों की तैनाती है ? यदि हाँ तो महिला एवं पुरूष डॉक्टरों के नाम एवं पदस्थापना का दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें, यदि नहीं तो कब तक पदपूर्ति करेंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । जी नहीं । बलदेवगढ़ में ०२ नियमित चिकित्सा अधिकारीयों की पदस्थापना है परन्तु वे वर्तमान में पी.जी. अध्ययनरत है । अत: एक नियमित चिकित्सा अधिकारी की डयूटी लगाई गई है एवं एक आयुष चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं । खरगापुर में नियमित चिकित्सक व एक बंधपत्र चिकित्सक

कार्यरत है । किसी सेवा निवृत्त चिकित्सक की सेवा अवधि नहीं बढ़ाई गई है । (ख) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बल्देवगढ़ में एक आयुष महिला चिकित्सक डॉ. श्रीमति प्राची अग्निहोत्री कार्यरत है एवं खरगापुर में एक महिला बंधपत्र चिकित्सक डॉ. कल्पना आर्या कार्यरत हैं । जी हाँ । चिकित्सा अधिकारी हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से जून २०14 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी । पदस्थापना हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । (ग) जी हाँ । बलदेवगढ़ में डॉ. प्राची अग्निहोत्री, महिला आयुष चिकित्सक दिनांक 1.1.2013 से, एवं डॉ दीपक ओझा स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत निरंतर संवायें प्रदान कर रहे हैं तथा खरगापुर में डॉ. कल्पना आर्या, महिला बंधपत्र चिकित्सक दिनांक 10.12.2013 से डॉ. आर. एस. राणा. चि.अ. दिनांक 12.05.2006 से सेवायें प्रदान कर रहे हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>विद्यालयों में खेल के मैदान का विस्तार</u>

11. **(क्र. 381) श्री सचिन यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध खेल के मैदान में से कितने खेल मैदान खेल गतिविधियों के लिये उपयुक्त हैं और कितने अविकसित हैं, तथा इनके विकास न होने के क्या कारण हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित खेल मैदानों के उन्नयन और विकास के लिए शासन की कोई योजना है ? हाँ, तो क्या शासन द्वारा विद्यालयवार बजट का प्रावधान किया गया है ? हाँ, तो बतायें ? नहीं, तो क्यों, कारण सहित जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट प्रदाय किया गया ? (घ) प्रश्नांश (ख) व (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या बजट पर्याप्त था ? नहीं, तो क्या शासन बजट बढ़ाए जाने के लिए प्रावधान करेगा ? हाँ, तो समय सीमा बतायें ? नहीं, तो कारण का उल्लेख करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग व्दारा संचालित 36 हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 16 विद्यालयों में उपलब्ध खेल के मैदान, खो-खो, कबड्डी, वालीबॉल एवं एथलेटिक्स आदि खेलों हेतु उपयुक्त हैं, शेष 20 विद्यालयों में खेल मैदान के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है । खेल मैदान विकसित नहीं होने का मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता है । प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 297 खेल मैदान हैं जो सामान्यतः खेल गतिविधियों के लिये उपयुक्त हैं इन्हें पृथक से विकसित नहीं किया गया है । सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत इस कार्य हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं है । (ख) जी हाँ । जी नहीं । हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के खेल मैदानों का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है । प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी विद्यालयों के खेल मैदान उन्नयन हेतु वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक कोई भी राशि प्रदाय

नहीं की गई है । प्राथमिक विद्यालय के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) आवश्यकता की तुलना में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बजट प्रावधान निर्भर करता है । कोई समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है । प्राथमिक विद्यालय के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं

12. **(क्र. 469) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं कितनी हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को क्या शिक्षा विभाग में संविलियन करने का प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को शिक्षा विभाग में संविलियन करने से क्या दूरगामी प्रभाव पडेगा यदि हाँ, तो बतावें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या शैक्षणिक संस्थाओं के संविलियन किये जाने पर शिक्षकों की कमी नहीं होगी ? यदि शिक्षकों की कमी होगी, तो शासन स्तर पर क्या उपाय किये गये हैं ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) 1. आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाऐं :-

अ-शिक्षण संस्थाऐं :-

प्राथमिक शाला	माध्यमिक शाला	हाईस्कूल	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
12643	4369	821	704

ब-आवासीय विद्यालय संस्थाऐं :-

आदर्श आवासीय विद्यालय	कन्या शिक्षा परिसर	एकलव्य आवासीय विद्यालय
08	62	20

2. राज्य शिक्षा केन्द्र एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित संस्थाऐं :-

प्राथमिक शाला	माध्यमिक शाला	हाईस्कूल	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
10998	1946	187	70

(ख) जी हाँ । उपरोक्त 'अ' में वर्णित शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा विभाग में संविलियन का प्रस्ताव है । (ग) पूर्वानुमान किया जाना संभव नहीं । (घ) जी नहीं । नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी ।

चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की पदस्थापना

13. **(क्र. 470) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने पद स्वीकृत हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में संचालित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितनी नियुक्तियां / पदस्थापनायें की गयी हैं ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में रिक्त पदों में नियुक्तियां एव पदस्थापनायें कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के विकास खण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या
1	सीधी	कुसमी	03	01
		मझौली	06	01
2	सिंगरौली	देवसर	06	02

(ख) एवं (ग) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) रिक्त पदों के पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है । निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है ।

जिला चिकित्सालयों में सफाई का ठेका

14. **(क्र. 561) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कामधेनु सिक्युरिटी सर्विसेस, इंदौर के द्वारा शहडोल/कटनी/सागर/छिंदवाड़ा जिलों के जिला चिकित्सालयों में कितने-कितने सफाई कर्मचारियों एवं जिला चिकित्सालयों में साफ-सफाई के हेतु सामग्री स्वयं ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने के लिये वित्तीय वर्ष, 2013-14, 14-15 में प्रश्नतिथि तक जो कार्यादेश न्यूनतम शर्तों के साथ जारी किये थे, उनकी एक-एक प्रति दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में एवं वर्णित वित्तीय वर्षों में प्रश्नतिथि तक क्या-क्या सामग्री ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह किस-किस नाम की कम्पनी एवं दर का कितनी मात्रा में जिला चिकित्सालयों में साफ-सफाई हेतु उपलब्ध कराते हुये सफाई करवाई ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवर कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित टेंडर शर्तों के विपरीत कर्मचारियों का बैंक एकाउन्ट के माध्यम से भुगतान नहीं करने/पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. एकाउन्ट में राशि जमा नहीं करने पर क्या कार्य निरस्त किया जायेगा ? अगर हाँ, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों, कारण दें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) कामधेनु सिक्युरिटी सर्विसेस इंदौर नामक किसी फर्म को वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में जिला चिकित्सालय शहडोल/कटनी/ सागर/छिंदवाड़ा की साफ सफाई हेतु सामग्री का कार्यादेश नहीं दिया गया । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वन अधिकार मान्यता कानून के अन्तर्गत प्राप्त दावे

15. **(क्र. 619) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वन अधिकार मान्यता कानून लागू होने के बाद कितने दावे प्रस्तुत किये वर्गवार, ब्लॉकवार जानकारी दें एवं कितने दावे शेष रह गये उनका कब तक निपटारा किया जायेगा ? (ख) गुना जिले में वनाधिकार कानून के अन्तर्गत कितने गांवों में सामुदायिक दावे प्रस्तुत किये, कितने मान्य कर पट्टे दिये शेष बचे दावों को कब तक मान्य कर पट्टे दिये जायेंगे जानकारी वर्गवार दें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश अन्तर्गत 118 ग्रामों में प्राप्त 442 सामुदायिक दावों में से 37 दावे उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अमान्य किये गये जबकि 405 दावे मान्य किये गये, कोई दावे शेष नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "नौ"

सोनकच्छ अस्पताल का उन्नयन

16. **(क्र. 712) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ नगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? (ख) क्या वर्षों पुराने सोनकच्छ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को भविष्य में नवीन भवन के साथ-साथ एक्स-रे मशीन, सोनोग्राफी मशीन सहित आधुनिक लेब प्राप्त हो सकेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) क्या सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आधुनिक 108, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा हो, प्राप्त हो मिल पाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । सोनकच्छ नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया है एवं 30 बिस्तरीय नवीन अस्पताल निर्माणाधीन है । (ख) जी हाँ । वर्तमान में आधुनिक लेब की 28 प्रकार की जांच सुविधा प्रदान की जा रही है । नवीन अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एक्स-रे मशीन व सोनोग्राफी मशीन के स्थापना की कार्यवाही की जावेगी । (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनकच्छ में आधुनिक एम्बूलेन्स 108 की सुविधा उपलब्ध है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पीपलरावां में 50 बिस्तर अस्पताल का निर्माण

17. **(क्र. 713) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पीपलरावां नगर में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल स्वीकृत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या नगर की आबादी को देखते हुए भविष्य में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल की स्वीकृत किया जावेगा ? (ख) पीपलरावां नगर के अस्पताल में कितने पद स्वीकृत हैं, तथा कितने पद भरे हैं व कितने पद रिक्त हैं ? (ग) रिक्त पदों को कब तक की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । जनसंख्या के आधार पर पात्रता नहीं होने के कारण । जी नहीं । (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलरावां में 09 पद स्वीकृत हैं तथा 08 पद भरे हैं, व 01 मेडिकल ऑफीसर का पद रिक्त है । (ग) मेडिकल ऑफीसर के पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी है । निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अनियमित प्रतिनियुक्ति पर कार्यवाही

18. **(क्र. 748) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पं. खुशीलाल शर्मा/शा./स्व.आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./2000/2047-50 दिनांक 30.01.2001 द्वारा डॉ. उमेश कुमार शुक्ला को महाविद्यालय में 2 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि महाविद्यालय की आगामी कार्यकारिणी समिति में अनुमोदन किया जावेगा एवं अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में इनकी सेवाऐं मूल विभाग को सौंपी जावेंगी ? (ख) यदि हाँ तो क्या कार्यकारिणी से अनुमोदन लिया गया ? यदि हाँ तो किस बैठक में किस दिनांक को ? यदि नहीं तो इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त क्यों नहीं की गई ? (ग) क्या यह सही है कि डॉ. उमेश शुक्ला की वर्ष 2008 में प्रोफेसर पंचकर्म पद पर हुई अवैध एवं नियम विरूद्ध नियुक्ति की जांच हेतु मान. आयुष मंत्री द्वारा पत्र क्रमांक 3657 दिनांक 16.12.14 संचालक, आयुष विभाग भोपाल को निर्देश दिए गए थे ? (घ) यदि हाँ तो संचालक द्वारा की गई जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए ? जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? एवं कब तक जांच की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । डॉ. उमेश कुमार शुक्ला की प्रतिनियुक्ति महाविद्यालय में 02 वर्ष के लिए समान पद पर शासनादेश क्र. एफ 2-28/99/55/चि.शि./2 दि. 08/11/2000 से किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । जिसके पालन में डॉ. शुक्ला द्वारा दिनांक 10/11/2000 को

उपस्थिति दी गई । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** । प्रधानाचार्य द्वारा शासन आदेश से प्रतिनियुक्ति पद पर डॉ. शुक्ला के उपस्थित हो जाने के 02 माह 20 दिन पश्चात संदर्भित पत्र क्र./स्था./2000/2047-50, दिनांक 30/01/2001 जारी किया गया । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** (ख) जी हाँ । कार्यकारिणी समिति बैठक दिनांक 04/09/2000 में अनुमोदन प्राप्त किया गया । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार** । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) माननीय मंत्री जी आयुष का पत्र क्रमांक/3657, दिनांक 16/12/2014 संचालनालय आयुष में प्राप्त होना नहीं पाया गया है । (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अशा. विद्यालयो को बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र बनाया जाना</u>

19. **(क्र. 749) श्री रामनिवास रावत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह मार्च 2015 में होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं में श्योपुर एवं मुरैना जिले के किन-किन शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है ? इन परीक्षा केन्द्रो में से ऐसे कितने परीक्षा केन्द्र है जो गत वर्ष परीक्षा केन्द्र थे ? (ख) विगत वर्ष की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्रों में किस-किस परीक्षा केन्द्र पर कितने-कितने नकल प्रकरण बनाए गए थे ? इनमें से कितने परीक्षा केन्द्र अशासकीय विद्यालय थे ? (ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की गाईड लाइन अनुसार अशासकीय विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाना चाहिए ? इसके बावजूद श्योपुर एवं मुरैना जिले में अशासकीय विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है जिन पर विगत वर्ष की परीक्षाओं में सैकड़ों नकल प्रकरण बनाए गए थे ? यदि हाँ तो क्यों ? (घ) क्या यह सही है कि इकलौद में संचालित अशासकीय श्री अम्बिका हाई स्कूल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है जबकि उक्त केन्द्र पर विगत वर्ष की परीक्षाओं में नियुक्त तत्कालीन केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षण टीम द्वारा जबरन नकल कराने, बाहरी लोगो का परीक्षा के दौरान आना-जाना, कम स्थान होना आदि कारण से उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त कर विजयपुर में बनाया जाने का पत्र लिखकर उल्लेख किया था, साथ ही उक्त परीक्षा केन्द्र पर 100 से अधिक नकल प्रकरण बनाए गए थे जिनमें से अधिकांश सामूहिक नकल की श्रेणी के थे ? यदि हाँ, तो क्या शासन इस विवादित परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने के आदेश प्रदान करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा वर्ष 2015 में जिला श्योपुर एवं मुरैना में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला योजना समिति के प्रस्ताव अनुसार किया गया है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** । इन केन्द्रों में जिला श्योपुर के 24 एवं जिला मुरैना के 50 परीक्षा केन्द्र हैं जो गत वर्ष 2014 में भी परीक्षा केन्द्र थे । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** । (ख) गत वर्ष जिला श्योपुर के 11 केन्द्रों पर 302 एवं जिला मुरैना के 28 केन्द्रों पर 69 नकल प्रकरण बनाए गए थे । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र-3 अनुसार । ऐसे केन्द्र जो अशासकीय थे **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** । (ग) यह सत्य नहीं है कि अशासकीय संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाना है, मण्डल के निर्देशानुसार प्रथमतः शासकीय संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाया जाये, पर्याप्त संख्या में शासकीय संस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रथमतः अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाया जाये । जिला श्योपुर एवं जिला मुरैना में केन्द्रों के निर्धारण का प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला योजना समिति से प्रस्ताव अनुसार ही मण्डल स्तर पर परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं । यह सही नहीं है कि विगत वर्ष की परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों पर सैकड़ो नकल बनाये गये हैं, उन्हें परीक्षा केन्द्र बनाया गया है । (घ) यह सही है कि इकलौद में संचालित अशासकीय श्री अम्बिका हाईस्कूल (केन्द्र क्रमांक 122003) को परीक्षा केन्द्र जिला कलेक्टर श्योपुर की अध्यक्षता में गठित जिला योजना समिति के प्रस्ताव अनुसार ही मण्डल स्तर पर परीक्षा केन्द्र मान्य किया गया है । विगत वर्ष 2014 में इस परीक्षा केन्द्र में सामूहिक नकल का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है । मात्र 19 छात्रों के व्यक्तिगत नकल प्रकरण सम्पूर्ण परीक्षा अवधि में उक्त केन्द्र पर दर्ज किये गये हैं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** ।

विद्यालयों का उन्नयन

20. **(क्र. 817) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालय में एवं माध्यमिक विद्यालयों का हाईस्कूल में उन्नयन के प्रस्ताव हैं ? क्य इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्र क्र. 303 दि. 31.10.14 एवं क्र. 305 दि. 31.10.15 द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल को भी प्रस्ताव भेजा गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या सुदूरवर्ती पगरी एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रस्तावित समस्त विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? समय सीमा बताएं ? यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । जी हाँ । पत्र क्र0 305 दिनांक 13.10.2014 प्राप्त हुआ था । (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पड़ोस की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का निर्धारण किया गया है । प्रश्नांकित विद्यालयों के तीन कि.मी. की परिधि में माध्यमिक शाला उपलब्ध है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** ।"लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 9.9.2014 द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला कैलाशपुर, जिला-रीवा का हाईस्कूल में उन्नयन की स्वीकृति जारी की गई है । शालाओं के उन्नयन की स्वीकृति बजट में राशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है । समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "दस"

निजी महाविद्यालय में इंजीनियरों द्वारा अध्यापन

21. **(क्र. 823) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में ऐसे कितने निजी उ.मा.विद्यालय (एमपी बोर्ड, सीबीएसई) है जिनमें अभियंत्रियों (इंजीनियर) की डिग्रीधारी शिक्षक अध्यापन कार्य करा रहे हैं ? (ख) क्या म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग नियमानुसार उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में इंजीनियरिंग डिग्रीधारी शिक्षक अध्यापन करा सकते है ? यदि हाँ, तो क्या ये सभी इंजीनियरिंग शिक्षक बी.एड., एम.डी. या विषय संबंधी पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता रखते है ? यदि हाँ तो इंदौर, उज्जैन संभाग के समस्त विद्यालय में अध्यापन कार्य करा रहे इंजीनियरिंग शिक्षकों की सूची विद्यालयवार उपलब्ध करावें ? (ग) प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बेरोजगार इंजीनियर योग्यता रखने वाले युवकों की आगामी संविदा भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका बिना बी.एड., एम.एड. दिया जायेगा ? यदि नहीं तो नियुक्ति के विरूद्ध निजि विद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे इंजीनियर शिक्षकों के कारण निजी विद्यालयों की क्या मान्यता निरस्त की जाएगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अशासकीय/ निजी उ.मा. विघालय (एम.पी.बोर्ड) जिनमें इंजीनियर डिग्रीधारी शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं, की संख्या इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में क्रमश: 26 एवं 14 हैं । सी.बी.एस.ई. विघालयों पर राज्य शासन का कोई नियंत्रण न होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है । (ख) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विघालय में ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिनमें इंजीनियर की डिग्री आवश्यक हो, को छोडकर इंजीनियरिंग डिग्री को शैक्षणिक अहर्ता में शामिल नहीं किया गया है । जी नहीं । **सूची संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है** । (ग) जी नहीं । मान्यता नियमों/ विनियमों के अंतर्गत परीक्षण कर संबंधित विघालयों को लिखा जायेगा कि वे निर्धारित अहर्ता वाले शिक्षकों को ही उनके विघालय में अध्यापन हेतु रखें ।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

उज्जैन संभाग के नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितता

22. **(क्र. 824) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर, उज्जैन संभाग में 1 जनवरी, 2010 के पश्चात कितने नर्सिंग कॉलेजों को कहाँ-कहाँ, किन-किन मापदण्डों के अनुरूप मान्यता दी, स्थानवार, संचालन समिति के सदस्यवार, कुल विद्यार्थियों की संख्या, स्वीकृत, रिक्त एवं कार्यरत पद, योग्यतानुरूप कार्य करने वाले शिक्षकों की संख्या सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुरूप नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रति विद्यार्थी कितना शुल्क वसूला जाता है ? प्रत्येक महाविद्यालयों में 2010-11 सत्र से कितनी-कितनी राशि वसूल की सत्रवार जानकारी देवें ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में संचालित समस्त महाविद्यालयों के पास मान्यता अनुरूप महाविद्यालय भवन, योग्यता अनुरूप शिक्षक

है ? क्या समस्त महाविद्यालय नियमान्तर्गत संचालित है, यदि हाँ, तो महाविद्यालयवार जानकारी देवें ? इस संबंध में इन महाविद्यालयों की जनवरी 2010 से कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गई ? (घ) 1 जनवरी 2010 के पश्चात उज्जैन-इंदौर संभाग के नर्सिंग कॉलेजों की कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा कब-कब की गई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतकर्ता का नाम, जांचकर्ता का नाम सहित प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

जावरा विधानसभा अंतर्गत प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाएं

23. **(क्र. 852) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर सिविल अस्पताल, महिला चिकित्सालय एवं पिपलौदा, सुखेड़ा, पंचेवा, मावता, कालूखेड़ा, दोदर, रिंगनौद इत्यादि केन्द्रों पर विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त केन्द्रों पर क्या पर्याप्त रूप से चिकित्सकों, नर्सों, ड्रेसर, वार्ड बॉय एवं अन्य स्टॉफ के साथ पर्याप्त उपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त समस्त स्थानों पर पदस्थ चिकित्सक, नर्स, वार्डबॉय एवं अन्य स्टॉफ निरंतर उपस्थित होकर कार्यरत होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं ? (घ) साथ ही उपरोक्त स्थानों पर पदस्थ कितने अधिकारी/कर्मचारी विगत लंबे समय से, कई वर्षों से अनुपस्थित रहकर नदारद हैं, उनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है । परन्तु संस्थाओं में वर्तमान में पदस्थ स्टॉफ द्वारा उपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है । चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टॉफ/नर्सिंग स्टॉफ की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है । (ग) एवं (घ) 08 अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित है, इनमें से तीन चिकित्सकों के सेवा समाप्त किए जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । शेष के संबंध में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । वर्तमान में पदस्थ स्टॉफ द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है ।

जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किए गये कार्य

24. **(क्र. 853) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में क्या योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ? (ग) यदि हाँ, तो वर्ष, 2012 से लेकर वर्ष, 2015 प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किये जाकर किन-किन

योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया है ? (घ) साथ ही उक्त वर्षों में उपरोक्त क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन से कार्य किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार से कराए जाकर उन पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ (ख) जी हाँ (ग) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** ।

अनुकम्पा नियुक्ति में डी.एड., बी.एड. एवं व्यापम उत्तीर्ण की अनिवार्यता

25. **(क्र. 938) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग में मृत्यु उपरांत शिक्षकों की अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के क्या नियम है ? अनुकम्पा नियुक्ति के लिये शासन ने क्या-क्या योग्यतायें अनिवार्य की है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता का नियम कब से लागू किया गया है ? (ग) क्या शासन शिक्षकों की अनुकम्पा नियुक्ति में डी.एड., बी.एड. एवं व्यापम उत्तीर्ण की अनिवार्यता को समाप्त कर भर्ती प्रतिक्रिया को पूर्व की भांति सरल करेगा ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सकें ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यो नहीं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एंव (ख) म.प्र. पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रं. एफ 2-11/2005/22/पं-2/भोपाल, दिनांक 28.12.2005, पत्र दिनांक 01.04.2010 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रं. सी-3/17/1/3/2010, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार शिक्षा कर्मी/अध्यापक की मृत्यु उपरांत आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 व वर्ग-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में निर्देश है संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 व वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति हेतु भारत सरकार के नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा एतद सम्बंधी अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 23 अगस्त 2010 को जारी की गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि अनुसार है** । अत: उक्त पदों पर अधिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता की पूर्ति के बिना अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकती है । इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा परिपत्र क्रं. स्था-4/सी/अनु.नियु./109/2014/2295 दिनांक 09.12.2014 जारी किया गया है । (ग) चूंकि उक्त अनिवार्यता केन्द्रीय कानून के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नियत है इसलिए उसकी अनिवार्यता को समाप्त करना राज्य सरकार द्वारा सम्भव नहीं है शैष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान का प्रदाय

26. **(क्र. 939) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान वार्षिक ब्लाक ग्रांट के रूप में प्रदान करने एवं पदोन्नति/क्रमोन्नति आदि अनुदान मद से नहीं करने का नियम पूर्व से प्रचलित है ? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा वर्ष 2010 से 2013 में अनुदान मद से पदोन्नति/क्रमोन्नति कर शिक्षक /कर्मचारियों को अनुदान मद से राशि किस नियम के तहत प्रदान की गई एवं क्या इस भुगतान हेतु ऐरियस मद के अतिरिक्त क्या अन्य मद का भी उपयोग किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कृत्य हेतु कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है एवं उन पर शासन द्वारा कब-कब कौन सी कार्यवाही की गई ? (घ) क्या यह सच है कि पदोन्नति प्राप्त शिक्षक / कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान का 50 ऐरियस वर्ष 2010 दिसम्बर से नवम्बर 2013 तक दो बार एक लोबर पोस्ट एवं दूसरा अपर पोस्ट का किया गया तथा शिक्षकों को पदोन्नति के उपरांत अनुदान मद से कार्य भार ग्रहण दिनांक के स्थान पर है वर्ष पूर्व डी.पी.सी. से अनुदान मद से राशि प्रदान करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा मान्य किया गया ? क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में ब्लाक ग्रान्ट की व्यवस्था की गई है । मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 6362/04 में पारित निर्णय दिनांक 7.1.14 द्वारा उक्त अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों पर पूर्ववत पोषण अनुदान एवं संशोधन अधिनियम प्रभावशील होने के उपरांत नियुक्ति शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर ब्लाकग्रान्ट की व्यवस्था लागू होने के निर्देश दिये है । (ख) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा वर्ष 2010 से 2013 तक अनुदान मद से किसी भी शिक्षक/कर्मचारी को पदोन्नती/क्रमोन्नती प्रदान नहीं की गई । वर्ष 2000 में पदोंन्नती समिति द्वारा अनुशंसित श्री अरविन्द कुमार गौतम को पदोंन्नत पद के मान से एरियर्स राशि का भुगतान संस्था के संस्थागत निधि खाते में जमा राशि से किया गया है । शासन निर्देशों के विपरीत किये गये भुगतान की वसूली की गई है । (ग) श्री जे.पी. नामदेव, सहायक ग्रेड-1 को दोषी पाये जाने पर दो वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया । श्रीमती कंचनलता जैन, तत्का. जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को भविष्य के लिये सचेत किया गया । (घ) पहले उच्चतर पर (शिक्षक) की देय एरियर्स राशि स्वीकृत की गई थी । शासन आदेश के विपरीत भुगतान की स्थिति प्रकाश मे आने पर अंतर राशि का समायोजन कर निम्न पर (सहायक शिक्षक) की देय एरियर्स राशि का भुगतान किया गया है । नियम विरूद्ध भुगतान की कार्यवाही हेतु जांच उपरांत प्रशनांश ''ग'' के उत्तर में उल्लेखानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग

27. **(क्र. 978) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर का निर्माण पूर्ण हो गया है ? क्या इसे विभाग द्वारा अपने अधीन ले लिया गया है यदि हाँ, तो इसे कब से आरंभ किया जाएगा ? (ख) इसे आरंभ करने में कौन-कौन सी कठिनाईयां है ? क्या जिला चिकित्सालय में चिकित्सक/ विशेषज्ञों के पद रिक्त है यदि हाँ, तो इनकी पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या यह सही है कि पड़ोसी जिले खरगोन में स्वीकृत पदों के विपरित अधिक संख्या में चिकित्सक पद है ? यदि हाँ, तो इन्हें खंडवा जिला चिकित्सालय में कब तक स्थानान्तरित किया जाएगा ? (घ) जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर एवं माईक्रो बायलाजी लेब स्वीकृत की गई है किन्तु इन पर तकनीकी पदों की पूर्ति नहीं की गई जिससे इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है ? विभाग द्वारा इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ? ताकि शासन के लाखों रूपयों से निर्मित ट्रामासेंटर का उपयोग हो सके ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) ट्रामा सेंटर हेतु चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के पद स्वीकृत किये गये हैं । पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित कराने की कार्यवाही प्रचलन में है । उपकरणों की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलन में है । जी हाँ । रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति निरंतर जारी है एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति म. प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों हेतु विज्ञापन जून 2014 में जारी किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हाँ । ट्रामा सेंटर का भवन विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरांत पदों की पूर्ति की जा सकेगी । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

निजि स्कूलों द्वारा अनियमितता

28. **(क्र. 979) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खंडवा नगर के भंडारी पब्लिक स्कूल में सी.बी.एस.ई. बोर्ड नियमों से अध्ययन कराया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या एन.सी.आर.टी.ई. की पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है या निजी प्रकाशक की ? (ख) क्या भंडारी पब्लिक स्कूल द्वारा प्रवेश शुल्क, टयूशन फीस एवं अन्य शुल्क सी.बी.एस.ई. नियमों के तहत लिये जा रहे हैं ? क्या भवन विकास, लायब्रेरी, लेब, खेल सामग्री, कंप्यूटर, स्मार्टक्लास इत्यादि के शुल्क पृथक-पृथक प्रति वर्ष पालकों से लिये जाने का प्रावधान है ? (ग) यदि हाँ, तो ऐसी शुल्क वृद्धि पालकों के लिये मानसिक तथा आर्थिक प्रताड़ना की श्रेणी में आती है ? यदि हाँ, तो नियमों का उल्लंघन करने वाली इस संस्था के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी ? समय-सीमा बनाए ? (घ) क्या सी.बी.एस.ई. बोर्ड की

संचालित निजि स्कूलों पर राज्य शासन के नियंत्रण के कोई नियम है ? यदि हाँ, तो उपलब्ध करावें ? यदि नहीं, तो व्यापक जनहित में इन पर नियंत्रण के लिए शासन कब तक गाईड लाईन बनाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) स्कूल में एन.सी.ई.आर.टी. एवं निजी प्रकाशक की पुस्तकों से अध्ययन कराया जा रहा है । सी.बी.एस.ई. स्कूलों पर राज्य शासन का सीधा कोई नियंत्रण नहीं है । (ख) वर्तमान में प्रदेश के निजी विद्यालयों में शुल्क नियंत्रण की कोई नीति निर्धारित नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्न 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) जी नहीं । गाईड लाईन बनाए जाने के बारे में कोई निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

बालिकाओं की शिक्षा हेतु संचालित योजनाएं

29. **(क्र. 1033) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालिकाओं को हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की शिक्षा दिलवाए जाने हेतु राज्य शासन वर्तमान में कौन-कौन सी योजना चला रहा है ? (ख) विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील में वर्तमान में किस-किस स्थान पर कन्या हाईस्कूल एवं कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल का संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है यदि कन्या हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी नहीं हो तो कारण बतावें? (ग) ग्यारसपुर तहसील में कितनी कन्या माध्यमिक शालाऐं वर्तमान में किस-किस स्थान पर संचालित की जा रही है ? उन्हें उन्नयन किया जाकर कन्या हाईस्कूल बनाए जाने की क्या नीति शासन की है ? (घ) कन्या स्कूलों को कन्या हाईस्कूल में उन्नयन किए जाने हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा समय सीमा सहित बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिये निःशुल्क सायकिल, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, सुपर 100, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, वर्चुवअल क्लासरूम, छात्रवृत्ति आदि मुख्य योजनाएं संचालित है । (ख) विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील में वर्तमान में कन्या हाईस्कूल गुलाबगंज का संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त शेष 18 हाईस्कूल/उ.मा.विद्यालयों में सहशिक्षा होने से बालिकाएं अध्ययनरत है । पृथक से कन्या हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी खोलने का प्रावधान नहीं है। (ग) एवं (घ) - कोई भी माध्यमिक शाला संचालित नहीं है । शालाओं को उन्नयन करने के लिए मापदण्डों अनुसार पात्रता पूर्ती होने तथा बजट उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाता है । कन्या माध्यमिक शाला को कन्या हाईस्कूल के रूप में उन्नयन के कोई पृथक से मापदण्ड नहीं है ।

सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय शिक्षा अभियान अंतर्गत निर्माण कार्य

30. **(क्र. 1034) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कितनी लागत के कौन-कौन से निर्माण कार्य की स्वीकृति के प्रावधान है उन कार्यों की निर्माण अवधि एवं निर्माण अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर कार्यवाही के क्या-क्या प्रावधान प्रचलित हैं ? (ख) सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत विदिशा एवं बैतूल जिले में स्वीकृत कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य वर्तमान में लम्बित हैं इनमें से किस कार्य की निर्माण अवधि किस दिनांक तक निर्धारित की गई थी, निश्चित की गई निमार्ण अवधि में कार्य पूर्ण न हो पाने का क्या-क्या कारण रहा है ? (ग) निश्चित निर्माण अवधि में कार्य पूरा न हो पाने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं निर्माण एजेन्सी जिम्मेदार हैं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है अधूरे निर्माण कार्यों को कब तक पूरा करवाया जाना प्रस्तावित हैं कार्यवार बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शाला भवन, माध्यमिक शाला भवन अतिरिक्त कक्ष, एच.एम. कक्ष, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय निर्माण कार्य की स्वीकृति के प्रावधान है, जिन्हें स्वीकृति वर्ष में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के प्रचलित दर अनूसूची (एस.ओ.आर.) पर तय लागत अनुसार स्वीकृत किये जाते है । सामान्यतः निर्माण कार्य की निर्माण अवधि एजेंसी द्वारा अनुबंध करने की दिनांक से 120 से एक वर्ष की अवधि हो सकती है । कतिपय निर्माण कार्य के स्वरूप अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है । निर्माण कार्यो के निर्माण अवधि में पूर्ण न होने पर निर्माण एजेंसी के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं धारा 92 के अंतर्गत कार्यवाही के प्रावधान प्रचलित है । सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण किये जाने वाले कार्य एवं उनकी लागत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है** । (ख) सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत विदिशा एवं बैतूल जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** । (ग) निर्माण कार्य में विलंब होने पर संबंधित विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध निविदा शर्तो के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । विभाग का कोई अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार नहीं है । निर्माण एजेन्सियों के साथ निर्माण कार्यो की समय-समय पर मानिटरिंग की जाती है । यह एक सतत् प्रक्रिया है । निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

लघु वनोपज के पंजीबद्ध वन अपराध

31. **(क्र. 1054) श्रीमती रेखा यादव :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में लघु वनोपज की क्या-क्या परिभाषा दी गई है ? कानून के द्वारा परिभाषित किस-किस लघु वनोपज के कितने वन अपराध

जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक छतरपुर वनवृत एवं बैतूल वनवृत के किस वनपरीक्षेत्र में पंजीबद्ध किए गए हैं ? (ख) वन अधिकार कानून 2006, संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 में लघु वनोपज के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं ? मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल ने 25 जनवरी 2001 को जारी आदेश के तहत लघु वनोपज से संबंधित कौन-कौन से अधिकार ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित किए ? (ग) जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार कानून में परिभाषित लघु वनोपज के छतरपुर वनवृत एवं बैतूल वनवृत में पंजीबद्ध कर लिए गए वन अपराधों के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के द्वारा अपनी किस-किस दिनांक की बैठक में विचार कर क्या-क्या निर्णय लिया गया ? यदि बैठक के ऐजेण्डे में इस विषय को शामिल ही नहीं किया गया हो, तो उसका कारण बतावें ? (घ) जनवरी 2008 के बाद लघु वनोपज के पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों को समाप्त किए जाने के संबंध में छतरपुर एवं बैतूल जिला वनाधिकार समिति क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक करेगी ? समय सीमा सहित बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन, चार, पाँच एवं छः अनुसार है** (ग) जिला छतरपुर में वन अपराध पंजीबद्ध नहीं, जबकि बैतूल से जानकारी प्राप्त नहीं हुई इस कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) 'ग' अनुसार । समिति को वन अधिकारों के मान्यता के बारे में निर्णय का ही अधिकार है ।

स्थानान्तर नीति का उल्लंघन

32. **(क्र. 1077) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में लागू और पूर्व वर्षों में जारी की जाती रही स्थानान्तर नीतियों के अन्तर्गत उल्लेखित किया गया है कि क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए । जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणें में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण पदों से हटाने पर विचार किया जाए एवं किसी भी अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ न किया जाए ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 9-1/86/क्र.-क्र./एफ, दिनांक 12.11.1988, क्र. 1631/282/1/15/09, दिनांक 01.11.1991 स्मरण पत्र क्र. 233/3652/1/15, दिनांक 16.01.1993 एवं क्र. एफ-6/2/94/1/15, दिनांक 02.06.1994 के अन्तर्गत स्थापना, क्रय एवम् भण्डार शाखा में तीन वर्ष से अधिक या निरन्तर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? (ग) यदि हाँ तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की क्रय/स्टोर/स्थापना शाखाओं में कार्यरत कर्मचारीगण किस-किस दिनांक से निरन्तर कार्यरत है ? नाम तथा पद सहित दर्शायें ? (घ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ चहेते कर्मचारियों को जिन्हें पूर्व वर्षों

में विभिन्न अनियमितताओं के कारण दण्डित किया जा चुका है, उन्हें 5-6 वर्षों से उक्त अतिसंवेदनशील महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ कर रखा है ? इस हेतु कौन जवाबदेह है ? क्या शासन त्वरित कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11 मई, 2007 के बिन्दु क्रमांक 9.22 में उल्लेखित है कि समान्यतः 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य स्थान पर पदस्थ किया जावे । परिपत्र के अनुसार यथासंभव प्रशासकीय आवश्यकताओं का ध्यान में रख कर कार्यवाही की जाती है । (ख) जी हाँ । (ग) चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की क्रय, स्टोर एवं स्थापना शाखाओं में पदस्थ कर्मचारियों की **सूची संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार है** । (घ) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा कर्मचारियों की उपलब्धता एवं प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार समय-समय पर पदस्थापना परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "बारह"</u>

<u>जिला परियोजना समन्वयक भिण्ड को प्रभार दिया जाना</u>

33. **(क्र. 1078) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्रानुसार 6754 दिनांक 6-7-2012 के मापदण्ड अनुसार जिला परियोजना समन्वय का प्रभार देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? (ख) क्या जिला परियोजना समन्वय भिण्ड का प्रभार देने के लिए मापदण्डों का पूर्णत: पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) जिला परियोजना समन्वयक भिण्ड के विरूद्ध कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुईं ? उन पर प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (घ) जिला परियोजना समन्वय भिण्ड ने वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक किन-किन विद्यालयों का निरीक्षण किया ? क्या कार्यवाही की गई ? "

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला परियोजना समन्वयक का पद रिक्त होने की स्थिति में जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रभार दिया जाना निर्धारित किया गया है । (ख) जिला परियोजना समन्वयक भिण्ड का प्रभार प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.जे.सत्यार्थी को दिया गया था । श्री सत्यार्थी के पास सहायक संचालक एवं जिला परियोजना समन्वयक तथा प्रौढ शिक्षा अधिकारी का प्रभार भी था । प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से तात्कालिक व्यवस्था के रूप में श्री देवनारायण मिश्रा, वरिष्ठ व्याख्याता को जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार दिनांक 06.06.2014 को दिया गया है । (ग) प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । इसके अतिरिक्त कलेक्टर, भिण्ड को भी जनसुनवाई के दौरान शिकायत प्राप्त हुई है । वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-भिण्ड एवं कोषालय अधिकारी भिण्ड से जॉच कराई जा रही है । (घ) "जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है ।"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराढ़ में पदस्थापना

34. **(क्र. 1099) श्री प्रहलाद भारती :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैराढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन कब किया गया है व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सेटअप अनुसार कौन-कौन से पद स्वीकृत है ? व उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से रिक्त है व उक्त रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संस्था पर वर्तमान में कितने डॉक्टर कब से पदस्थ है ? क्या उनका स्थानांतरण कभी किया गया है ? यदि हाँ तो उक्त डॉक्टर को आज दिनांक तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया व इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? स्थानान्तरण आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ग) यदि उक्त डॉक्टर के पास स्थानांतरण के संबंध में कोई कोर्ट स्टे था तो उसकी अवधि क्या थी व उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? व कोर्ट स्टे की प्रति उपलब्ध करावें ? उक्त डॉक्टर को कब तक स्थानांतरित किये गये स्थान हेतु कार्यमुक्त कर दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराढ का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्नयन दिनांक 17.07.2013 को किया गया । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरागढ में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी है । निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है । (ख) सा.स्वा.के. बैराढ में 02 चिकित्सक (डॉ ऐ के मोर्य एवं बृजेश धाकड) क्रमश: वर्ष 2005 एवं 2011 से पदस्थ है । जी हाँ, डॉ. ऐ.के. मोर्य का स्थानांतरण दिनांक 01.10.2009 को किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2009 में स्थगन दिये जाने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया । स्थानांतरण आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** (ग) माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश में 06 सप्ताह की अवधि थी । डॉ मोर्य के अभ्यावेदन के निराकरण की प्रकिया संचालनालय स्वा. सेवायें स्तर पर प्रचलन में है । कोर्ट स्टे की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है** प्रकरण का निराकरण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है ।

सहरिया जनजाति के छात्रों को भाषायी शिक्षक के पद पर नियुक्ति

35. **(क्र. 1100) श्री प्रहलाद भारती :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा विशेष पिछड़ी सहरिया जनजाति के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार छात्रों को बिना चयन प्रक्रिया के शिक्षक/भाषायी शिक्षक के पद पर सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश प्रसारित किये गये है यदि हाँ तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त आदेश के पालन में शिवपुरी जिले में आदेश जारी होने के दिनांक से कितने सहरिया जनजाति के युवक/युवतियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए व उक्त आवेदनों में से कितने युवक/युवतियों को शिक्षक/भाषायी शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है ? शेष आवेदकों को नियुक्ति नहीं दिये जाने का कारण स्पष्ट करें ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शेष आवेदकों को कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) शासन नीति, समान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2010 अनुसार 'यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी तथा अशोकनगर में सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए आवेदन करता है और विहित न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा' का प्रावधान है **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है** (ख) विशेष पिछडी सहरिया जनजाति के 72 भाषायी शिक्षकों को 12 माह के निश्चित मानदेय पर रखे जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध जनपद पंचायतों के माध्यम से 72 भाषायी शिक्षक निश्चित मानदेय के आधार पर रखे गये थे । भाषायी शिक्षक पद पर नियुक्ति देने हेतु अतिरिक्त 124 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । वर्तमान में संरक्षण सह विकास योजना अन्तर्गत भाषायी शिक्षक योजना समाप्त हो गई है, अत: आगे की कार्यवाही शेष नहीं है । (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "तेरह"

डाइट में नवनिर्मित छात्रावास भवन

36. **(क्र. 1137) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिला स्थित शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नौगांव में छात्रावास का निर्माण किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो उक्त छात्रावास हेतु कितना बजट कब-कब प्राप्त हुआ ? छात्रावास के भवन का निर्माण कब से प्रारंभ किया गया ? छात्रावास निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी किस विभाग को नियुक्त किया गया था ? छात्रावास के उक्त भवन की वर्तमान स्थिति क्या है ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य क्या पूर्ण हो चुका है ? यदि हाँ तो कब ? (घ) निर्माण के उपरांत भवन क्या संस्थान को हस्तांतरित कर दिया गया है ? यदि हाँ तो कब ? यदि नहीं कब हस्तांतरित किया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ ।

(ख) वर्ष 1998-1999 - राशि रूपये 1.00 लाख, वर्ष 1999-2000 - राशि रूपये 7.40 लाख
वर्ष 2000-2001 - राशि रूपये 2.92 लाख, वर्ष 2003-2004 - राशि रूपये 1.90 लाख
वर्ष 2004-2005 - राशि रूपये 1.80 लाख, वर्ष 2006-2007 - राशि रूपये 0.12 लाख
वर्ष 2008-2009 - राशि रूपये 17.61 लाख । 28/11/1997 से प्रारंभ । लोक निर्माण विभाग (भ/स) सम्भाग छतरपुर । फिनिशिंग कार्य, पंखा, ट्यूब-लाईट आदि विघुत कार्य शेष । (ग) जी नहीं । शेष अंश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । (घ) जी नहीं । निश्चित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है ।

अस्पतालों में दवाई की खरीदी

37. **(क्र. 1159) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर जिले के जिला चिकित्सालय तथा जिले के समस्त चिकित्सालयों के लिए जो दवाईयां मरीजों के हित में उपयोग में ली जाती हैं, वे शासन द्वारा भेजी जाती है या स्थानीय तौर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मन्दसौर की निगरानी में खरीदी जाती है ? (ख) मन्दसौर एवं समस्त जिले की दवाई खरीदने हेतु विगत तीन वर्ष में कितना आवंटन प्राप्त हुआ था और अभी तक कितनी दवाईयां खरीदी गई हैं ? (ग) खरीदी गई दवाईयों की गुणवत्ता क्या है ? अंतिम बार दवाईयां कब खरीदी गई थीं ? (घ) 0 से 6 वर्ष के बच्चों की दवाई ग्रामीण क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में कब-कब पहुंचाई गई है ? दवाईयों की सूची, उनकी मात्रा तथा ग्रामीण क्षेत्र में दवाईयां पहुंचाने की दिनांक सहित जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मन्दसौर जिले में दवाओं का क्रय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन द्वारा राज्य स्तर से स्वीकृत दर पर चिन्हित फर्म द्वारा किया जाता है । स्थानीय स्तर पर टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जाकर ही आवश्यतानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन द्वारा क्रय किया जाता है । (ख) मन्दसौर एवं समस्त जिले की दवाई खरीदने हेतु विगत तीन वर्षो में प्राप्त आवंटन और दवाईयां खरीदी की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	संस्था का नाम	वर्ष	आवंटन राशि	क्रय की गई राशि
1.	मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ अधिकारी मंदसौर	2012-13	16549700	10224595
		2013-14	8201400	5655229
		2014-15	6543400	3406794

क्र.	संस्था का नाम	वर्ष	आवंटन राशि	क्रय की गई राशि
1.	सिविल सर्जन मंदसौर	2012-13	2, 21, 92, 600	58, 60, 578
		2013-14	1, 67, 20, 800	66, 07, 698
		2014-15	1, 52, 79, 500	88, 74, 513

(ग) प्रदायकर्ता फर्मो द्वारा दवाईयो की गुणवत्ता शासन द्वारा निर्धारित एन.ए.बी.एल द्वारा एक्रीडिटेड प्रयोगशाला में टेस्ट करवा कर मानक स्तरीय दवाईयां प्रदाय की जाती है । माह जनवरी 2015 में अंतिम बार दवाईयां क्रय की गई । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।**

फलों को पकाकर विक्रय की कार्यवाही

38. **(क्र. 1168) डॉ. मोहन यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उज्जैन जिले में थोक फल विक्रेताओं द्वारा भारी मात्रा में कच्चे फलों को लाकर पकाया जाता है ? यदि हाँ तो किस विधि से संपूर्ण विवरण दें ? (ख) क्या एथीलीन गैस जो कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाये जाने हेतु उपयुक्त है, से उज्जैन जिला अंतर्गत फलों के पकाये जाने की कोई व्यवस्था है ? यदि हाँ तो उज्जैन जिले में किन-किन स्थानों पर उक्त प्रक्रिया के तहत फलों को पकाया जाता है ? प्राकृतिक रूप से फलों को पकाये जाने के संबंध में शासन की क्या योजना है, यदि कोई योजना है तो उपरोक्त योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये ? (ग) क्या यह सही है कि उज्जैन जिला अंतर्गत घातक केमिकल के माध्यम से पकाये गये फलों जिससे की नागरिकों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है का विक्रय खुले बाजार एवं थोक में किया जा रहा है ? ऐसे घातक रसायनों से पकाये गये फलों के संबंध में विगत एक वर्ष में कितने स्थानों पर सक्षम जांच अधिकारियों द्वारा कब-कब जांच की गई है ? तथा केमिकल से पकाये गये फलों के पाये जाने पर संबंधित विक्रेताओं पर क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी नहीं । उज्जैन जिले में फलों को पकाने हेतु कोई स्थान अथवा व्यवस्था विभाग द्वारा अधिकृत नहीं है एवं इस संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है । (ग) जी नहीं । विगत एक वर्ष में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पके फलों के 12 सर्विलेंस नमूने जांच हेतु लिये गये थे, जिनमें से किसी भी फल में घातक केमिकल नहीं पाये गये हैं । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** ।

परिशिष्ट - "चौदह"

जिला चिकित्सालय का उन्नयन

39. **(क्र. 1213) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि श्योपुर जिला आदिवासी बाहुल्य व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा जिला है तथा जिले की लगभग 7 लाख जनसंख्या के स्वास्थ्य का दायित्व भी जिला चिकित्सायल पर ही हैं ? (ख) क्या यह सच है कि उक्त चिकित्सालय वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सकों/अन्य स्टॉफ व कई अत्यावश्यक आपातकालीन सुविधाओं से वंचित भी है तथा गंभीर बीमारियों के उपचार/ऑपरेशन सहित अत्यावश्यक सुविधाओं के अभाव में मरीजों को ग्वालियर, राजस्थान के कोटा जयपुर अथवा अन्यत्र जाना पड़ता है ? (ग) यदि हाँ तो उक्त परिस्थितियों एवं जिले के नागरिको को सर्वसुविधायुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु क्या शासन 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय को उन्नत कर 200 बिस्तरीय करने पर गंभीरता से विचार करेगा तथा इस हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार कराकर उसे स्वीकृति प्रदान करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) श्योपुर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है एवं शासन की मंशा अनुसार जिला चिकित्सालय में मरीजों को जिला अस्पताल के मान से सभी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध है । (ख) जी नहीं, मरीजों को जिला अस्पताल स्तर की सभी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है, तथा गंभीर रोगियों को टर्सरी केयर की सेवाओं हेतु हायर सेन्टर रेफर किया जाता है । (ग) वर्तमान में श्योपुर जिला अस्पताल में जिला स्तर की सभी सुविधायें उपलब्ध है । प्रदेश में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की निरंतर कमी के कारण जिला चिकित्सालय का उन्नयन किया जाना संभव नहीं है ।

<u>जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाएं</u>

40. **(क्र. 1214) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 750) दिनांक 12.12.2014 के प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर में सदन में चर्चा के दौरान आश्वासन दिया गया था कि श्योपुर जिला चिकित्सालय में डिजीटल एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन सहित डायलेसिस मशीनों की व्यवस्थाऐं/सुविधाऐं माह फरवरी 2015 के अन्त तक उपलब्ध करा दी जावेगी तो कृपया बतावें कि उक्त आश्वासन की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसका कारण व इस हेतु कौन उत्तरदायी है, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? (ख) क्या यह सच है कि उक्त मशीनों की अभाव में जिले के नागरिकों को वर्तमान में भी जांच हेतु अन्यत्र जिलों में जाना पड़ रहा है ? तथा मरीज व उनके परिजनों को भी कई प्रकार की असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है ? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित मशीनों की व्यवस्था/सुविधा हेतु प्रचलित कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करके क्या जिला चिकित्सालय में डिजीटल/एक्सरे/सोनोग्राफी मशीन व डायलेसिस मशीनों/यूनिट की स्थापना की व्यवस्था व सुविधा आश्वासन के अनुरूप फरवरी 2015 के अन्त तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय, श्योपुर में डिजीटल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी मशीन क्रय करने के लिए सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, श्योपुर के द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई थी परन्तु दोनों मशीनों की दरे मात्र दो फर्मों से प्राप्त हुई थी । अत: उक्त निविदाओं को निरस्त करना पड़ा, जिस कारण उपरोक्त मशीने स्थापित नहीं की जा सकी । समय पर कार्यवाही न करने के कारण सिविल सर्जन, श्योपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हिमोडायलिसिस मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है । (ख) जी नहीं । जिला चिकित्सालय, श्योपुर में वर्तमान में 300 एम.ए. की दो एक्स-रे मशीन एवं एक पोर्टेवल अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन क्रियाशील है । उक्त मशीनों से अस्पतालों में लाए गए मरीजों की नि:शुल्क जांच की जा रही है । अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के कल्याण हेतु चिन्हित ग्राम

41. **(क्र. 1297) श्री विष्णु खत्री :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया तहसील अन्तर्गत कितने ग्रामों/बस्तियों में घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के कल्याण हेतु विभाग ने ग्रामों को चिन्हित किया हुआ है ? बतायें । इनमें कितने व्यक्ति/ग्रामों को विभागीय योजनाओं के द्वारा विगत 2 वर्षों में लाभान्वित किया जा चुका है नाम/ग्राम सहित बतायें ? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 155/2014/भोपाल दिनांक 09.06.2014 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या विभाग 2014-15 वित्त वर्ष में बैरसिया तहसील के चिन्हित ग्रामों में सी.सी. रोड/नाली निर्माण/पेयजल/खेल मैदान/सामुदायिक भवन आदि कार्यों पर राशि व्यय किये जाने हेतु सहमत है यदि हाँ तो विभाग ने कार्य वार क्या प्राक्कलन/कार्य योजना तैयार की है ? यदि नहीं तो प्रश्नकर्ता के पत्र पर 7 माह बाद भी विभाग द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई है इसका कारण स्पष्ट करें एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर, भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक:155/2014, भोपाल दिनॉक 09.06.2014 पर जिला कार्यालय द्वारा प्राक्कलन तैयार कराकर पत्र क्रमांक:2594, दिनॉक 29.10.2014 द्वारा संचालनालय को प्रेषित किये गए । जिसमें विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बाहुल्य बस्ती/मोहल्ला एवं जनसंख्या संबंधी जानकारी अपूर्ण होनें के कारण संचालनालय के पत्र क्रमांक:617, दिनॉक 26.11.2014 एवं स्मरण पत्र क्रमाक:785, दिनॉक 27.01.2015 द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-भोपाल से जानकारी चाही गई है । (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैरसिया तहसील के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी. रोड/नाली निर्माण/पेय जल/सामुदायिक भवन निर्माण आदि कार्यों की पूर्व में प्रेषित कार्य योजना में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बाहुल्य बस्ती/मोहल्ला एवं जनसंख्या संबंधी जानकारी की कमियों की पूर्ति कर जिला स्तर से प्राप्त होनें पर विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत कार्यों हेतु राशि व्यय करनें पर विचार किया जा सकता है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सिविल अस्पताल ब्यावरा में रिक्त पदों की पूर्ति

42. **(क्र. 1311) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या (क्रमांक 3763) दिनांक 18 जुलाई 2014 के उत्तर में सदन में चर्चा के दौरान माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया था कि सिविल अस्पताल ब्यावरा में निश्चेतना में डॉ. सतीश कुमार अहिरवार एवं बाल रोग में डॉ. नेरकी मिनारे को पदस्थ कर दिया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्न दिनांक तक उक्त चिकित्सक सेवाओं हेतु उपलब्ध नहीं हुये और न ही शासन ने कोई अन्य व्यवस्था की है ? साथ ही मेडीसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक की भी व्यवस्था नहीं हुई है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या अतिशीघ्र सभी रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ, संचालनालय के आदेश क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/14/1140 दिनांक 16.07.2014 के द्वारा प्रश्नांकित बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना सि.अ. ब्यावरा की गई थी । (ख) जी हाँ । जी हाँ । (ग) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है । पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है । उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी । चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 1271 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है । चयन सूची प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी । पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

कामर्स विषय के सहायक शिक्षकों को पदोन्नति

43. **(क्र. 1331) श्री जितू पटवारी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में कुल कितने उच्च. माध्य. विद्यालय है ? इनमें से कितने विद्यालयों में कामर्स विषय का अध्यापन करवाया जाता है तथा इन विद्यालयों में कामर्स विषय के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी विद्यालयवार प्रदान करें ? (ख) क्या यह सही है कि विगत वर्ष इंदौर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में सहा. शिक्षक से शिक्षक के पद पर विषयवार पदोन्नति प्रदान की जाकर कला समूह एवं विज्ञान समूह में पदांकित सहा.शिक्षक को ही इसका लाभ प्रदान किया गया है ? कामर्स समूह के सहा. शिक्षकों को किसी भी समूह में शामिल नहीं माना जाकर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है ? यदि हाँ, तो क्यों कारण बतावें एवं नहीं तो पदोन्नति नहीं देने का कारण बतावें ? (ग) क्या विभाग द्वारा कामर्स समूह के सहायक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करते समय एक ही पद पर कार्यरत रहने की शर्त पर नियुक्ति प्रदान की गई थी ? यदि नहीं तो विभाग यह स्पष्ट करें कि इंदौर जिले में पदस्थ कामर्स विषय के सहायक शिक्षकों को पदोन्नति कब प्रदान की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 80 उच्चतर माध्यमिक विघालयों में 66 में कामर्स विषय का अध्यापन कराया जाता है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी नहीं । गणित विषय में 37 एवं विज्ञान विषय में 12 पदों पर पदोन्नति दी गई है । सामाजिक विज्ञान विषय जिसमें गृह विज्ञान एवं कामर्स भी सम्मिलित है, के जिले में पद रिक्त नहीं होने से पदोन्नति नहीं की गई है । (ग) जी नहीं । प्रवर्ग एवं रिक्त पदों पर नियमानुसार पात्रता होने पर पदोन्नति की जाती है । यह एक सतत् प्रक्रिया है । निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

औषधी क्रय की नीति

44. **(क्र. 1332) श्री जितू पटवारी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधी बाजार से क्रय करने का कोई प्रावधान है ? यदि हाँ, तो किस नीति के अंतर्गत क्रय करने के अधिकार किसको प्रदान किये

गये है ? इसके लिये क्या नीति निर्धारित की गई है ? (ख) विगत 3 वर्षों (सत्र 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) में विभाग द्वारा प्रदेश के कौन से जिले को कितनी राशि का आवंटन किया गया है तथा प्रत्येक जिले द्वारा आवंटित राशि में से कितने प्रतिशत राशि व्यय कर औषधी क्रय की गई है ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) क्या यह सत्य है कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों को आवंटित राशि में से 20 प्रतिशत राशि व्यय कर बाजार से औषधी क्रय करने के अधिकार है ? (घ) यदि हाँ, तो कोष एवं लेखा की आडिट रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्षों में इंदौर सहित म.प्र. के अन्य जिलों द्वारा उपरोक्त नीति के तहत आवंटित की गई राशि में से 40 से 65 प्रतिशत राशि व्यय कर औषधी क्यों क्रय की गई है ? (ड.) क्या विभाग द्वारा क्रय करने वाले अधिकृत दोषी स्वास्थ्य अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है या कोई कार्यवाही की जावेगी ? ऐसे दोषी स्वास्थ्य अधिकारियों के नाम, पद एवं पदस्थापना सहित जिलेवार जानकारी प्रदान करें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विभाग द्वारा औषधि का क्रय दवा नीति 2009 के प्रावधान के अन्तर्गत किया जाता है । विकेन्द्रीयकृत क्रय नीति में आवंटित बजट का 80 प्रतिशत निर्धारित दरों पर एवं 20 प्रतिशत निविदा आमंत्रित कर स्थानीय स्तर पर दवा का क्रय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा किया जाता है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) जी नहीं । बाजार से औषधी क्रय का अधिकार नहीं है अपितु निविदा आमंत्रित कर स्थानीय स्तर पर दवा का क्रय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा किया जाता है । (घ) निर्धारित की गई दरों के निर्माताओं द्वारा अपरिहार्य कारणों से दवा प्रदाय में विलंब अथवा दवा प्रदाय नहीं करने पर, जिला अधिकारियों द्वारा चिकित्सालयों में उपचार हेतु दवाईयों की उपलब्धता बनाये रखने के लिये दवा नीति के अंतर्गत आकस्मिक आवश्यकता के कारण उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर 20 प्रतिशत से अधिक क्रय किया जाता है । (ड.) 20 प्रतिशत से अधिक राशि का क्रय बिना सक्षम अनुमति के जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है उनकी जाँच की जायेगी एवं जाँच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट - "सोलह"

श्रमिकों का शोषण

45. **(क्र. 1346) श्री राजेन्द्र मेश्राम :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही हे कि जिला सिंगरौली के अंतर्गत स्थापित त्रिमुला इण्डस्ट्रीज लिमिटेड गोदवाली में प्रबंधन द्वारा कार्यरत श्रमिकों से 12 घण्टे कार्य के बदले लगभग मात्र 6000/- रूपये मासिक मजदूरी का ही भुगतान किया जाता है, श्रमिकों का स्क्रीनिंग नहीं है, गेट पास नहीं है, श्रमिकों को वेतन पर्ची एवं एम्पलायमेंट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, ई.पी.एफ. एवं स्वास्थ्य इत्यादि के संबंध में कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है ? (ख) यदि हाँ, तो शासन प्रशासन द्वारा इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की जावेगी ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं । तथापि इस इण्डस्ट्री में कार्यरत एक ठेका कंपनी संजय एंटरप्राईजेस के निरीक्षण के दौरान 13 श्रमिकों से ओवर टाईम कार्य लिये जाने एवं नियोजन पर्ची व वेतन पर्ची नहीं दिये जाने बाबत् उल्लंघन पाया गया था । कंपनी में ई.पी.एफ. की सुविधा केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सुनिश्चित की जाती है । केन्द्रीय शासन के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु निगम द्वारा अभी सिंगरौली को अधिसूचित नहीं किया गया है । कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है । (ख) श्रम कार्यालय द्वारा ठेका कंपनी के विरूद्ध प्रश्नांश क में उल्लेखित उल्लंघनों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 तथा संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये है ।

रोगी कल्याण समिति सतना के कार्यकर्ताओं को मानदेय हेतु भुगतान

46. **(क्र. 1379) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के जिला चिकित्सालय सतना में पदस्थ रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को मानदेय भुगतान करने हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक 2616 दिनांक 15.05.2013 द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य म.प्र. शासन भोपाल को बजट आवंटन की मांग के आधार पर बजट उपलब्ध कराया गया है या नहीं ? (ख) क्या यह सही है कि संचालनालय द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध नहीं कराने से रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को मानदेय भुगतान करने में दिक्कत हो रही है ? क्या प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा जिला चिकित्सालय सतना के भ्रमण के दौरान चिकित्सालय में आने वाले किसी भी प्रकार के रोगी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिये जाने के निर्देश दिये गये थे जिस कारण रोगी कल्याण समिति द्वारा निर्धारित यूजर्स राशि शून्य हो गई है, जबकि इसी राशि से रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को मानदेय दिया जाता था ? (ग) क्या वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु बजट का मांग पत्र 95.00 लाख की आवश्यकता को देखते हुये प्रस्ताव संचालनालय को भेजा गया है यदि हाँ तो उक्त बजट कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? समय सीमा बतायें ? (घ) क्या तत्कालीन कलेक्टर सतना द्वारा भी दिनांक 27.07.2014 को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से रोगी कल्याण समिति के 51 कार्यकर्ता के मानदेय भुगतान हेतु बजट की मांग की गई है ? क्या उक्त राशि जिला चिकित्सालय सतना को उपलब्ध कराई गई यदि नहीं तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ? समय सीमा बताऐं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । (ख) जी नहीं । रोगी कल्याण समिति की बचत राशि से भुगतान किया जा रहा है । जी हाँ । रोगी कल्याण समिति की बचत राशि से भुगतान किया जा रहा है । (ग) जी हाँ । विभाग में रोगी कल्याण समितियों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय देने हेतु बजट को कोई प्रावधान नहीं होता है । प्रश्न

उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हाँ । जी नहीं । रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान हेतु राज्य बजट में कोई प्रावधान नहीं है । प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

बटियागढ़ वन क्षेत्र में वनभूमि का पट्टा आवंटन

47. **(क्र. 1487) श्री लखन पटेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह वन मंडल के अन्तर्गत बटियागढ़ वीट में कितने व कौन-कौन से ग्रामवासियों को वन भूमि का पट्टा आवंटन किया गया है ? (ख) कितने ग्रामवासियों को पट्टा वितरण की कार्यवाही प्रक्रिया में है ? (ग) यदि पट्टा आवंटन के पात्र ग्रामवासी हैं, तो कब तक वन भूमि का पट्टा आवंटित किया जावेगा ? (घ) उपरोक्त ग्रामों में जिन ग्रामवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है, उनकी सूची देवें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत कोई भी दावे प्राप्त न होने के कारण वन भूमि के हक प्रमाण पत्र नहीं दिए गए है । (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति

48. **(क्र. 1526) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें कितने चिकित्सक कार्यरत हैं एव कितने पद रिक्त है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित रूप से क्या चिकित्सकों की नियुक्ति की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा बतावें ? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है । चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा 1271 पदों के लिए जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी । पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "सत्रह"

सीहोर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन

49. **(क्र. 1538) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में कितने सिविल एवं सामुदायिक अस्पताल हैं ? वर्ष

2012, 2013 एवं 2014 में इन अस्पतालों की बाह्य रोगी (ओ.पी.डी) एवं अंत: रोगी (इन्डोरी पेशेन्ट) की संख्या केंन्द्रवार, महीनेवार कितनी थी ? ब्यौरा दें ? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इछावर में बाह्य रोगी एवं अंत: रोगी की संख्या के हिसाब से पर्याप्त व्यवस्था है ? क्या इस केन्द्र में आने वाले मरीजों के हिसाब से बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है ? (ग) प्रश्नांश (ख) अस्पताल भवन कब निर्मित हुआ था ? स्टाफ क्वाटर्स एवं भवन की स्थिति आज कैसी है ? क्या यहाँ पर कार्यरत कर्मियों की संख्या सरकारी मापदण्ड के अनुसार है ? (घ) क्या अस्पताल के उन्नयन का प्रस्ताव लंबित है ? अगर हाँ तो कब तक इसका उन्नयन किया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सीहोर जिले में 01 सिविल अस्पताल एवं 09 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है । शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हाँ । जी हाँ । (ग) मूल भवन 1952 में निर्मित हुआ था । वर्ष 1980 एवं 2012 में इसका विस्तार किया गया । वर्तमान में चिकित्सालय के भवन की स्थिति अच्छी है । स्टाफ क्वाटर्स की स्थिति ठीक नहीं है । निर्धारित मापदण्ड अनुसार संस्था में पद स्वीकृत है, परन्तु प्रदेश में चिकित्सकों, पैरामैडिकल स्टाफ की कमी के कारण कुछ पद रिक्त है । तथापि कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों द्वारा संस्था में आ रहे समस्त रोगियों को स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही है । (घ) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शा. हाई स्कूल मुस्करा का उन्नयन

50. **(क्र. 1539) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इस वर्ष इछावर विधान सभा के मुस्करा गांव के हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया ? (ख) अगर नहीं, तो इस विषय में विभाग के पास जिला स्तर से कोई प्रस्ताव लम्बित था ? किन कारणों से मुस्करा स्कूल का उन्नयन नहीं किया गया ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) स्कूल उन्नयन के लिए जारी दिशा निर्देशों को पूरा करता है ? (घ) सीहोर जिले की इछावर विधानसभा के सीहोर ब्लाक में कितने हायर सेकण्डरी स्कूल हैं ? क्या यह संख्या पर्याप्त है ? अगर नहीं, तो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कहाँ-कहाँ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की जरूरत है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । (ख) वर्ष 2014-15 में प्रावधानित सभी 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन आदेश जारी किये गए है । वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रति वर्ष सीमित संख्या में ही उन्नयन संभव हो पाता है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी हाँ । निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र है । (घ) सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र के सीहोर ब्लाक में 3 हायर सेकेण्डरी स्कूल है । उन्नयन की पात्रता मुख्यतः निकट शाला की दूरी, पोषित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या तथा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है । इन मापदण्डों के आधार पर स्कूलों के पात्रता की

स्थिति प्रतिवर्ष परिवर्तनशील है इसलिये उन्नयन की पात्रता के लिये जिस वर्ष निर्णय लिया जाना है, उस वर्ष की स्थिति ज्ञात करना होती है । सीमित वित्तीय संसाधन के कारण सभी पात्र शालाओं का उन्नयन संभव नहीं हो पाता है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

भवन निर्माण में अनियमितता

51. **(क्र. 1547) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2010 के पश्चात आदिम जाति विभाग द्वारा कितने भवन का निर्माण कहाँ-कहाँ सैलाना विधानसभा क्षेत्र में कराया गया ? इनमें से कितने पूर्ण हो चुकें हैं, तथा कितने निर्माणाधीन है ? (ख) प्रश्नांश (क) से संदर्भित उक्त भवनों के निर्माण की राशि, कार्य करने वाले ठेकेदार/कंपनी का नाम, निर्माण की अवधि तथा किस शासकीय अधिकारी की देखरेख में ये भवन बने या बन रहे हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित इन भवनों की घटिया निर्माण एवं अनियमितता को लेकर कब-कब किस-किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गयी इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) 01 जनवरी 2010 के पश्चात विभाग द्वारा सैलाना विधानसभा क्षेत्र में अन्तर्गत 20 कार्य स्वीकृत किये गये । इनमें से 05 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 15 कार्य निर्माणाधीन हैं । भवन निर्माण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है** (ग) भवनों के घटिया निर्माण एवं अनियमितता के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित में कोई शिकायत नहीं की गई है । अत: कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "अठारह"

कर्मचारियों की पद पूर्ति

52. **(क्र. 1548) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक NRHM के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्य, उपकरण एवं अन्य सामग्री सैलाना विधान सभा क्षेत्र में खर्च की गयी ? (ख) प्रश्नांश (ख) से संदर्भित निर्माण कार्य एवं सामग्री को लेकर कब-कब कितनी-कितनी शिकायतें विभाग के पास लम्बित है ? क्या खरीदे गये उपकरणों को चलाने वाले आपरेटर विभाग के पास है ? यदि हाँ, तो उनके नाम बतायें ? (ग) सैलाना, बाजना चिकित्सालय में कितने चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत है ? कितने कार्यरत है तथा कितने रिक्त है, उन्हें कब तक भरे जाएंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक एन.आर.एच.एम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवन में 75.97 लाख रू. तथा सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र बाजना में एन.आर.सी. के निर्माण कार्य हेतु 17.56 लाख रू. का व्यय किया गया था । कम्प्यूटर, लैपटाप, प्रिन्टर उपकरण तथा दवाईयां व कन्स्यूमेबल सामग्रियों क्रय की गई । उपकरण दवाईयां एवं कन्स्यूमेबल सामग्रियों के खर्च की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	वर्ष	व्यय राशि
1	2010-2011	निरंक
2	20111-2012	निरंक
3	2012-2013	6309517.00
4	2013-2014	12604363.00
5	2014-15	3541626.00

(ख) किसी भी प्रकार की शिकायतें विभाग के पास लंबित नहीं है । जी हाँ । खरीदे गये कम्प्यूटर, लैपटाप एवं प्रिंटर को चलाने वाले आपरेटरों के नाम श्री प्रेमसिंह चौहान, श्री इरफान खान, सुश्री किरण वाला एवं श्री दीपक परमार है । (ग) सैलाना, बाजना चिकित्सालयों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी है । पूर्ति हेतु निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

ब्लेक बोर्ड की रंगाई पुताई के कार्यों की जांच

53. **(क्र. 1560) श्री मधु भगत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में ब्लेक बोर्ड की रंगाई-पुताई के कार्य हेतु बालाघाट जिले में किस-किस को तथा कितनी राशि के ठेके दिये गये ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार ब्लेक बोर्ड की रंगाई पुताई हेतु अलग-अलग स्कूलों से भी अलग से बिल निकलवा लिये गये ? बालाघाट जिले के स्कूलों के नाम तथा इस हेतु निकाली गयी राशि की स्कूलों के नाम सहित संपूर्ण जानकारी दें ? (ग) क्या ब्लेक बोर्ड कि रंगाई पुताई के संबंध में लोकायुक्त की कोई जॉच चल रही है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । कोई ठेका नहीं दिया गया । वर्ष 2010-11 में क्लासिक ट्रेडर्स एंव आदिनाथ ट्रेडर्स द्वारा 149 शालाओं में ब्लेक बोर्ड की रंगाई पुताई का कार्य किया गया जिसमें से क्लासिक ट्रेडर्स, उज्जैन को 15 विद्यालयों में इस कार्य हेतु रूपये 1,10,799/- का भुगतान किया गया । (ख) जी नहीं । उत्तरांश "क" अनुसार भुगतान की गई राशि की विद्यालयवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) जी हाँ ।

परिशिष्ट - "बीस"

शास. बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज में पी.जी. कक्षाएं प्रारंभ की जाना

54. **(क्र. 1576) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शास. बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में पी.जी. (स्नातकोत्तर) कक्षाएं शुरू हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पी.जी. कक्षाएं कब प्रारंभ की जायेगी, समय-सीमा बतावें ? (ख) क्या शासन शास. बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर से उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सकों को अनिवार्य सेवा हेतु नवीन मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों के विरूद्ध सेवा देने हेतु विचार करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) म.प्र. के किन-किन मेडिकल कॉलेज में वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस उपलब्ध हैं ? (घ) क्या शासन शास. बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इसको अविलंब उपलब्ध कराने पर विचार करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वर्तमान में संचालित नहीं है । निश्चित समयावधि दी जाना संभव नहीं है । (ख) नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने पर मेरिट एवं उपयोगता के अनुसार सभी चिकित्सकों को समान अवसर मिलेगा इसमें बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सक भी सम्मिलित हैं । (ग) इन्दौर एवं ग्वालियर में उपलब्ध है । (घ) बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वेन्टीलेटरयुक्त एम्बूलेंस उपलब्ध नहीं हैं । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगा ।

शास. बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज में केजुल्टी की नियुक्ति

55. **(क्र. 1577) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शास. बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में कुल कितने विभागों को संचालित कराने का प्रावधान है ? इसमें से कितने विभाग शुरू हो गये हैं एवं कितने विभाग शेष हैं ? शेष विभाग कब तक प्रारंभ होंगे ? (ख) बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में तकनीशियन एवं लेब अटेंडेंट के कितने पद स्वीकृत हैं, तथा कितने पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं, कितने पद रिक्त हैं ? शेष रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक की जायेगी ? (ग) क्या सागर नगर के शास. बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज में आपात चिकित्सा (केजुल्टी) मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हो गई है, हाँ या नहीं ? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर विचार करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल एवं नान क्लिनिकल के 22 विभागों को संचालित कराने का प्रावधान है । सभी विभाग संचालित है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में लेब टेक्नीशियन के 68 पद स्वीकृत है जिनमें से 31

पद भरे हुए हैं । 31 में से 28 पद पर नियुक्तियों का प्रकरण न्यायालय में लंबित है एवं शेष 37 पदों में से 24 पद सीधी भर्ती कोटे के है उन्हे व्यापम के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया की जा रही है एवं 13 पद पदोन्नति के है । इसी तरह लैब अटेंडेंट के 31 पद स्वीकृत है जिनमें से 14 पद भरे है एवं शेष 17 पदों को व्यापम के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है । (ग) शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में आपात चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है । (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शिक्षकों का स्थानांतरण एवं संलग्नीकरण

56. **(क्र. 1586) श्री दिनेश राय (मुनमुन)** : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा किन-किन सहायक शिक्षकों, सहायक अध्यापकों, अन्य श्रेणीवार शिक्षकों के कितने स्थानांतरण किये गये हैं ? विकासखण्डवार सूची देवें ? (ख) क्या शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के तहत शिक्षकों से गैर शासकीय/लिपिकीय कार्य लिये जाने के आदेश हैं ? यदि नहीं, तो क्या इससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है ? सिवनी जिले में वर्तमान में ऐसे कितने शिक्षक हैं, जो शासकीय कार्यालयों में गैर शासकीय/लिपिकीय कार्य कर रहे हैं ? क्या ऐसे शिक्षकों को शासन पुन: उनकी मूल शाला में अध्यापन कार्य कराने हेतु भेजेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है** । (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में शैक्षणिक कार्य, जनगणना, चुनाव आदि कार्यो में शिक्षकों को लगाया जा सकता है । सिवनी जिले में गैर शासकीय/लिपीकीय कार्य में कोई शिक्षक संलग्न नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

मलेरिया विभाग सिवनी में पाउडर खरीदी

57. **(क्र. 1587) श्री दिनेश राय (मुनमुन)** : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सिवनी के अंतर्गत मलेरिया विभाग में पिछले पांच वर्षों में मच्छर मारने के लिए पाऊडर खरीदी हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस दिनांक को आवंटित की गई ? आवंटित राशि से प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में किस फर्म से पाऊडर क्रय किया गया ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त पाऊडर की मारक क्षमता अथवा तीव्रता के क्या मापदण्ड हैं ? उक्त पाऊडर क्रय हेतु क्या कोई निविदा आमंत्रित की जाती है अथवा सीधे तौर पर किसी भी फर्म से क्रय कर ली जाती है ? स्पष्ट करें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के दौरान मलेरिया विभाग के अंतर्गत आवंटित राशि किन-किन मदों में व्यय की गई है ? वर्षवार ब्यौरा दें ? (घ) जिला चिकित्सालय सिवनी में रक्त परीक्षण हेतु किस-किस बीमारी के लिए

व्यवस्था है ? वर्तमान में किन-किन आधुनिक उपकरणों से रक्त का परीक्षण किया जा रहा है ? साथ ही यह भी बतावें कि सिवनी चिकित्सालय में स्थित परीक्षण केन्द्र (पैथालॉजी) के उन्नयन करने की शासन की क्या योजना है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय सिवनी के अंतर्गत मलेरिया विभाग में विगत पांच वर्षो में मच्छर मारने के लिये पाउडर खरीदी हेतु राशि का आवंटन नहीं किया गया है । (ख) एवं (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जिला चिकित्सालय, सिवनी में रक्त परीक्षण हेतु जिन-जिन बीमारियों के लिये व्यवस्था उपलब्ध है उनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** वर्तमान में जिन आधुनिक उपकरणों से परीक्षण किया जाता है, उनकी जानकारी **संलग्न परिशि**ष्ट अनुसार है वर्तमान में परीक्षण केन्द्र के उन्नयन की कोई योजना लंबित नहीं है ।

परिशिष्ट - "बाईस"

कटनी जिले में शिक्षकों की कमी

58. **(क्र. 1626) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितनी शालाएं कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से कक्षा 12 शिक्षक विहीन है ? (ख) कटनी जिले में कक्षा 1 से 8 में आर.टी.आई के मान से कितने शिक्षको की कमी है ? (ग) आर.टी.आई के मान से इन पदों को भरने के अंतिम समय-सीमा क्या है ? क्या यह समय सीमा पूरी हो गई हैं ? क्या इस शैक्षणिक सत्र में कमी पूरी की जायेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कटनी जिले में 11- प्राथमिक शाला, 66-माध्यमिक शाला, 04- हाईस्कूल एवं 01- हायर सेकेण्ड्री स्कूल शिक्षक विहीन है । (ख) कक्षा 1 से 8 में आर.टी.आई. के मान से 1370 शिक्षकों की कमी है । (ग) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

वक्फ सम्पत्ति का विनिमय

59. **(क्र. 1638) श्री आरिफ अकील :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विदिशा जिले में स्थित वक्फ इस्लामिया मदरसा कुरवाई जिला विदिशा की संपत्ति जिसका रकबा 4.633 है. लागत लगभग 7 करोड 70 लाख थी का विनिमय निजी भूमि उक्त तीन खसरा नं. जिसका रकबा 6.280 हैक्टेयर लागत लगभग 75, 98, 000 थी ? वक्फ बोर्ड के अवैध आदेश के अधार पर तत्कालीन कलेक्टर ने अभिलेखों में उसका क्रियान्वयन कराया था ? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर तत्कालीन कलेक्टर विदिशा इस वक्फ भूमि के व्यवस्थापक के रूप में दर्ज थे ? यदि हाँ, तो उक्त अवैध विनिमय आदेश को क्रियान्वित किये जाने के कलेक्टर आदेश दिनांक 26.10.2010 में उप पंजीयक, तहसीलदार एवं अनुविभागीय

अधिकारी के प्रतिवेदनों में उल्लेख किया था कि वक्फ भूमि जिसके व्यवस्थापक कलेक्टर है, का मूल्य 7.50 करोड़ तथा विनिमय किये जाने वाली भूमि मात्र 77 लाख 98 हजार है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि कलेक्टर के संज्ञान में यह हानिकारित करने वाले प्रकरण प्रकाश में आ जाने के पश्चात भी उनके द्वारा भ्रष्टाचार अवैध रूप से भू-अभिलेखों में सुधार किये जाने के आदेश जारी किये है ? इस प्रकार वक्फ संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले दोषी कलेक्टर विदिशा के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक की जावेगी ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विदिशा जिले में स्थित वक्फ इस्लामिया मदरसा कुरवाई जिला विदिशा की सम्पत्ति जिसका रकबा 4.633 हेक्टेयर निजी भूमि के तीन खसरे नंबर 1949, 1950, 1951/1 रकबा 6.280 हेक्टेयर म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा जारी विनिमय आदेश क्रमांक 10/4777 दिनांक 22/06/2010 के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर विदिशा ने भू-अभिलेखों में प्रविष्ट कराये जाने का आदेश अपने प्रकरण क्रमांक 137/आर-6/09-10/कुरवाई दिनांक 26/10/2010 के द्वारा कराया । (ख) उक्त वक्फिया भूमि पर कलेक्टर विदिशा व्यवस्थापक के रूप में भूमि अभिलेख में दर्ज थे । कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 137/अ-6/09-10/कुरवाई दिनांक 26/10/2010 ने उप पंजीयक के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 137/आर-6/09-10 कुरवाई में अंकित प्रतिवेदन दिनांक 11/10/2010 में उल्लेख किया था कि उप पंजीयक ने दोनों भूमि की मौका जांच कर वक्फ की भूमि रकबा 4.683 हेक्टेयर का बाजार मूल्य 1680 /- रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से 7,77,92,400 /- रूपये होना प्रतिवेदित किया तथा निजी भूमि की कीमत 75,98,800 /- रूपये मूल्य की दर्शाई थी । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरवाई ने अपने प्रकरण क्रमांक 13 बी. 121 प्रतिवेदन दिनांक 20/10/2011 में वक्फ की सम्पत्ति का मूल्य 7,77,92,400 /- रूपये दर्शाया था तथा अंतर की राशि 7,01,93,600 /- वक्फ बोर्ड को भुगतान करने की दशा में विनिमय करने की आगामी कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था । (ग) परीक्षण किया जा रहा है, समयावधि बताना संभव नहीं है ।

<u>वक्फ संपत्ति इस्लामिया मदरसा कुरवाई का अवैध विनिमय</u>

60. **(क्र. 1640) श्री आरिफ अकील :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला विदिशा स्थित वक्फ संपत्ति इस्लामिया मदरसा कुरवाई की अवैध विनिमय के मामले में ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा दोषी अधिकारी एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है एवं शासन स्तर पर जांच संस्थित की गई है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पदस्थ अधिकारियों द्वारा आरोपी अधिकारी को यह कह कर क्लीनचिट दी गई थी कि किया गया विनिमय सदभावना पूर्ण व जनहित में है और इसमें आर्थिक लेनदेन नहीं हुआ है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा क्लीनचिट देने वाले अधिकारियों को इस प्रकरण में सह अभियुक्त बनाया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सी.ई.ओ. श्री दाउद अहमद खान के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित कर दी गई है । (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी आरोपी को बचाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अपात्र व्यक्ति को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना

61. **(क्र. 1641) श्री आरिफ अकील :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पदस्थ उपसंचालक को कानूनी निर्धारित योग्यता व पात्रता नहीं होने के बाद भी उन्हें म.प्र. हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी को पात्रता नहीं होने के बावजूद म.प्र. वक्फ बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था जिसे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पृथक करना पड़ा था ? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह सही नहीं है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड ने म.प्र. हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर आसीन के परिवार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके पिता के पक्ष में वक्फ दरगाह बुहारूद्दीन ग्राम कलियादेव उज्जैन की भूमियों पर डीनोटिफिकेशन करा दिया था ? (घ) यदि हाँ, तो क्या यह सही नहीं है कि उक्त अधिकारी ने अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर शासन को हानि पहुंचाते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध है ? यदि हाँ, तो उक्त मामला शासन के संज्ञान में आने के बाद भी दोषी अधिकारी को बचाने में विभाग के कौन-कौन अधिकारी सक्रिय है ? उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) राज्य प्रशासनिक सेवा के मुस्लिम अधिकारी की सेवायें उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्णत: अस्थाई रूप से संचालनालय के मुस्लिम उप संचालक को प्रभार सौंपा गया है । (ख) जी हाँ । (ग) तत्कालीन सी.ई.ओ. द्वारा डिनोटीफिकेशन कराया गया । (घ) ऐसा मामला वक्फ बोर्ड द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया, जो कि परीक्षणाधीन है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्वीकृत कार्यों के लिए राशि का आवंटन

62. **(क्र. 1666) श्री संजय पाठक :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग को वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में किन-किन एवं कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) कब-कब आवंटित की गई ? पृथक-पृथक ब्यौरा दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) आवंटित राशि में से विजयराघवगढ़ क्षेत्र को उपेक्षित रखा जाकर अन्य क्षेत्रों की तुलना में आधे से भी कम कार्य स्वीकृत किये गये ? यदि हाँ तो इस हेतु कौन-कौन दोषी है ? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें ? (ग) प्रश्नांश (क) जिले से कितने कार्य आगामी बजट में शामिल किये जाने हेतु शासन/विभाग को भेजे गये प्रश्नांश (क) के अनुसार सूची दें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** (ख) जी नहीं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है** (ग) प्रश्नांश अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अपात्रों को योजना का लाभ

63. **(क्र. 1668) श्री संजय पाठक :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जबलपुर जिले की सिहोरा, मझौली, पनागर तहसील के लोगों को बीड़ी श्रमिक आवास योजना की राशि से उपकृत किया जाता है ? यदि हाँ तो विगत 5 वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत किन-किन को कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर प्रदाय की गई ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) योजना कटनी जिले के बीड़ी श्रमिकों हेतु भी लागू है ? यदि हाँ तो विजयराघवगढ़ एवं कटनी जिले में कितने हितग्राहियों को उक्त योजना का लाभ दिया गया ? (ग) क्या प्रश्नाधीन वर्षों में श्री सुनील श्रीवास्तव श्रम निरीक्षक मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रम मंत्रालय भारत सरकार को कार्ड संबंधी शपथ-पत्र एवं जानकारी उपलब्ध कराई गई है ? (घ) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) तहसीलों में कल्याण आयुक्त द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से एक ही परिवार के अनेक लोगों को तथा अपात्र लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया गया है ? (ड.) प्रश्नांश (घ) यदि हाँ तो क्या प्रमुख सचिव श्रम विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं को उजागर करने हेतु केन्द्रीय जाँच एजेंसियों को जाँच हेतु अनुशंसा की जावेगी ? नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) योजनांनर्गत मध्यप्रदेश के किसी भी जिले या तहसील को अनुदान राशि में उपकृत नहीं किया जाता है । किसी भी जिले या तहसील से कितने आवेदन स्वीकृत होना चाहिए इसकी सीमा योजनांतर्गत निर्धारित नहीं है, अतः किस जिले या तहसील से कितने आवेदन स्वीकृत होते है इसका आधार प्राप्त होने वाले आवेदन होते है । यह सत्य है कि जबलपुर जिले की उल्लेखित तहसीलें बीड़ी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण प्राप्त होने वाले आवेदन की संख्या अधिक होती है । सूचनार्थ उल्लेख है कि विगत 05 वर्षों में जबलपुर जिले में कुल 6124 आवेदन स्वीकृत किये गये है । वर्षवार एवं व्यक्तिवार स्वीकृत आवेदन एवं राशि की जानकारी कल्याण आयुक्त, भारत सरकार द्वारा संधारित नहीं होने से प्रदान नहीं की गई । (ख) हाँ । श्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित आवास योजना न सिर्फ कटनी बल्कि मध्यप्रदेश के सभी जिलों के बीड़ी श्रमिकों हेतु समान रूप से लागू है । जैसा की बिन्दु क्रमांक (क) में उल्लेखित है, योजना का लाभ दिया जाना प्राप्त होने वाले आवेदनों पर निर्भर करता है, चूंकि विजयराघवगढ एवं कटनी तहसीलो से आवास योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त न होने के कारण श्रमिको को लाभ प्रदान नहीं किया जा सका । जहाँ तक कटनी जिले का प्रश्न है, ढीमरखेडा, बहोरीबंद आदि तहसीलों से कुल 2103 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 541 आवेदन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मंत्रालय भेजे जा रहे है । (ग) प्रश्नाधीन वर्षो में श्री सुनील श्रीवास्तव, श्रम निरीक्षक द्वारा कार्ड संबंधी कोई भी

शपथ पत्र या जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है अपितु सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक ज, सं, ज/भ/सं/2011/940 दिनांक 30.03.2012 के माध्यम से कार्यालय को सूचित किया गया था, कि श्री सुनील श्रीवास्तव द्वारा मात्र सिहोरा तहसील के कार्ड बनाये गये है व फर्जी कार्ड बनाने वाले उनके हू-बहू फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सिहोरा तहसील सहित पाटन, कटनी, जबलपुर में फर्जी कार्ड बनाने का कार्य कर रहे है वर्ष 2004 में बने कार्डो को काफी समय हो गया है तथा फर्जी कार्डों के कारण सही कार्डों की पहचान करना संभव नहीं है । चूंकी कार्ड जारीकर्ता द्वारा असली तथा जाली कार्ड की पहचान संभव नहीं हो पा रही थी अतः उनके द्वारा जारी किये गये तथा उनके हस्ताक्षर से मिलते जुलते परिचय पत्रों पर संगठन की किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु कार्यालय द्वारा रोक लगा दी गयी थी जो कि अब तक बरकरार है । (घ) यह सत्य नहीं है । उल्लेख है कि प्राप्त आवेदनों की जांच कार्यालयीन स्तर पर करने के उपरान्त प्रकरणों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है, अतः यह संभावना नहीं होती है कि योजना का लाभ अपात्र लोगों को मिले । **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में इसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी प्रश्नकर्ता को मंशानुरूप केन्द्रीय श्रम आयुक्त के ध्यान में प्रश्न के तथ्य लाये जावेंगे ।

<u>दवा की खरीदी</u>

64. **(क्र. 1674) श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य विभाग दवाओं की खरीदी व उसकी गुणवत्ता की तकनीकी परामर्श एक एन.जी.ओ./संस्था से लेता है ? यदि हाँ, तो उस संस्था का नाम-पता बताते हुए यह जानकारी दें कि उसे इस कार्य के बदले कितना भुगतान किया जाता है ? (ख) क्या यह सच है कि दवा खरीदने के पूर्व उस दवा का परीक्षण अनिवार्य है, ताकि उसके मानक और अमानक होने की जानकारी प्राप्त हो सके ? यदि हाँ, तो वर्ष 2012, 13 व 14 में मानक/अमानक की रिपोर्ट आने के पूर्व ही दवाएं क्यों खरीदी गई ? कारण दें ? नियम बताएं ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या यह सच है कि विभाग ने लघु उद्योग निगम के माध्यम से मानक/अमानक की रिपोर्ट आने के पूर्व ही खरीदकर बांट दी गई, जिसमें 147 दवाएं अमानक थी ? यदि हाँ, तो इसके लिये किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं ? जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) के तहत क्या अमानक स्तर की दवा खरीदी पर विभाग ने सिर्फ सप्लायरों पर ही कार्यवाही की है, जबकि दोषी अधिकारियों पर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? क्या अब की जायेगी ? यदि हाँ, तो क्या और कब ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं की खरीदी व गुणवत्ता का तकनीकी परामर्श किसी एन.जी.ओ./संस्था से नहीं लिया जाता है । खरीदी गई दवाओं का क्रय एवं गुणवत्ता निर्धारण दवा नीति 2009 के प्रावधानों अनुसार तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है । (ख) जी हाँ । औषधि नीति तथा निविदा शर्तो के अनुसार सर्वप्रथम निर्माता को प्रदाय के पूर्व अपनी लैब में परीक्षण कराना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत लैब में करायें

जाने का प्रावधान है इसके उपरान्त औषधी प्राप्त होने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन के द्वारा चिन्हित प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2012, 13, एवं 14 में अमानक औषधियां क्रय नहीं की गई । प्रदाय उपरान्त कतिपय औषधियां अमानक पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है । (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित वर्षों में विभाग द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से दवाओं का क्रय नहीं किया गया है । 147 दवाओं के अमानक होने की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है । 147 में से मात्र 04 दवायें विभाग द्वारा क्रय की गई थी जिनकी एन.ए.बी.एल. एक्रीडिटेड लेब की टेस्ट रिपोर्ट मानक स्तर की प्राप्त होने के कारण जिलों द्वारा वितरित की गई । अतः अधिकारियो के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) परीक्षण पश्चात दवा अमानक स्तर की पाये जाने पर सप्लायर/निर्माता के विरूद्ध निविदा शर्त अनुसार कार्यवाही की जाती है । 'ग' के परिपेक्ष में अधिकारियो के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नमूनों की जांच

65. **(क्र. 1675) श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भोपाल शहर के किस-किस रेस्टोरेन्ट/होटल/अन्य से खाद्य पदार्थों से नमूने लिए ? रेस्टोरेंट/होटल/अन्य नाम-पतावार, खाद्य पदार्थ के नामवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत किस रेस्टोरेंट/होटल/अन्य के बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ में मिलावट पायी गई ? रेस्टोरेंट/होटल/अन्यवार, खाद्य पदार्थ के नामवार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत मिलावट पाये जाने पर प्रश्न दिनांक तक उक्त रेस्टोरेंट/होटल/अन्य के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जानकारी दें ? (घ) एक ही होटल/रेस्टोरेंट/अन्य से खाद्य पदार्थ का नमूना कितने अंतराल के बाद लेने का नियम है ? क्या भोपाल शहर के सभी होटल/रेस्टोरेंट/ अन्य में नमूना हमेशा नियम अनुसार लिया जाता है ? ऐसे कितने होटल/रेस्टोरेंट हैं जिनसे खाद्य पदार्थों का नमूना 1 जुलाई 2014 से प्रश्न दिनांक तक नहीं लिया ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" के कॉलम-5 एवं 6 के अनुसार है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ के कॉलम-7 अनुसार है** । (घ) खाद्य पदार्थों के एक ही प्रतिष्ठान से कितने अंतराल पर नमूने लिया जाना है, इसके संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं तदधीन बने नियम/विनियम, 2011 में कोई प्रावधान निहित नहीं है । भोपाल जिले में अधिनियम/नियम/विनियम में निहित प्रावधान अनुसार ही नमूने लिये जाते हैं । 1 जुलाई, 2014 से प्रश्न दिनांक तक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ"** में दर्शित होटल /रेस्टोरेंट के अतिरिक्त भोपाल शहर में किसी अन्य होटल/रेस्टोरेंट से नमूने संग्रहित नहीं किये गये हैं ।

शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण

66. **(क्र. 1728) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत शालाओं में अध्ययनरत बच्चों के नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु क्या कोई योजना संचालित है ? यदि है तो क्या ? और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ? (ख) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कोई ठोस कार्यक्रम न बनाये जाने के कारण वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला सागर के किसी भी स्कूली बच्चे का न तो नेत्र परीक्षण ही किया गया न ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ? इस हेतु कौन उत्तरदायी है और उसके विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) यदि नहीं तो बतावें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्ष 2014-15 में सागर जिले के कितने-कितने केन्द्रों पर कितने-कितने बच्चों के नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण किये गये ? इनमें से कितने बच्चों को किस चिकित्सालय में नेत्र सर्जरी हेतु, चिकित्सा हेतु और स्वास्थ्य हेतु विशेष उपचार की व्यवस्था करायी गयी ? (घ) यदि हाँ तो बतावें चिन्हित बच्चों में से कितने-कितने बच्चों को कहाँ-कहाँ नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था करायी ? कितने बच्चों को नि:शुल्क चश्मों का वितरण किया गया तथा कितने बच्चे गंभीर रूप से दृष्टिबाधित एवं स्वास्थ्य विकास से पीड़ित पाये गये उन्हें कहाँ और किस अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार दिलवाया गया ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) हाँ, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंन्तर्गत शासकीय स्कूलों में स्कूली छात्रों का नेत्र परीक्षण कराया जाता है । परीक्षण उपरांत दृष्टिदोष पाये गये बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार बीमार बच्चों को उपचार हेतु उच्च संस्था में RBSK कार्यक्रम के अंतर्गत रेफर किया जाता है । जिसके अंन्तर्गत छात्र छात्राओं का नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था एवं निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाता है । (ख) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) वर्ष 2014-15 में सागर जिले के 84 संकुल केन्द्रों मे 1, 73, 401 छात्र छात्राओं का नेत्र परीक्षण किया गया । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** 05 बच्चों को नेत्र सर्जरी हेतु शासकीय इंदिरा नेत्र चिकित्सालय सागर में रेफर किया गया एवं 1 बच्चे को सर्जरी हेतु गॉधी मेडिकल कालेज भोपाल रेफर किया गया । 679 बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे करायी गयी एवं 190 अन्य नेत्र रोगी बच्चों इलाज हेतु इंदिरा नेत्र चिकित्सालय सागर रेफर किया गया । (घ) चिन्हित बच्चों में से 05 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी हेतु शासकीय इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था की गयी । 05 गंभीर दृष्टिबाधित बच्चे पाये गये जिनको उपचार हेतु शासकीय इंदिरा नेत्र चिकित्सालय सागर रेफर किया गया । स्वास्थ्य विकास से नेत्र रोग (Corgential Cataract) से पीडित 2 छात्र पाये गये जिसमे से 1 की सर्जरी शासकीय इंदिरा नेत्र चिकित्सालय सागर में की गई और 1 की सर्जरी गॉधी

मेडिकल कॉलेज भोपाल मे की गयी । 3438 बच्चों को निःशुल्क चश्मे विकासखंडों मे पदस्थ नेत्र सहायकों एवं स्कूलों के संकुल प्रभारी के माध्यम से वितरित किये गये ।

परिशिष्ट - "तेईस"

हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. में अध्यापकों की भर्ती

67. **(क्र. 1733) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत पांच वर्षों मे उज्जैन संभाग में कितने मा.वि.का हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल का उ.मा.वि. मे उन्नयन किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शाजापुर जिले के विद्यालयों में कौन-कौन से संवर्ग के कितने पद स्वीकृत किये गये हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पदों में से कितने पद रिक्त है एवं यदि पद रिक्त है तो विद्यालयों में प्रायोगिक कार्य एवं खेलकूद किस प्रकार कराऐ जा रहे है ? (घ) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट - "अ" अनुसार है** । (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट - "ब" अनुसार है** । जिन शालाओं में पद रिक्त है वहाँ वर्तमान में कार्यरत शिक्षकीय अमले द्वारा प्रायोगिक कार्य एवं खेलकूद कराये जा रहे है । (घ) रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "चौबीस"

उ.मा.वि. करनवास में केशबुक का संधारण

68. **(क्र. 1736) श्री अमर सिंह यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र के उ.मा.वि. करनवास में विगत वर्ष 2008 से जनवरी 2015 तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत प्राचार्य द्वारा स्थानीय केशबुक छात्र-छात्राओं की फीस का संधारण किया गया है ? (ख) क्या प्रभारी प्राचार्य श्री नरेश गोयल वरिष्ठ अध्यापक को वर्ष 2008 से प्रभार होने से दिसम्बर 2014 तक स्थानीय केश बुक का संधारण किया गया है ? (ग) क्या प्रभारी प्राचार्य श्री गोयल द्वारा वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक स्थानीय केशबुक का संधारण नहीं किया गया है ? (घ) यदि यह सही है, तो क्या वर्ष 2008 से 2014 तक स्थानीय निधि छात्र-छात्राओं की फीस संबंधित प्राचार्य द्वारा कोई समिति का गठन किया गया है ? क्या श्री गोयल के निलम्बन की कार्यवाही की जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । (ख) एंव (ग) जी नहीं । श्री नरेश गोयल, वरिष्ठ अध्यापक, अगस्त २०१० से अक्टूबर २०१२ एंव अक्टूबर २०१३ से ३१.१२.२०१४ तक प्रभारी प्राचार्य रहे हैं । श्री गोयल द्वारा केवल अगस्त २०१४ से केशबुक का संधारण किया गया है, शेष अवधि में केशबुक का संधारण नहीं किया गया है । (घ) जी हाँ । श्री गोयल को दिनांक १०.०२.२०१५ को निलंबित किया गया है ।

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

69. **(क्र. 1775) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में सरस्वती महाविद्यालय छतरपुर को उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को वर्ष 2006 से 2012 तक छात्रवृत्ति विवरण स्वीकृति आदेश कुल कितने किये गये ? सूची दें ? (ख) क्या यह सही है कि अपात्र छात्रों को स्वीकृति प्रदान की गई ? ऐसे मामले प्रकाश में आये ? (ग) क्या उक्त संस्था के विरूद्ध प्रश्नांश (क) अवधि में शिकायतें की गई ? यदि हाँ, तो अब तक जांच में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांकित अवधि में संबंधित संस्था के अनुसूचित जाति वर्ग के 07 आदेश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** (ख) जी नहीं । (ग) जी हाँ । कलेक्टर द्वारा जाँच कराई गई है । अनियमितता नहीं पाई गई ।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

जिला चिकित्सालय रीवा में फर्जी नियुक्ति की जांच

70. **(क्र. 1799) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में जिला चिकित्सा अधिकारी रीवा/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आर.सी.एच. द्वारा वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक में कुल किन-किन पदों पर किस-किस अवधि में किस-किस की भर्ती के आदेश किस सेवा नियम में कब-कब विज्ञापन प्रकाशित की गई है ? जानकारी वर्षवार, पदवार नियमित/संविदा पर की गई है जानकारी विवरण के साथ चयनित अभ्यार्थियों की सूची देवें ? (ख) क्या उक्त अवधि में भर्ती किये गये एवं रखे गये कर्मचारियों को वर्ष अथवा छः माह तक कार्य लिया जाकर सेवा समाप्त/हटा दिया गया है ? यदि हाँ, तो किस-किस को ? (ग) यदि बिना विज्ञापन के प्रश्नांश (क) की भर्ती की गई है और बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये उन्हें पद से पृथक किया गया तो कौन-कौन दोषी है ? दोषी के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे ? (घ) प्रश्नांश (क) में रखे गये एवं भर्ती किये गये कर्मचारियों को क्या वेतन भी दिया गया था ? यदि हाँ, तो वेतन के तौर पर कुल कितनी राशि दी गई ? क्या उक्त राशि की वसूली नियुक्त अधिकारी से की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है** । (ख) जी नहीं, सभी चयनित अधिकारी / कर्मचारियों को उनकी सेवा से नहीं हटाया गया है । जिनको सेवा से हटाया गया है, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है** । (ग) जांच की कार्यवाही प्रचलन में है । गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । (घ) जी हाँ । वेतन के तौर पर 44,61,800/- रूपये दिये गये है । जांच की कार्यवाही प्रचलन में है । गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । निश्चित समयावधि संभव नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

गुरूजी को एरियर्स का भुगतान

71. **(क्र. 1800) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के शासकीय उ.मा.वि. शंकुल पुरैना सितलहा, गढ़ी, पनवार, बालक मनगंवा के वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यापम परीक्षा अनुत्तीर्ण अपात्र गुरूजियों को एरियर्स राशि का भुगतान किस अवधि तक का किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के गुरूजियों के एरियर्स भुगतान करने के लिये शासन के क्या नियम थे तथा किस अधिकारी के आदेश से नियम विरूद्ध एरियर्स भुगतान किया गया है ? क्या उक्त राशि ब्याज सहित वसूली जावेगी ? कब तक ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) किसी प्रकार के एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । (ख) उत्तरांश क के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

ग्राम केरबना एवं रियाना में स्कूल भवन का निर्माण

72. **(क्र. 1816) श्री लखन पटेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के विकासखण्ड पथरिया एवं बटियागढ़ में ग्राम केरबना एवं ग्राम रियाना में हायर सेकेन्ड्री स्कूल भवन कब स्वीकृत किए गए ? (ख) कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयावधि क्या थी ? (घ) यदि समयावधि में निर्माण कार्य अपूर्ण है तो कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) दमोह जिले के ग्राम केरवना में वर्ष 2007-08 में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन एवं ग्राम रियाना में वर्ष 2011 में हाईस्कूल भवन स्वीकृत किया गया था । (ख) शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल केरवना के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये-40.00 लाख एवं शासकीय हाईस्कूल रियाना के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 34.26 लाख की स्वीकृति दी गई थी । (ग) शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण की अवधि एक वर्ष एवं शासकीय हाईस्कूल रियाना की भवन निर्माण की अवधि 28.01.2013 थी । (घ) शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करर्य 75 प्रतिशत कार्य हो चुका है । निर्माण एजेंसी से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर कार्यवाही प्रचलन में है तथा शासकीय हाईस्कूल रियाना के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार को नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है

दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों का नियमितीकरण

73. **(क्र. 1844) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग के अन्तर्गत संचालित स्कूल, छात्रावास एवं आश्रमों में कौन-कौन कर्मचारी, भृत्य, चौकीदार, वाटरमेन, रसोईया, दैनिक वेतन

भोगी/कार्यभारित/अस्थाई के रूप में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? उनके नाम, पता, पद दें ? (ख) चम्बल संभाग में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत किन-किन को नियमित किया गया ? पद सहित विवरण दें ? (ग) क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. एफ 5-3/2008/1/3 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश हैं ? (घ) यदि हाँ तो अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास रौन तथा महुआ में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित न करने के क्या कारण हैं ? उन्हें कब तक नियमित किया जाएगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** (ख) चंबल संभाग में 10 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत जिला मुरैना में 25 भिन्ड में 72 एवं श्योपुर में निरंक है । कुल 97 दै.वे.भो. कर्मचारियों को नियमित किया गया । मुरैना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" (1) अनुसार है** एवं भिन्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है** (ग) जी हाँ । (घ) प्रीमैट्रिक बालक छात्रावास रौन में राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 08/05/2009 में पात्र पाये गये दैनिक वेतनभागी कर्मचारी श्री कल्याण सिंह को जलवाहक के पद पर नियमित किया गया है तथा श्री किशन सिंह सोलंकी को आयु अधिक होने एवं दिनांक 10/04/2006 को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण न होने से अपात्र पाया गया । बालक आश्रम महुआ में राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 08/05/2009 में पात्र पाये गये श्री सूरज को जलवाहक एवं श्री रतिराम को चौकीदार के पद पर नियमित किया गया है । बालक आश्रम महुआ में तत्समय कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्री संतोष कुमार के अभिलेखों का सत्यापन न होने के कारण नियमित नहीं किया गया ।

मजदूरों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं

74. **(क्र. 1862) श्री हर्ष यादव :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों, निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों आदि के लिए विभाग की स्वास्थ्य संबंधी कौन-कौन सी योजनायें वर्तमान में प्रचलित हैं ? (ख) विभाग द्वारा इन योजनाओं में हितग्राहियों के इलाज के लिए प्रदेश के कौन-कौन से चिकित्सा संस्थानों को अधिसूचित किया है ? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश के प्रसिद्ध व अच्छे चिकित्सा संस्थानों को अधिसूचित न किये जाने से श्रमिक परिवारों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है ? (घ) क्या विभाग स्वास्थ्य विभाग की राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि योजना में अधिसूचित सभी चिकित्सा संस्थानों को श्रम विभाग की योजनाओं में स्वास्थ्य/इलाज हेतु अधिसूचित करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक परिवारों को लाभ मिल सके ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) कल्याण आयुक्त, भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) जबलपुर द्वारा बीड़ी श्रमिकों के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है**, जबकि निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों के लिये म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण

मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य संबंधी **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित) 2004** प्रचलित है । (ख) श्रम कल्याण संगठन भारत सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ मध्यप्रदेश परिक्षेत्र के अंतर्गत 06 स्थाई औषधालय, 22 स्थाई-सह-चलित औषधालय, 01 चलित औषधालय व एक केन्द्रीय चिकित्सालय, सागर संचालित है । निर्माण श्रमिकों के लिये म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा इन योजनाओं में हितग्राहियों के इलाज के लिये स्वास्थ्य विभाग की राज्य बीमारी सहायता योजना, मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना के अंतर्गत अधिसूचित सभी चिकित्सा संस्थानों को मान्य किया गया है । (ग) नहीं । ऐसी स्थिति नहीं है । (घ) बीड़ी श्रमिकों के लिये श्रम कल्याण संगठन भारत सरकार द्वारा प्रश्नांश (**ख)** के उत्तर में उल्लेखानुसार विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है जबकि निर्माण श्रमिकों के संबंध में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा इन योजनाओं में हितग्राहियों के इलाज के लिये स्वास्थ्य विभाग की राज्य बीमारी सहायता योजना, मुख्यमंत्री बाल ह्रदय योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना के अंतर्गत अधिसूचित सभी चिकित्सा संस्थानों को मान्य किया गया है ।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

महिदपुर में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

75. **(क्र. 1870) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ शिक्षक नियत संख्या से अधिक पदस्थ हैं ? उन स्कूलों की संख्या भी बताएं जहाँ नियत से कम हैं ? नाम सहित बतावें ? (ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त हैं ? उनकी पूर्ति कब तक की जावेगी ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है** । इन रिक्त पदों पर विषयमान से उपलब्ध शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है । इन पदों की पूर्ति पदोन्नति एवं संविदा शाला शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से की जाती है । समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है । (ग) यह एक निरंतर प्रक्रिया है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं होगा ।

उज्जैन जिले में दवा खरीदी

76. **(क्र. 1871) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में लोकल परचेस से

कितनी दवाएं किन-किन फर्मो से खरीदी गईं ? माहवार वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) इसके अनुबंध की शर्तें क्या हैं ? वर्ष में कितनी बार ये अनुबंध किए जाते हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन जिले में वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में लोकल परचेस द्वारा खरीदी गई दवाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । (ख) स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु विभिन्न औषधियों/सामग्री इत्यादि हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है । सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पालन पश्चात एल-1 अनुमोदित दरों पर फर्मो द्वारा क्रय आदेश किये जाते है । यह निविदाएं एक वित्तीय वर्ष हेतु होती है । तत्पश्चात् नयी निविदायें आमंत्रित की जाती है । क्रय की मुख्य शर्तें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** ।

बैतूल जिले में संचालित शालाएँ

77. **(क्र. 1881) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में किस-किस विकास खण्ड में विगत पॉच वर्षो से कौन-कौन सी प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला किराए के भवन में संचालित हैं ? (ख) इन किराए के भवनो में संचालित शालाओं के लिये कितना भवन किराया निश्चित है तथा भुगतान के लिये कितना आवंटन प्राप्त हुआ ? (ग) क्या इन शालाओं के लिए भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हाँ, तो कब-कब एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? विकासखण्डवार, वर्षवार एवं शाला भवनवार जानकारी दी जावें ? (घ) भवन निर्माण का कार्य किस एजेंसी से कराए जाने का प्रावधान है ? क्या इस हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई है ? यदि हाँ, तो कब-कब, यदि नहीं तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बैतूल जिले में किसी भी विकासखण्ड में कोई भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाऐं किराए के भवन में संचालित नहीं है । (ख) से (घ) प्रश्नांश “क” के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं ।

ग्वालियर में इंजेक्शन खरीदी में अनियमितता

78. **(क्र. 1890) श्री बाला बच्चन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर ने जनवरी 2013 से जून 2013 के बीच टेंडर रेट से अधिक दर पर इंजेक्शनों की खरीदी में लगभग 1 करोड़ 15 लाख रू. अधिक भुगतान कर दिया ? पूरी सप्लाई की इस कालावधि की छायाप्रति देवें ? (ख) यदि हाँ, तो इस खरीदी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बताए ? (ग) अधिक भुगतान की गई राशि (ख) अनुसार उत्तरदायी अधिकारियों से कब तक वसूल की जावेगी ? समय सीमा बताए ? इन पर कब तक विभागीय कार्यवाही की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है** । (ख) जी नहीं । चूकि शासन द्वारा स्वीकृत दवा नीति के अंतर्गत अधिकृत फर्म एवं अनुमोदित दर पर ही क्रय की कार्यवाही प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित विवरण अनुसार की गई है । अत: इसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी नहीं है । (ग) प्रश्न 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

चिकित्सकों की विभागीय स्थानांतरण नीति

79. **(क्र. 1895) श्री बाला बच्चन :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ के अस्पतालों में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? उनके नाम, जिलावार बतावें ? नियुक्ति स्थान का नाम भी साथ में देवें ? (ख) प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं 10 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ चिकित्सकों के नाम, स्थान नाम सहित जिलावार पृथक से उपलब्ध करावें ? इनका स्थानांतरण कब तक किया जायेगा ? (ग) ऐसे कितने चिकित्सक हैं जिन्हें 0 से 3 वर्ष के बीच दो या अधिक बार स्थानांतरित किया गया ? (घ) (ख) व (ग) अनुसार स्थानांतरण नीति को मनमाने तरीके से संचालित करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर संलग्न है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर संलग्न है** । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 06 -2/2012/1/9, दिनांक 01/05/2012 की कंडिका 9.10 अनुसार चिकित्सक एक ही स्थान पर लंबी अवधि तक पदस्थ रह सकते हैं । (ग) 0 से 3 वर्ष में 19 चिकित्सक दो बार तथा 03 चिकित्सक तीन बार स्थानांतरित हुये । (घ) स्थानांतरण नीति बावत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 06 -2/2012/1/9, दिनांक 01/05/2012 की कंडिका 9.10 में निहित प्रावधान अनुसार स्थानांतरण किये गये हैं, अत: किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएँ

80. **(क्र. 1902) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी, शिक्षा गारंटी शालायें संचालित हैं ? इनमें से किस-किस में शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेल मैदान की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यह व्यवस्था जुटाने हेतु क्या कर्यवाही की जा रही हैं ? (ख) उक्त क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ? कब किसके द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग को लेख किया गया ? कहाँ-कहाँ अतिक्रमण हटवाया गया ? (ग) किन-किन विद्यालयों में विगत दो वर्षों की अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित की गई ? इस दौरान छात्र उपस्थिति का विवरण दें ? (घ) ऐसे विद्यालय कहाँ-कहाँ के हैं जहाँ विभाग द्वारा राशि जारी किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के निर्माण कार्य एजेंसियों द्वारा पूर्ण नहीं कराये हैं ? इस संबंध में प्रकरणवार क्या कार्यवाही की गई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 351 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं संचालित हैं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** इनमें से 36 शालाओं में शुद्ध पेयजल, 06 शालाओं में शौचालय, 435 शालाओं में खेल के मैदान की समुचित व्यवस्था नहीं है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** । शुद्ध पेयजल हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शौचालय हेतु विभिन्न स्त्रोतों से व्यवस्था जुटाने की कार्यवाही की जा रही है । खेल के मैदान हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शासकीय भूमि का उपयोग किया जा रहा है । हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री शालाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है । शालायें जिनमें पेयजल, शौचालय एवं खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है । सभी हाई/हायर सेकेण्ड्री शालाओं में पेयजल की समुचित व्यवस्था है । शौचालय के निर्माण हेतु आदेश जारी किये जा चुके है । जिला शिक्षा अधिकरी सतना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की उक्तांकित शालाओं में खेल मैदान के लिये भूमि आवंटन किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है । (ख) विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है । आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक-लोशिस/बी/एफ 117/2011, दिनांक 04 जनवरी, 2014 मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 441/मु.सं./2014/ स्कूल शिक्षा, दिनांक 28 मई 2014 के द्वारा शासकीय शाला परिसरों एवं शालाओं की भूमि पर अतिक्रमण मुक्त करने हेतु समस्त कलेक्टर को निर्देश दिये गये है । जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा पत्र क्रमांक-73 एवं 134 दिनांक 25.01.2014 एवं 13.02.2014 अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लेख किया गया है । अभी तक किसी भी विद्यालय से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है । (ग) जिला पंचायत सतना तथा मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ की जानकारी अनुसार मैहर विकासखण्ड अंतर्गत ग्रीष्मकालीन अवकाश में मध्यान्ह भोजन वितरण की जानकारी निरंक है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है** ।

चिकित्सालयों में उपकरणों की खरीदी

81. **(क्र. 1903) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक की अवधि में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, रीवा एवं जबलपुर के महाविद्यालयों व उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में कितनी-कितनी राशि से कब-कब, क्या-क्या चिकित्सा उपकरण व सामग्री किन-किन संस्थाओं/फर्मों से कब-कब निविदा जारी कर क्रय की गई ? क्या इस खरीदी में विभाग की क्रय नीति का पूर्णत: पालन किया गया ? नहीं तो क्यों ? उक्त उपकरण व सामग्री क्रय में अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायतों का विभाग द्वारा किस प्रकार निराकरण किया गया शिकायतवार बतावें ? (ख) उक्त अवधि में क्रय किये गए कौन-कौन से उपकरण वर्तमान में उपयोग नहीं किये जा रहे या चालू स्थिति में नहीं है ? क्यों ? किन-किन को अब तक स्थापित ही नहीं किया गया ? क्यों ? (ग) क्या उक्त अवधि में खरीदे गए घटिया उपकरणों व सामग्री की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

बड़वाहा क्षेत्र में स्वीकृत/निर्माणाधीन स्कूल भवन

82. **(क्र. 1946) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाहा तहसील क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक भवन आवासीय क्रेश कोर्स, अतिरिक्त कक्ष विगत 3 वर्षों में स्वीकृत किये गये हैं ? संपूर्ण जानकारी ग्रामवार/वर्षवार दी जावें ? (ख) विगत 3 वर्षों में स्वीकृत प्रश्नांश (क) के अनुसार भवनों में कितने पूर्ण हो चुके है, कितने अपूर्ण है एवं कितने निर्माणाधीन कब से है ? इसकी जानकारी वर्षवार दी जावे अर्थात किस वर्ष में स्वीकृत हुआ था, तथा अपूर्ण हैं ? (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के भवनों की वर्तमान तक अपूर्ण की स्थिति में विभाग द्वारा शिक्षक पालक संघ एवं सचिवों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष एवं सचिव सहित जानकारी दी जावें ? (घ) क्या ऐसे भवन भी है जो मौके पर अपूर्ण है किंतु उनकी राशि आहरित कर ली गई है एवं माप पुस्तिका में भी पूर्ण होने की प्रविष्टि दर्ज हो गई है ऐसे उपयंत्री का नाम एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी दी जावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बड़वाह तहसील क्षेत्र में विगत तीन वर्ष में 05 माध्यमिक विद्यालय भवन, 04 जीर्णशीर्ण माध्यमिक विद्यालय भवन, 02 जीर्णशीर्ण प्राथमिक विद्यालय भवन के कार्य स्वीकृत किये गये हैं । विगत 03 वर्ष (2011-12 से 2013-14) में कोई भी अतिरिक्त शाला भवन स्वीकृत नहीं हुआ है तथा न ही आवासीय क्रेश कोर्स के अंतर्गत कोई स्वीकृति हुई है । वर्षवार ग्रामवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) विगत 03 वर्षो में स्वीकृत प्रश्नांश (क) अनुसार 11 भवनों में 05 पूर्ण हैं । 06 अपूर्ण भवनों के कार्य स्वीकृत वर्ष से ही निर्माणाधीन हैं । जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के भवनों की वर्तमान तक अपूर्ण की स्थिति में विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी सरपंच/सचिव में से 03 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है । निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होने से शिक्षक पालक संघ पर कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । (घ) जी नहीं । निरंक ।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

मजदूरों की राशि का भुगतान

83. **(क्र. 1955) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाहपुर (बैतूल) में ग्राम पंचायत धपाड़ा के मजदूरों ने श्रम न्यायालय बैतूल में मजदूरी हेतु दावा किया है ? (ख) यदि हाँ, तो कितने मजदूर है एवं कितनी राशि है ? (ग) क्या सरपंच द्वारा मजदूरी की राशि आहरित की गई है ? (घ) मजदूरों को मजदूरी हेतु शासन सहयोग करेगा ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ । (ख) 51 मजदूरों द्वारा कुल रूपये 419300/- की राशि हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है । (ग) जी नहीं । (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में संचालित प्राथमिक स्वा. केन्द्र</u>

84. **(क्र. 1956) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वा. केन्द्र हैं ? कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? कितने रिक्त हैं ? (ख) क्या प्राथमिक स्वा. केन्द्र डाबरी, भौंरा में चिकित्सक के पद भरेंगे ? (ग) सामु. स्वा. केन्द्र घोड़ाडोंगरी में महिला चिकित्सक कब से संलग्न हैं ? क्या जिला चिकित्सालय में आवश्यकता नहीं है ? (घ) क्या प्राथमिक स्वा. केन्द्र भौंरा का भवन पूर्ण हो गया है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अंतर्गत 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । 04 चिकित्सक कार्यरत हैं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हीरापुर में पद रिक्त है । (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भौरा में पूर्व से एक चिकित्सक पदस्थ है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबरी में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, पद पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है । (ग) वर्ष 2010 से घोडाडोंगरी में महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण एक डॉ. श्वेता सालम, जिला चिकित्सालय बैतूल की ड्युटी लगाई गई थी, हाल ही में संलग्नीकरण समाप्त किए जाने के संबंध में डॉ. श्वेता सालम, चिकित्सा अधिकारी पुनः मूल पदस्थापना स्थल जिला चिकित्सालय बैतूल में सेवायें दे रही हैं । (घ) जी नहीं, एप्रोच रोड एवं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य अपूर्ण है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन नियमों में विसंगति

1. **(क्र. 67) श्री मुकेश नायक :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन को जानकारी है कि वन अधिकार मान्यता कानून के अनुसार वनवासियों को अपने आसपास के लघुवनोपजों के दोहन का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह अधिकार नहीं है ? (ख) क्या यह सही है कि राज्य शासन ने वनवासियों को भू अधिकार तो दे दिया है लेकिन कानून के अनुसार वनों पर और वनोपजों पर वनवासियों के अन्य अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हैं ? (ग) इस कार्यवाही को शासन कब तक समाप्त करने का विचार कर रहा है और वनवासियों को कानून के अनुसार वन भूमि और वनों पर उनके नैसर्गिक अधिकार कब तक दे दिये जायेंगे ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) लघुवनोपजों उपयोग संबंधी अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है । (ख) जी नहीं । (ग) वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया अद्र्ध न्यायिक स्वरूप की होने से समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

वन भूमि पर वन अधिकार पत्र जारी किया जाना

2. **(क्र. 76) श्री मुकेश नायक :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वन अधिकार कानून 2006 के लागू होने के बाद दिसम्बर, 2014 तक जिलावार कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र जारी किये गये ? इनमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की संख्या अलग - अलग क्या है और उनको कितने हेक्टेयर वन भूमि पर अधिकार दिया गया ? (ख) उपरोक्त कानून के संदर्भ में जिलावार अब तक कितने गांवों में सामुदायिक निस्तार के लिए कितनी हेक्टेयर वनभूमि का सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किया गया है ? (ग) वन विभाग के द्वारा जिलावार कितने गांवों के आसपास वनभूमि पर तार फेंसिंग की कार्यवाही वन अधिकार कानून के लागू होने के बाद की गयी है और इन गांवों में क्या सामुदायिक निस्तार के अधिकार के लिए सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किया गया है ? (घ) जिन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा तार फेंसिंग की योजना बनायी गयी है, उन क्षेत्रों में सामुदायिक निस्तार का वन अधिकार कब तक बांटी जायेगी और उसके लिए क्या योजना बनायी गयी है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** (घ) परिभाषितनिस्तार के अधिकारों की मान्यता अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

अनुदान प्राप्त करने वाले निजी विद्यालय

3. **(क्र. 77) श्री मुकेश नायक :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी विद्यालयों को अनुदान देने के नियम, मापदण्ड क्या है ? प्रति देवे ? (ख) पन्ना जिले में अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थान कौन-कौन सी है, इन्हें कब से अनुदान दिया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष कितना-कितना अनुदान दिया गया ? यह अनुदान राशि किस तिथि, किस मद में प्राप्त हुई ? (ग) यह किसका उत्तरदायित्व है कि अनुदान समय पर प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं और अनुदान की राशि वास्तविक हितग्राहियों तक समय पर प्राप्त हो रही है या नहीं उसका नाम, पदनाम बतायें ? (घ) क्या पन्ना जिले में संबंधित को राशि का भुगतान समय पर किया गया है ? यदि नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) नियम, मापदण्ड की प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर है** । (ख) पन्ना जिले में मात्र एक अनुदान प्राप्त संस्था एस.के.एन.धाम माध्यमिक शाला संचालित है। उक्त संस्था को 1978 से अनुदान दिया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2012 से निम्नानुसार अनुदान दिया गया है :-

स.क्रं.	वित्तीय वर्ष	संस्था को प्रदाय किया गया अनुदान	मद का नाम	प्राप्त अनुदान की तिथि
1.	2012-13	रूपये 2,73,500/- रूपये 5,23,514/-	वेतन	26/6/12 1/1/13
2.	2013-14	रूपये 5,25,434/- रूपये 5,00,000/- रूपये 1,56,408/- रूपये 4,00,000/-	वेतन	25/4/13 28/10/13 31/1/14 4/2/14
3.	2014-15	रूपये 7,04,000/- रूपये 1,48,410/- रूपये 42,400/-	वेतन	16/4/14 21/10/14 22/1/15

(ग) संस्था द्वारा पूर्व में प्रदाय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है । (घ) जी हाँ । अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "उनतीस"

प्रदेश के भवन विहिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

4. **(क्र. 108) श्री अरूण भीमावद :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहिन हैं ?

(ख) क्या उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? (ग) यदि नहीं तो कब तक भवन विहिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कराया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला शाजापुर में 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन है । (ख) जी नहीं । (ग) यथा शीघ्र । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

वास्तविक एवं फर्जी माझी की सामाजिक प्रास्थिति

5. **(क्र. 172) श्री मोती कश्यप :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने जिस माझी को अनुसूचित जनजाति माना है, उसकी उत्पत्ति, गोत्र, टोटम, धर्म, देवी-देवता, जीवनचक्र के संस्कार (ब्राम्हण, नाई, धोबी, चमारिन, बसोरिन की सेवाओं सहित), वधुमूल्य, वैवाहिक संबंध, बोली, परम्परागत पेशा आदि लक्षणों की स्थिति किस प्रकार हैं ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 01-09-2013/10-09-2013 को मा. मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत प्रतिवेदन में दर्शित भारत की जनगणना-1901 (सेन्ट्रल प्रोविन्सेस) में गोहकमाझी, माझी, मझिया, मझही, माझी एवं मझवार को केवट व धीमर में समाहित (amalgamated) होना दर्शित की गई है और वर्ष 2011 की जनगणना में उक्त कौन सी जातिया लुप्त व अस्तित्वहीन पायी गई है ? (ग) क्या यह सत्य है कि विभाग के द्वारा जिन जातियों को फर्जी माझी माना गया है, उनका प्रश्नांश (ख) प्रतिवेदन में दर्शित प्राचीन संदर्भ साहित्यों में उक्त समस्त रीति-रिवाज, परम्पराओं व लक्षणों के संबंध में कोई उल्लेख दर्शित है और जिनकी साम्यता माझी सहित सभी जनजातियों के उल्लेखों से बनाती है ? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) की लाक्षणिक साम्यता और तथ्यों के रहते हुये प्रश्नांश (ख) समूहों को किन आधारों पर फर्जी माझी माना जा रहा है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष 1896 में डब्ल्यू कुक्स द्वारा लिखित संदर्भ साहित्य दि ट्राईब्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दी नार्थ वेस्टन इंडिया, वर्ष 1916 में रसेल एवं हीरालाल द्वारा लिखित संदर्भ साहित्य दि ट्राईब्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दि सेन्ट्रल प्राविन्सेस ऑफ इंडिया एवम भारत की जनगणना 1931 एवं संस्था द्वारा अनुसूचित जनजाति माझी के संबंध में किये गये अध्ययन के आधार पर प्रश्न में उल्लेखित बिन्दुओं अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माझी के लक्षणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** (ख) उक्त में से लुप्त व अस्तित्वहीन जातियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है । (ग) ऐसी जातियों को संदर्भ साहित्यों में उल्लेखित रीति-रिवाज, परम्परा व लक्षणों से अनुसूचित जनजाति माझी से कोई साम्यता नहीं बनती है । (घ) ऐसी जातियों को संदर्भ साहित्यों में उल्लेखित रीति-रिवाज, परम्परा व लक्षणों से अनुसूचित जनजाति माझी से कोई साम्यता नहीं बनती है ।

परिशिष्ट - "तीस"

पेशेवर जातियों की जनजातियों की सूची से विलोपित करना

6. **(क्र. 173) श्री मोती कश्यप :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 01/10-09-2013 द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत प्रतिवेदन में दर्शित किन्हीं संदर्भ साहित्यों की जनगणना में रेस, ट्राईब, कास्ट के वर्गीकरण में किन्हीं ग्रुपों/सब-ग्रुपों की जनजातियों को मछली पकड़ने के पेशे डेराव्ड/डेराइवेटिव, हिन्दू बन चुकी व हिन्दी बोली बोलने वाली तथा किन्हीं समूह की जनजतियां होना दर्शाया गया है ? (ख) क्या यह सत्य है कि आ.जा.अ. संस्था के अभिमतों के आधार पर O.R.G.I. ने अपनी कामेन्ट्स में धीमर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह आदि को विशिष्ट पेशेवर और हिन्दू रीति-रिवाज व संस्कारों की जाति होने से माझी व मझवार जनजाति से साम्यता में असहमतियां दर्शायी हैं ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) प्रतिवेदन में किन्हीं संदर्भ साहित्यों के दर्शित उल्लेखों में राज्य के लिये अनुसूचित जनजातियां घोषित किन्हीं जनजातियों की दर्शित उत्पत्ति, गोत्र, टोटेम, हिन्दू धर्म व रीति-रिवाज और परम्परागत पेशों का कोई उल्लेख किया गया है ? (घ) प्रश्नांश (क) (ग) जनजातियों में प्रश्नांश (ख) की जातियों से अधिक लक्षण पेशों सहित हिन्दुओं के पाये जाने की स्थिति में उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा ? (ड़) क्या प्रश्नांश (घ) के अनुसार प्रश्नांश (ख) जातियों के संबंध में दिये गये अभिमत को निरस्त कर अनुकूल अभिमत भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (ग) जी हाँ । (घ) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ड़) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाना

7. **(क्र. 237) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 जनवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कितने कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगे समयवधि बताये ? (ख) कितने पूर्ण कार्यों का अंतिम मूल्यांकन तथा सी.सी. जारी नहीं हुई, तथा क्यों कारण बताये तथा कब तक सी.सी. जारी होगी ? (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्त राशि कहाँ-कहाँ के खाते में जमा है ? (घ) उक्त जिलों के कितने कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य शासन तथा भारत सरकार के पास कब से लंबित है, तथा उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास किये पूर्ण विवरण दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 20 जनवरी 2015 की स्थिति में वर्णित जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	जिला	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य	योग
1.	देवास	264	35	299
2.	रायसेन	262	107	369
	योग	526	142	668

उक्त कार्यों के पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है । (ख) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत रायसेन जिले के 55 कार्य जो दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 में पूर्ण होने के कारण अंतिम मूल्यांकन एवं सी.सी. जारी नहीं की गई है । इन कार्यों की सी.सी. मार्च 2015 अंत तक जारी होने की संभावना है । (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले के सर्व शिक्षा अभियान योजना के जिले के बैंक खाते में जमा हैं । (घ) रायसेन जिले के 132 कार्यों एवं देवास जिले के 90 कार्यों की लागतवृद्धि की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । विभाग द्वारा प्रस्तावों को सक्षम समिति से अनुमोदन हेतु प्रक्रिया चल रही है ।

छात्र-छात्राओं का बीमा क्लेम प्रकरणों का निराकरण

8. **(क्र. 238) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना बन्द करने का क्या कारण है उक्त योजना प्रारंभ करवाने हेतु मान. मंत्री जी को किन-किन जन प्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में उक्त बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम/ मुआवजा के कितने प्रकरण किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है उक्त प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा ? (ग) अनुबंध अनुसार क्लेम मुआवजा प्रकरणों का निराकरण न होने के बाद विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की ? (घ) रायसेन एवं देवास जिले में कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों ? उक्त निरस्त किये गये आवेदन पत्रों में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन विगत कुछ वर्षो से स्थगित है । योजना बंद किये जाने का निर्णय नहीं हुआ है । अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"क" अनुसार है** । (ग) बीमा कंपनियो के साथ बैठकें आयोजित कर प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास किए जाते रहे है । (घ) रायसेन जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ख" अनुसार है** । देवास जिले में कोई आवेदन निरस्त नहीं किया गया है ।

उप शिक्षकों को नियुक्त दिनांक से पूर्ण वेतनमान प्रदाय करने बाबत्

9. **(क्र. 294) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 6013/9 के अनुसार (1) श्रीमती ऊषा रावत, डिवीजन ब्रांच इन्दौर के आदेश कोर्ट WAND 3.46/2008, 18-12-08 जिला शिक्षा अधिकारी खण्डवा आदेश क्रमांक 01-48/2011 एवं जिला शिक्षा अधिकारी कटनी, शिक्षक पी.एल. पाण्डेय, सहा. शिक्षक, कछारगांव आदि को पूर्ण वेतन मिलता है ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो वर्ष 1973 में नियुक्त उपशाला के कितने शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान का लाभ दिया गया है ? सतना जिले की जानकारी दें ? (ग) यदि सतना जिले के उपशाला शिक्षकों को यह लाभ नहीं दिया गया है, तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में कुल 04 लोकसेवकों को लाभ दिया गया है । कटनी जिले के शिक्षक श्री पी.एल.पाण्डेय को पूर्ण वेतन नहीं दिया गया है । (ख) उत्तरांश (क) अनुसार । सतना जिले में किसी को लाभ नहीं दिया गया है । (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से लाभ नहीं दिया गया।

ग्राम माड़ाटोला में हाई स्कूल उन्नयन

10. **(क्र. 295) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र नागौद के अन्तर्गत ग्राम माड़ाटोला, वि.ख. नागौद, जिला सतना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल्य ग्राम में हाई स्कूल की सुविधा नहीं होने के कारण अधिकांश छात्र कक्षा 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं ? विशेष रूप से बालिकाएं ? (ख) ग्राम माड़ाटोला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांव को शासन कब तक हाई स्कूल की सुविधा प्रदान करेगा ? (ग) बालिका शिक्षा के लिए शासन प्रतिबद्ध है ? तो क्या मा.वि. माड़ाटोला का उन्नयन हाई स्कूल में तुरन्त किया जाऐगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । समीपस्थ 3.6 कि.मी. में शासकीय हाईस्कूल चंदकुआ एवं 5 कि.मी. दूरी पर शा. हाईस्कूल मढी संचालित है । जिसमें बालिकाएं भी शिक्षा ग्रहण करती है । (ख) आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । (ग) जी हाँ । शेष जानकारी प्रश्नांश "ख" अनुसार है ।

शासकीय खाते से राशि का अनियमित आहरण

11. **(क्र. 428) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के जिला परियोजना समन्वयक को अक्टूबर-नवम्बर 2014 में जिले के किसी जनपद शिक्षा केन्द्र के समन्वयक द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के प्रबंधन समिति द्वारा निजी उपयोग में शासकीय खाते से भारी राशि आहरण करने से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत किया गया था ?

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकरण में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इस अनियमित आहरण में कौन-कौन दोषी है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । (ख) प्रकरण की जांच जिला शिक्षा अधिकारी, कटनी से करवाई जा रही है । जांच परिणाम के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन हाई स्कूल

12. **(क्र. 430) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के बहोरीबंद एवं रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कहाँ-कहाँ हाई स्कूल खोले गये हैं ? खोले गये हाई स्कूलों में कहाँ-कहाँ भवन बनाये गये हैं और कहाँ-कहाँ भवन विहीन है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार यदि खोले गये हाई स्कूल भवन विहीन है, तो कब तक भवन बनाये जायेंगे ? समय सीमा बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कोई भी माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन नहीं हुआ है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति

13. **(क्र. 505) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में कुल कितने शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित हैं ? इनमें प्राचार्यों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने भरे और कितने पद रिक्त हैं ? (ख) क्या यह सही है कि हाई स्कूलों एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में रिक्त पड़े प्राचार्यों के पद रिक्त रहने का प्रभाव बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षाफल को प्रभावित करता है ? (ग) यदि हाँ, तो प्राचार्यों के इन रिक्त पदों को शासन द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के पूर्व ही भरे जाने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या और रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में प्राचार्यो के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-प्राचार्य हाईस्कूल :- स्वीकृत- 2912, कार्यरत- 1743, रिक्त- 1169 प्राचार्य हायर सेकेण्डरी :- स्वीकृत-2542, कार्यरत-1425, रिक्त- 1117 (ख) जी नहीं । (ग) जी नहीं । प्राचार्य उ.मा.वि.के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 05.11.2014 एवं 30.01.2015 को किया जा चुका है । हाईस्कूल के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समयसीमा बताना संभव नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फीस

14. **(क्र. 606) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इंदौर/भोपाल एवं उज्जैन जिलों में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान किस-किस निजी महाविद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति/फीस प्रति छात्र दी गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वित्तीय वर्षों के अनुसार इंदौर/भोपाल/उज्जैन जिलों के किस-किस नाम के निजी महाविद्यालयों में किस-किस नाम/पते वाले छात्र छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति/फीस दी गई ? जिलेवार/वित्तीय वर्षवार/कॉलेजवार/राशिवार/छात्र-छात्राओं के नामवार/पतेवार जानकारी उपलब्ध करायें ? पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 12 वीं कक्षा के बाद किस-किस प्रकार के कोर्स (इंजीनियरिंग/मेडिकल/नर्सिंग/बी.एड./एम.बी.ए./बी.ए./एम.ए./अन्य प्रकार के) करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्ति/फीस कितनी-कितनी दी जाती है ? कोर्सवार/राशिवार जानकारी दें ? (ग) क्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के पिछड़ावर्ग में आने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/फीस में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कमी की गई है ? अगर हाँ तो किस कारण से ? जारी हुये आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

शासकीय स्कूलों में छात्राओं के लिये अलग शौचालय की व्यवस्था

15. **(क्र. 610) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत आने वाले कितने-कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रश्न तिथि तक छात्राओं के लिये अलग से शौचालय नहीं है ? श्रेणीवार कारण सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्कूलों में छात्राओं के लिये अलग से शौचालय कब तक बनवा दिये जायेंगे? समय सीमा बतायें? क्या योजना प्रस्तावित है? अगर नहीं, तो कारण बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत आने वाले 14 प्राथमिक एवं 33 माध्यमिक शालाओं में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है । स्वीकृति के अभाव में शौचालयों का निर्माण नहीं किया जा सका । 04 हायर सेकेण्ड्री स्कूल तथा 18 हाईस्कूल माध्यमिक शाला भवनों में संचालित हैं, जिनके शौचालयों का उपयोग छात्राएँ करती हैं । शौचालय विहीन 21 हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवनों तथा 13 हाईस्कूल भवनों के लिये शौचालय स्वीकृत कर दिये गये हैं । (ख) वर्णित प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय जून 2015 तक बनाये जाने का लक्ष्य है । जी हाँ । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । प्रश्नांश (क) में वर्णित हायर सेकेण्ड्री स्कूलों तथा हाईस्कूलों में शौचालय निर्माण पूर्ण किये जाने की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है ।

गुना जिले में स्वीकृत निर्माण कार्य

16. **(क्र. 649) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में आदिम जाति अनु. जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वर्ष 2012 से 2014 तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुये जिसमें कितने अपूर्ण हुये क्या इनका मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन किया यदि हाँ, तो खर्चे की राशि सहित विवरण दें ? (ख) गुना जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक विभाग द्वारा छात्रावासों एवं विभाग हेतु क्रय की गई सामग्री क्या विभाग की नीति अनुसार निर्धारित कमेटी एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से क्रय की यदि प्रत्येक खरीदी नीति के अनुसार क्रय नहीं की तो कौन दोषी है ? (ग) प्रश्नांक (क) एवं (ख) में उल्लेखित मदों में किये गये व्यय की राशि, बजट एवं लक्ष्य का विवरण दें ? (घ) गुना जिले में गत तीन वर्षों प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में उल्लेखित कार्यों में की गई या पाई गई अनियमितताओं के दोषियों पर क्या कार्यवाही की यदि नहीं, तो कब करेंगे ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है** (ख) जी हाँ । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है** (घ) प्रश्नांश 'क', 'ख' एवं 'ग' में उल्लेखित कार्यों में अनियमितता न पाये जाने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "इकतीस"

देवास जिले में स्वीकृत पद

17. **(क्र. 652) श्री आशीष गोविंद शर्मा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में सेटअप अनुसार स्वीकृत पदों पर चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद भरे हुए (पदनाम अनुसार जानकारी देवें) ? (ख) क्या देवास जिले में चिकित्सा विभाग की रिक्त पदों पर नियुक्तियॉ की जावेगी अगर की जावेगी तो कब तक समयावधि बतावें ? (ग) देवास जिले के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्र है जहाँ पर जनन एक्सप्रेस/एम्बूलेन्स की व्यवस्था है ? गांव/नगर का नाम बतावें ? (घ) क्या शासन द्वारा प्रश्नांश (ग) के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जननी एक्सप्रेस/एम्बूलेन्स की व्यवस्था की जावेगी अगर की जावेगी तो कब तक समयावधि बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है । (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है । (घ) प्रावधान अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में 2-3 जननी वाहन उपलब्ध है, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी वाहन/एम्बुलेंस/संजीवनी 108 के कॉल सेन्टर के माध्यम से जोड़ा गया है ।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

संविदा शिक्षक वर्ग I, II एवं III के पदों की पूर्ति

18. **(क्र. 655) श्री आशीष गोविंद शर्मा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा वर्ष 2013 (अक्टू. नवं.) में संविदा शि. वर्ग I, II एवं III की जो नियुक्तियां की गई थीं एवं नियुक्ति के पश्चात ऐसे सं.शि. वर्ग I, II एवं III के कितने पद (ज्वाइन नहीं करने से) रिक्त रह गये थे ? स्पष्ट करें ? (ख) क्या शासन द्वारा महिला सं.शा.शि. वर्ग I, II एवं III को गृह जिले की किसी भी तहसील में रिक्त स्थान (शाला) पर पदस्थापना सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे ? अगर हाँ, तो आदेश क्रं. व दिनांक बतावें ? (ग) क्या शासन द्वारा नियुक्ति के पश्चात वर्ष 2014 में जो प्रतीक्षा सूची जारी की गई, तो क्या महिला सं.शा.शि. वर्ग I, II एवं III के लिये भी जिले की किसी भी गृह तहसील में (शाला में) रिक्त पद पर पदस्थापना सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं किये गये ? कारण बतावें ? (घ) क्या शासन द्वारा प्रतीक्षा सूची से चयनित सं.शा.शि. वर्ग I, II एवं III के लिए जिले की गृह तहसील में (शालायें) रिक्त पद पर पदस्थापना सम्बन्धी आदेश जारी करेंगे ? अगर करेंगे, तो कब तक ? समयावधि बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2013 में प्रथम चरण के नियुक्ति के उपरांत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 अंतर्गत 352, श्रेणी-2 -1432 एवं श्रेणी-3 अंतर्गत 1793 पद पदभार ग्रहण नहीं करने से रिक्त रह गये थे । (ख) जी नहीं अपितु नवनियुक्त महिला संविदा शाला शिक्षकों के लिए निकाय के भीतर पदस्थापना स्थान में परिवर्तन एवं एक निकाय से दूसरे निकाय में श्रेणीवार/आरक्षणवार/ विषयवार पर रिक्त होने पर निकाय परिवर्तन का आदेश क्रमांक एफ 1-27/2013/20-1, दिनांक 30.07.2013 को जारी किया गया था । (ग) जी नहीं । शासन आदेश दिनांक 30.07.2013 अनुसार निकाय का परिवर्तन का केवल एक अवसर दिया गया था । (घ) जी नहीं, अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

समग्र आई.डी. में गलत नाम होने से छात्रवृत्ति से वंचित किया जाना

19. **(क्र. 673) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि समग्र आई.डी. (एस.एस.एस.एम.) में बच्चों के नाम गलत लिख देने के कारण उन्हें शासन से मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है ? क्या यह सही है कि इंदौर जिले में बच्चों के नाम गलत लिख दिये जाने पर उन्हे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ? (ख) प्रश्न (क) अनुसार बच्चों को होने वाली इस तरह की परेशानियों के लिये प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । जी नहीं । (ख) छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थीयों के नाम में संशोधन होने पर संशोधन उपरांत छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है ।

आदिम जाति कल्याण विभाग पिछड़ी जातियों की नियुक्ति

20. **(क्र. 754) श्री रामनिवास रावत :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा एवं भारिया के शिक्षित व्यक्तियों को शासकीय सेवा में बिना भर्ती परीक्षा पास किए न्यूनतम योग्यता होने पर सीधे नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है ? यदि हाँ तो अभी तक श्योपुर जिले में किस-किस विभाग में कितने-कितने विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्तियों को शासकीय सेवा में सीधे नियुक्ति दी गई है ? दिनांक 1 सितम्बर 13 से अब तक की जानकारी बतावें ? (ख) क्या यह सही है वन विभाग में वन रक्षक के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताधारी उम्मीदवारों को सीधे वन रक्षक पद पर नियुक्ति हेतु जिलों से आवेदन विभागीय स्तर पर मांगे गए थे ? (ग) यदि हाँ तो श्योपुर जिले द्वारा कितने-कितने आवेदन भेजे गए ? क्या प्राप्त आवेदनानुसार वनरक्षक पद पर नियुक्ति की गई है ? (घ) यदि हाँ तो प्रश्नांश (ग) अनुसार कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? एवं कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश में पदस्थ शिक्षकों की उपस्थिति हेतु ई-अटेण्डेंस योजना

21. **(क्र. 755) श्री रामनिवास रावत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की शत प्रतिशत एवं सही समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ई-अटेण्डेंस योजना लागू की गई है ? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में व कब से ? इस योजनान्तर्गत क्या-क्या नियम एवं निर्देश जारी किए गए है ? (ख) क्या यह योजना सिर्फ शिक्षकों के लिए है अथवा इसे शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लागू किया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या उक्त योजना के तहत प्रत्येक शिक्षक के पास एंड्राइड स्मार्टफोन होना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो क्या मोबाइल फोन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे ? यदि नहीं तो अल्प वेतन भोगी अतिथि शिक्षकों, गुरूजियों, संविदा शिक्षकों एवं अध्यापकों पर स्मार्टफोन खरीदने के लिए दबाव बनाए जाने का क्या औचित्य है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । इंदौर संभाग के सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हाँ, अभी शेष के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है । (ग) उक्त योजना स्वेच्छिक है, जो शिक्षक इसमें स्वेच्छा से सहभागी होंगे उनके पास एंड्राइड फोन होना आवश्यक है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

तराना जिला उज्जैन की वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जानकारी

22. **(क्र. 792) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पंचायत तराना जिला उज्जैन के सर्वे क्रं. 166, 609, 610, 611, 612, 613, 614,

615, 616, 617, 618, 619, 610/388 तथा नाटाखेड़ी तह. तराना जिला उज्जैन के सर्वे क्रमांक 54, 60, 64, 65 कुल रकबा (4) 15.500 हेक्टेयर कुल 19.692 हेक्टेयर भूमि सन् 1550 ई. से ओकाफ के रजिस्टर्ड में संपत्ति नं. 116 गजट 1985 के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ? तथा वहाँ पर वक्फ बोर्ड द्वारा क्या गतिविधियॉ संचालित की जा रही है ? (ख) क्या उक्त वक्फ बोर्ड की संपत्ति का संचालन करने के लिए कलेक्टर द्वारा मुतव्वली नियुक्त किया जाता है ? यदि हाँ, तो मुतव्वली उक्त वक्फ बोर्ड की संपत्ति में किस सन् तक नियुक्त रहा ? (ग) यदि उक्त संपत्ति के मुतव्वली की मृत्यु होने के उपरांत क्या शासन द्वारा/वक्फ बोर्ड द्वारा किसी शासकीय प्रतिनिधि या कलेक्टर को व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया तथा कब तक ? (घ) वर्तमान में उक्त संपत्ति पर वक्फ बोर्ड की क्या गतिविधियॉ संचालित हो रही हैं तथा व्यवस्थापक के रूप में कौन इसकी देखरेख कर रहा है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) नगर पंचायत तराना, जिला उज्जैन के सर्वे क्रमांक 166, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 618, 619, 610/1388 एवं वक्फ दरगाह पीर गादा नूरानी, कस्बा-तराना, जिला उज्जैन के खसरा क्रमांक 59, 63, 64, 65 जो पंजीयन क्रमांक 331 राजपत्र के अनुक्रमांक 116 पर पंजीयन रजिस्टर के खाना 6 एवं 7 पर वक्फ संपत्ति दर्ज थी । न्यायालय, मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 1417/1996 में पारित निर्णय दिनांक 16-6-2000 एवं माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिवीजन क्रमांक 954/2000 में पारित निर्णय दिनांक 10-8-2010 अनुसार वक्फ बोर्ड भोपाल के आदेश दिनांक 31-3-2012 एवं 25-4-2012 द्वारा उक्त भूमियों के सर्वे नम्बरों को औकाफ से विलोपित किया गया । उक्त वक्फ संपत्तियां विवादित स्थिति में है । वक्फ बोर्ड द्वारा किसी प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं की जा रहीं । (ख) जी नहीं, वक्फ एक्ट में मुतव्वली नियुक्त करने का अधिकार केवल वक्फ बोर्ड को है । (ग) वक्फ बोर्ड द्वारा किसी शासकीय प्रतिनिधि या कलेक्टर का व्यवस्थापक नियुक्त नहीं किया गया है । (घ) वर्तमान में वक्फ पर कोई गतिविधियां संचालित नहीं हो रही है एवं व्यवस्थापक भी नहीं है ।

<u>शासकीय हाईस्कूल काटजू जावरा के प्राचार्य की शिकायत</u>

23. **(क्र. 793) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व प्रश्न संख्या 5 (क्र. 46) के उत्तर में यह बताया गया है कि प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल काटजू जावरा जिला रतलाम को पदावनत कर आहरण सवितरण अधिकार वापस लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया गया है जो कि गलत है ? उक्त प्राचार्य को गलत पदोन्नति लेने पर लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश 1067 दिनांक 03.08.13 द्वारा पदावनत किया गया था न कि गबन प्रकरण में ? उक्त प्रकरण में सदन को भ्रामक जानकारी देने वाले दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभाग कार्यवाही करेगा ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश WP/1331/13 दिनांक 30.11.2013 द्वारा पारित आदेश में भी भ्रष्टाचार मानते हुए प्राचार्य पर तीन

माह में कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे किन्तु दोषी प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करते हुए सदन को भी गलत जानकारी दी जा रही है ? सालभर बीतने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? विवरण देने का कष्ट करें व क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक व क्या बताने का कष्ट करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : यह सही है कि श्रीमती प्रेमलता रायकवार प्राचार्य शा. हाई स्कूल काटजू जावरा जिला रतलाम को लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/पी/334/2013/1067 दिनांक 03.08.2013 द्वारा संबंधित अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित न होने के कारण, पदोन्नति निरस्त की गई, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था01/सत/ए/158/2014/131 दिनांक 16.02.2015 द्वारा अधीनस्थ शासकीय कर्मचारी के अनियमित भुगतान किये जाने के कारण एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है । पूर्व विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 46 दिनांक 05.12.2014/12.12.2014 के उत्तर में संबंधित के विषय में तथ्य परस्पर उद्धरत हो जाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पृथक से जांच की जा रही है । (ख) - प्रश्नांश 'ख' के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था01/सत/ए/158/2014/131 दिनांक 16.02.2015 द्वारा संबंधित श्रीमती प्रेमलता रायकवार प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल काटजू जावरा जिला रतलाम के विरूद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>उज्जैन, इंदौर सम्भाग में डाटा इंट्री आपरेटरों की नियुक्ति</u>

24. **(क्र. 835) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में शिक्षा विभाग में डाटा इंट्री एवं कम्प्यूटरीकृत कार्यों को करने हेतु डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति किन-किन शर्तों पर की गई ? क्या इस हेतु कोई ठेका किसी कम्पनी को दिया गया ? यदि हाँ तो कम्पनी के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक (क) के तहत क्या ठेकेदारों ने बेरोजगार युवाओं को उक्त नियुक्ति सरकारी बताकर युवकों से उक्त संभाग में राशि वसूल की है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में कितनी शिकायते किन-किन तहसीलों में कब-कब किस-किस के द्वारा दी गई ? उन शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है ? विभाग द्वारा नहीं ? यदि हाँ तो ऐसा क्यों ? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे ? (घ) क्या शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर कार्यों हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटरो के नवीन शासकीय पद भरे जाऐंगे ? यदि हाँ तो कब तक ? क्या नवीन संविदा नियुक्ति में पूर्व में कार्य कर रहे कम्प्यूटर ऑपरेटरों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) इंदौर व उज्जैन संभाग के जिलों में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ऑपरेटर की सेवायें लिये जाने तथा एजेन्सी संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है** । अनुबंद की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है** । (ख) प्रश्नाधीन जिलों में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (ग) जी हाँ । राज्य

स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2011 में आपरेटर उपलब्ध कराने हेतु आउटसोर्सिंग की कार्यवाही जिला स्तर से किये जाने के निर्णय की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है** । (घ) सर्वशिक्षा अभियान मिशन योजनान्तर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की पूर्ति हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से दिनांक 25.08.2013 को लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई है परीक्षा में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रति वर्ष एक अंक अधिकतम 15 अंक प्रदाय किया गया है ।

NRHM अंतर्गत चिकित्सा केन्द्रों में निर्माण कार्य

25. **(क्र. 836) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम, नीचम जिले में 1 जनवरी 2011 के पश्चात NRHM एवं अन्य योजनाओं के तहत किस-किस चिकित्सा केन्द्र पर कितनी-कितनी राशि किस-किस निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत की गई ? स्वीकृत आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए जिलेवार विवरण दें ? (ख) स्वीकृत निर्माण कार्य में से कौन-कौन सा निर्माण कार्य उक्त जिलों में पूर्ण हो चुका है ? उस पर कितनी राशि व्यय हुई ? (ग) स्वीकृत निर्माण कार्यों में कौन सा निर्माण कार्य निर्माणाधीन है ? उसे किस दिनांक तक पूर्ण कर लिया जाएगा ? जानकारी दें ? (घ) स्वीकृत निर्माण कार्यों में कौन सा निर्माण कार्य किन कारणों से अभी तक प्रारंभ ही नहीं हो सका ? (ड.) उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में कितनी शिकायत किस-किस के खिलाफ किस-किस के द्वारा कब-कब प्राप्त हुई उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है ।** (ड) उक्त निर्माण कार्यो के संबंध में की गई शिकायतों की जानकारी नहीं है ।

रतलाम जिला अंतर्गत श्रमिकों की स्थिति

26. **(क्र. 862) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत अनेकों उद्योगों में हजारों श्रमिक स्थाई एवं अस्थाई तथा ठेका श्रमिक के माध्यम से कार्यरत होकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं ? (ख) यदि हाँ तो क्या उपरोक्त प्रकार के श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन एवं उनके जीवन की रक्षा हेतु समुचित प्रबंधन एवं हितकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ? (ग) यदि हाँ तो रतलाम जिला अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर किस-किस के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, शिक्षा हेतु अनुदान (प्रोत्साहन) एवं उनके जीवन रक्षा हेतु उपाय तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिये क्या किया जा रहा है ? (घ) रतलाम

जिला अन्तर्गत वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2015 प्रश्न दिनांक तक किन-किन उद्योगों में कितने श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु, गंभीर बीमारी के प्रकरण सामने आये एवं इस हेतु क्या किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ ।, **(ख)** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत उन सभी संस्थानों के अंशदातों को जो कि भविष्य निधि के अधीन हों एवं जो अंशदाता पेंशन के लिये पात्र हो, को सदस्य पेंशन, विधवा पेंशन, बाल/अनाथ पेंशन, बार्धाय पेंशन का भुगतान किया जाता है । भविष्य निधि संगठन केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करता है । कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रावधानानुसार श्रमिकों का स्वास्थ परीक्षण कारखाना प्रबंधन द्वारा करवाया जाता है । मध्यप्रदेश में स्थापित उद्योगों में कार्यरत स्थायी तथा ठेका श्रमिकों के लिये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल द्वारा स्वास्थ के संबंध में चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना एवं शिक्षा के संबंध में शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना व शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित की जाती है । **(ग)** रतलाम जिले में संचालित योजनाओं में श्रम कल्याण एवं कोशल उन्नयन केन्द्र के माध्यम से प्रदाय सहायता राशि का विवरण निम्न है - 1. शैक्षणिक छात्रवृत्ति वर्ष 2013-14 संख्या 165 राशि रूपये 1, 28, 500 /- , 2. शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2013-14 संख्या 67 राशि रूपये 81, 400 /- , 3. चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुयें हैं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत है उनके द्वारा उत्तर "ख" में दर्शाये गये लाभ प्रदान किये जाते है । **(घ)** रतलाम जिले में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में वर्ष 2010से लेकर वर्ष 2015 प्रश्न दिनांक तक घटित दुर्घटनाओं में मृत श्रमिकों के संबंध में तथा की गई बाबद **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक में दर्शायी गई है** । व्यवसायजन्य बीमारी से ग्रसित होने संबंधी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत रतलाम व्यासि क्षेत्र में जहाँ अधिनियम के प्रावधान लागू हैं वहाँ दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रित हितलाभ तथा विस्तारित बीमारी हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कराया जाता है । यह निगम केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत है । उनसे प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो पर है** ।

रतलाम जिला अंतर्गत शालाओं में पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था

27. **(क्र. 863) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत कितने हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल, मा.वि. एवं प्रा.वि. होकर कितने स्कूलों में पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था सुविधाजनक होकर पर्याप्त है ? (ख) क्या संपूर्ण जिले में उपरोक्त प्रकार के समस्त स्कूलों में उक्त दोनों प्रकार की सुविधाऐं पर्याप्त होकर संतोषजनक है ? (ग) यदि ना तो किन-किन स्कूलों में किस-किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है तथा किन-किन स्कूलों में किस-किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? (घ) उपरोक्त प्रकार के जिन स्कूलों में उक्त सुविधा का अभाव है, इस हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई जाकर कितना बजट प्रावधानित किया गया है तथा इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) रतलाम जिला अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में पेयजल, शौचालय की व्यवस्था सुविधाजनक होकर पर्याप्त है जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक में है** । हायर सकेण्ड्री, हाईस्कूल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन पर है** । (ख) जी नहीं । (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो में है** एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** । (घ) माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की सुविधा की पूर्ति विभिन्न स्त्रोतों सर्व शिक्षा अभियान/केन्द्रीय पी.एस.यू. द्वारा कराये जाने की कार्ययोजना बनाई गई है । ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुविधा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है एवं शौचालय विहीन 03 हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

गुना जिला रेडक्रास में निर्वाचन की कार्यवाही

28. **(क्र. 899) श्रीमती ममता मीना :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के रेडक्रास के नये नियम 2010 के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया एवं साधारण सभा का आयोजन गुना जिला रेडक्रास में कब होगा ? समय सीमा बतावे ? (ख) म.प्र. के ऐसे कितने जिले हैं, जिनमें नये नियम 2010 के अनुसार निर्वाचन नहीं हुआ ? क्या प्रशासक रूचि नहीं ले रहे ? कब तक निर्वाचन कराये जावेंगे ? (ग) क्या नये नियम के अनुसार रेडक्रास की सदस्यता निरंतर कराने एवं निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो कब तक ? क्या 10 वर्ष पुरानी कार्यकारणियों द्वारा समिति की बैठकें एवं निर्णय पारित हो रहे हैं ? (घ) म.प्र. के ऐसे कितने जिले हैं, जिनमें जिला शाखाओं से प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हुआ ? कब तक होंगे ? जिला शाखाओं में ऐसे कितने जिले हैं, जिनमें कलेक्टरों द्वारा रेडक्रास का सचिव शासकीय अधिकारियों को बनाया है ? चुने हुए या पूर्व कमेटियों के सचिवों द्वारा कितने जिलों में सचिव कार्य कर रहे हैं ? गुना जिले में रेडक्रास का निर्वाचन कब तक कराया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश के गुना मे नये नियम 2010 के अनुसार दिनांक 29/10/2011 को निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई । साधारण सभा जिला रेडक्रास द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है । वर्ष 2014 की साधारण सभा का आयोजन दिनांक 24/04/2014 को किया गया । आगामी साधारण सभा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है । (ख) प्रदेश के चार जिलों में नये नियमों के अनुसार निर्वाचन नहीं हुआ है । निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये है । निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (ग) रेडक्रास के नियमों के अनुरूप रेडक्रास की आजीवन एवं आजीवन सहयोगी सदस्यता एक बार ग्रहण करने के पश्चात निरन्तर बनी रहती है । इसके लिये कोई निर्वाचन की आवश्यकता नहीं है । चार जिलों को छोड़कर शेष जिलों में नये नियमों के अनुसार गठित कार्यकारणी समिति की बैठकें एवं निर्णय पारित हो रहे है । चार जिलों में भी निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये

गये है । (घ) प्रदेश के चार जिलों में नये नियमों के अनुसार निर्वाचन नहीं हुआ है । निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये है । वर्तमान में जिला रेडक्रास के कार्यरत सचिवों की सूची की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** गुना जिला रेडक्रास समिति का निर्वाचन दिनांक 29/10/2011 को हो चुका है ।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय शिवपुरी में अटैच प्रायवेट वाहन

29. **(क्र. 917) श्री राम सिंह यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रायवेट वाहन किराए पर लिए गए है ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से वाहन किस-किस वाहन मालिक नाम व पता के किस-किस पंजीयन नम्बर के कब-कब कितने-कितने मासिक किराए पर लिए गए ? (ख) उक्त वाहनों का अनुबंध कब-कब किया गया ? तथा कितना-कितना किराया वर्ष 2014-15 में किस-किस वाहन मालिक को कब-कब भुगतान किया गया ? (ग) क्या यह सही है कि शासन द्वारा वाहनों को किराए पर लेने हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार वाहन का टैक्सी में पंजीयन होना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तो बगैर टैक्सी पंजीयन परमिट के कौन-कौन से वाहन किन-किन वाहन मालिकों के कौन-कौन से पंजीयनों के वाहन किराए पर लिए गए ? (घ) क्या यह सही है कि उक्त वाहन किराए पर लेने में शासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत किराए पर लगाए गए ? यदि हाँ, तो क्यों ? एवं शासन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) उक्त वाहनों का अनुबंध दिनांक 01/11/2014 को किया गया । वर्ष 2014-15 में श्री सौम्या ट्रेवल्स कैलारस को मॉह नवंबर -2014 जनवरी -2015 तक रू. 201342/- एवं श्री कुकरेजा ट्रेवल्स को मॉह दिसम्बर-2014 जनवरी -2015 तक रू. 84446/- का भुगतान किया गया । (ग) जी हाँ । (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय के शाखाओं का प्रभार

30. **(क्र. 918) श्री राम सिंह यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय शिवपुरी में किन-किन शाखाओं का प्रभार किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों के पास किस आदेश से कब-कब से है ? इसमें से क्रय स्टेशनरी शाखा, लेखा शाखा, स्टोर कीपर शाखा किस-किस के पास है ? (ख) क्या यह सही है कि शासन नियमानुसार क्रय-स्टेशनरी शाखा, लेखा शाखा, स्टोर कीपर शाखा का प्रभार 03

वर्ष में बदले जाने का नियम/निर्देश है ? यदि हाँ, तो नियम/निर्देश की प्रति संलग्न कर जानकारी दे कि क्या सी.एम.एच.ओ. कार्यालय शिवपुरी द्वारा इस नियम/निर्देश का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं किया जा रहा तो क्यों ? (ग) उक्त शाखा प्रभारियों की मूल-पदस्थापना कब से कहाँ पर किस पद पर है ? अन्य स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को शाखा का प्रभार दिए जाने का क्या कारण है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है** क्रय स्टेशनरी शाखा, लेखा शाखा, स्टोर कीपर शाखा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है** (ख) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियो को सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में पदस्थ किये जाने तथा जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमित्ताओ एवं शासकीय धन के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणो में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाए, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए । ऐसे कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए, के निर्देश हैं । जी हाँ, नियम/निर्देश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार** हैं । प्रशासकीय व्यवस्था अनुसार कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अन्य कार्य भी संपादित कर रहे है ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा मेडिकल ऐजेन्सी से गैर चिकित्सीय सामग्री का क्रय

31. **(क्र. 919) श्री राम सिंह यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में साई मेडिकल ऐजेन्सी ग्वालियर एवं कोजी ट्रेडर्स बहोड़ापुर ग्वालियर से दवाओं के अतिरिक्त गैर चिकित्सीय सामग्री मैटी, एडजॉस्ट फैन, वाटर कूलर, एसी, रेफ्रीजरेटर आदि क्रय किए गए है ? यदि हाँ, तो गैर चिकित्सीय सामग्री उक्त मेडिकल ऐजेन्सियों से क्यों क्रय की गई ? (ख) उक्त सामग्री क्रय करने हेतु किन-किन समाचार पत्रों में निविदा विज्ञप्ति कब-कब प्रकाशित करायी गई ? समाचार पत्रों की प्रति संलग्न कर जानकारी दें ? (ग) वर्णित सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की कब-कब क्रय की गई ? एवं इसका भुगतान संबंधित फर्म को कब-कब, कितना-कितना किया गया ? एवं प्राप्त सामग्री कहाँ-कहाँ उपयोग की गई ? (घ) क्या यह सही है कि कोजी ट्रेडर्स बहोड़ापुर ग्वालियर बेनामी संस्था है ? यदि नहीं तो कोजी ट्रेडर्स का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं इनके मालिक / पार्टनर का नाम व भुगतान राशि किनके किस बैंक के कौन से खाते में भुगतान होती है ? संलग्न कर जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । वर्ष 2012-2013 एवं 2013-14 में कार्यालय मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलर शिवपुरी द्वारा आमंत्रित

निविदा प्रक्रिया में उक्त फर्में सम्मिलित हुई एवं निविदा प्रक्रिया में प्राप्त दरों में निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही की गई । निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित टेण्डर फार्म की आईटमों की **सूचियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है** । (ख) निविदा विज्ञप्ति का सूचना पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है** । (ग) वर्णित सामग्री की मात्रा राशि अवधि एवं वितरण की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है** (घ) जी नहीं । फर्म का प्रमाण पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है** । संबंधित फर्म का बैंक खाता क्रमांक 00480210001073 बैंक का नाम यूको बैंक ग्वालियर है ।

मध्यप्रदेश में शासकीय अनुदान प्राप्त मदरसे

32. **(क्र. 944) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने मदरसे सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे है बतलावें ? एवं यह भी बतलावें कि शासन से इन्हें वर्ष में कुल कितनी राशि अनुदान में प्राप्त होती है ? तथा अनुदान प्राप्त करने के शासन द्वारा क्या नियम बनाये गये है ? (ख) गुलाम सरवर अंसारी समन्वयक मध्यप्रदेश मदरसा वोर्ड भोपाल द्वारा शासन को की गई शिकायत क्या है ? एवं इस शिकायत पर शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या शासन फर्जी मदरसों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर से कराकर दोषियों को दंडित करेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1490 मदरसे भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे है । प्रत्येक मदरसे में कार्यरत स्नातक शिक्षक को 72000/- रू. प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक के मान से अनुदान राशि दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा तीन शिक्षक तक हो सकती है । भारत सरकार के नियमानुसार मदरसे में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषय भी पढाये जा रहे हो तथा कम से कम 10 विद्यार्थी उपलब्ध हो एवं मदरसा तीन वर्ष से अस्तित्व में हो । (ख) शिकायत की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है** । 43 अनुदान प्राप्त मदरसों की शिकायत की जाँच जिला स्तर पर कराई गई जाँच में सभी मदरसे संचालित पाये गये । (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

उज्जैन संभाग में गंभीर चिकित्सा की सुविधा

33. **(क्र. 972) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में गंभीर रोगों के उपचार (हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, किडनी एवं लीवर रोग, पेट रोग, गंभीर दुर्घटना उपचार आदि) की सुविधा किन-किन जिलों में है ? (ख) क्या संभाग में एक बड़े चिकित्सालय की आवश्यकता मंदसौर, नीमच, शाजापुर, रतलाम जैसे बड़े क्षेत्रों एवं बड़ी आबादी के मान से सरकार महसूस करती है ? (ग) क्या लंबी दूरी से गंभीर मरीजों को इन्दौर तक जाने एवं रास्ते में अकाल मौत का ग्रास बनने से रोकने की दिशा में संभाग मुख्यालय पर इन्दौर समान चिकित्सक व चिकित्सा सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन संभाग के समस्त जिला चिकित्सालयों में गंभीर रोगों के उपचार यथा हार्ट अटैक, गंभीर दुर्घटना का प्राथमिक उपचार किया जाता है । ट्रामा सेंटर की सुविधा जिला चिकित्सालय, उज्जैन एवं रतलाम में उपलब्ध है । लीवर रोग एवं पेट रोग के मरीजों के लिए पैथालॉजीकल जॉचे, अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे की सुविधा उज्जैन संभाग के समस्त जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है । किडनी के मरीजों के लिए हीमोडायलिसिस की सुविधा जिला चिकित्सालय, रतलाम में उपलब्ध है विशेषज्ञों के परीक्षण उपरांत कीमोथेरेपी की सुविधा जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है । (ख) जी नहीं । (ग) उज्जैन संभाग के संभाग मुख्यालय, जिला उज्जैन में संचालित 700 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय में उस मान से सुविधायें उपलब्ध है, जो कि इन्दौर संभाग के संभागीय मुख्यालय में स्थित 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय इन्दौर में उपलब्ध सुविधा से अधिक है ।

<u>चिकित्सा विशेषज्ञों की नियुक्ति</u>

34. **(क्र. 973) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में (आलोट-ताल-बडावदा) विभिन्न रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? (ख) क्या यह सही है कि आलोट अनुसूचित जाति आरक्षित विधान सभा क्षेत्र होकर गरीब व मध्यमवर्गीय परिवार बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ चिकित्सा सुविधाओं की वर्षों से कमी है ? यदि हाँ, तो फिर भी यहाँ विशेषज्ञों के नियुक्त ना होने का क्या कारण है ? (ग) वर्तमान में आलोट-ताल-बड़ावदा में कितने विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं क्या-क्या चिकित्सा सुविधायें है ? (घ) विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु सरकार ने क्या मापदण्ड निर्धारित किये हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की प्रक्रिया निरंतर जारी है । (ख) जी नहीं, । प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है स्वीकृति 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है अत: शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हुई है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर पदोन्नति की कार्यवाही जारी है । (ग) विशेषज्ञों की कमी के कारण वर्तमान में अलोट/ताल में किसी विशेषज्ञों की पदस्थापना नहीं की जा सकी है । बडावडा में विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्ड अनुसार वर्तमान में पदस्थ स्टॉफ द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है (घ) विभाग में प्रचलित भर्ती नियम अनुसार विशेषज्ञों के शतप्रतिशत स्वीकृत पदों पर पदोन्नति के माध्यम से पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है । स्नात्कोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सक, 5 वर्ष की अहर्तादायी सेवा उपरांत विशेषज्ञ के पत्र पर पदोन्नति हेतु पात्र होते हैं तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी चिकित्सक, 7 वर्ष की अर्हतदायी सेवा उपरांत, विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होते है ।

रिक्त पदों की पूर्ति

35. **(क्र. 1043) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के द्वारा गंजबसौदा विधानसभा क्षेत्र में जन चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों पर नियुक्ति बाबत् विभाग के प्रमुख सचिव एवं संचालक को पत्र लिखे जाने के बाद भी प्रश्नांकित तिथि तक रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी है ? (ख) यदि हाँ, तो गंज बसौदा क्षेत्र में किस जन चिकित्सालय एवं किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल कितना स्टाफ स्वीकृत है, उसमें से कितना स्टाफ कार्यरत है, कितना स्टाफ अन्य स्थानों पर कार्यरत है ? (ग) रिक्त पदों पर पदस्थापना हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? कब तक रिक्त पदों पर पदस्थापना कर दी जावेगी ? समय-सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । गंज बासौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का संलग्नीकरण नहीं है । (ग) विभाग में विशेषज्ञो एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी हैं । चिकित्सा अधिकारियो हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका हैं, तथा पैरामेडिकल के 900 पदों पर सीधी भर्ती हेतु मांग पत्र व्यापम को प्रेषित किया गया हैं । चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी । निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान

36. **(क्र. 1044) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग सहित किस-किस श्रेणी या संवर्ग के शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान प्रचलित हैं, अध्यापक संवर्ग के कर्मी की मृत्यु होने पर आश्रित को भृत्य या सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्ति दिए जाने के क्या प्रावधान है यदि नहीं है तो कारण बतावें ? (ख) विदिशा एवं बैतूल जिले में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं इनमें से कितने प्रकरण बी.टी.आई./बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण लंबित हैं अध्यापक संवर्ग की पृथक से जानकारी दें ? (ग) सहायक ग्रेड 3 पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को कम्प्यूटर एवं टाईपिंग परीक्षा हेतु कितना समय दिए जाने का प्रावधान है, अध्यापक संवर्ग की मृत्यु पर आश्रित को बी.टी.आई./बी.एड. हेतु कितना समय दिए जाने का प्रावधान है ? यदि नहीं हो तो कारण बतावें ? (घ) अध्यापक संवर्ग के आश्रित को बी.टी.आई. या बी.एड. उत्तीर्ण किए जाने हेतु तीन वर्ष या पांच वर्ष का समय दिए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक इस बाबत् आदेश जारी किए जावेंगे, समय सीमा सहित बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अध्यापक संवर्ग सहित सभी श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान है प्रावधान से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ, ब एवं स पर है** । अध्यापक संवर्ग के आश्रित को सहायक ग्रेड-3 एवं भृत्य के प पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है । अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी स्थानीय एवं पंचायत निकाय के कर्मचारी है अत: शासकीय नियमित भृत्य एवं सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाना संभव नहीं है । (ख) जानकारी निम्नानुसार है :- जिला :- विदिशा अध्यापक संवर्ग के अतिरक्त अन्य शासकीय सेवक के आश्रितों के प्रकरण :- कुल प्रकरण :- विदिशा-17 योग-17 बी.टी.आई./बी.एड उत्तीर्ण न होने के कारण लंबित प्रकरण- विदिशा-13 योग-13 अध्यापक संवर्ग के आश्रितों के प्रकरण:- कुल प्रकरण- विदिशा-05 योग-05 बी.टी.आई./बी.एड उत्तीर्ण न होने के कारण लंबित प्रकरण- विदिशा-01 योग-01 जिला :- बैतूल अध्यापक संवर्ग के अतिरक्त अन्य शासकीय सेवक के आश्रितों के प्रकरण :- कुल प्रकरण :- बैतूल-17 योग-17 बी.टी.आई./बी.एड उत्तीर्ण न होने के कारण लंबित प्रकरण- बैतूल-निरंक योग-निरंक अध्यापक संवर्ग के आश्रितों के प्रकरण :- कुल प्रकरण- बैतूल-07 योग-07 बी.टी.आई./बी.एड उत्तीर्ण न होने के कारण लंबित प्रकरण- बैतूल-निरंक योग-निरंक, (ग) एवं (घ) सहायक ग्रेड-3 हेतु 03 वर्ष एवं नियोक्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बढाई जाने का प्रावधान है । अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए समय दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भारत सरकार के नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ;एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एन.सी.टी.ई. द्वारा तदद् संबंधी अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 23 अगस्त 2010 को जारी की गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र-द पर है** । अब इन पदों पर अधिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता की पूर्ति के बिना अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकती है । इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा परिपत्र क्रं0 स्था-4/सी/अनु0नियु0/ 109/2014/2295 दिनांक 09.12.2014 जारी किया गया है । चूंकि उक्त अनिवार्यता केन्द्रिय कानून के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नियत है इसलिए उसकी अनिवार्यता को समाप्त करना राज्य सरकार द्वारा सम्भव नहीं है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>वन अधिकार कानून की धारा 3 (2) के अंतर्गत कार्य</u>

37. **(क्र. 1046) श्रीमती रेखा यादव :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3 (2) में किन किन कार्यों के लिए कितनी वन भूमि की अनुमति दिए जाने के प्रावधान दिए गए हैं ? इन अनुमति के संबंध में शासन ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ? (ख) राज्य में प्रचलित किस कानून, किस नियम, किस आदेश, किस निर्देश, किस संकल्प में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किए जाने की बजाय मानदेय की राशि का निर्धारण कर मानदेय का भुगतान चौकीदारों को दिए जाने का अधिकार रखती है ? (ग) श्रमायुक्त द्वारा अक्टूबर 2014 को जारी

आदेश या निर्देश के बाद भी छतरपुर एवं बैतूल जिले में चौकीदारों को किए गए मानदेय भुगतान की जाँच प्रश्नांकित तिथी तक भी पूरी कर प्रकरण न बनाए जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं ? (घ) कब तक श्रम विभाग छरतपुर एवं बैतूल जिले में कार्यरत सभी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में चौकीदारों को किए गए मानदेय भुगतान की जाँच कर प्रकरण बना लेगा ? यदि हाँ तो समय-सीमा सहित बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है** (ख) मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22 अक्टूबर 2001 अनुसार वन विभाग किसी ग्राम में संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन कर उनको पंजीबद्ध इस आधार पर करता है कि उस ग्राम के ग्रामवासी स्वेच्छा से अपने वन क्षेत्र की सुरक्षा, विकास एवं प्रबंधन हेतु संयुक्त रूप से कटिबद्ध है । जब कभी ग्राम में वनों के विकास हेतु कार्य किये जाते है तो इन समितियों को वनों की सुरक्षा करने के एवज में विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि (सुरक्षा राशि) दी जाती है । यह राशि मात्र प्रोत्साहन राशि है, कोई सुरक्षा करने की मजदूरी नहीं है । वन विभाग के पत्र क्रमांक-3351/2181/2004/10-2 दिनांक 30/11/2004 के अनुसार समिति वनों की सुरक्षा, वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं अग्नि से सुरक्षा के कार्य करती है । इसके लिये वह जो भी पद्धति तय करें, उस पद्धति से अपने सदस्यों को जो भी मानदेय देना चाहे, उसके लिये वह स्वंतत्र है । मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के उक्त पत्रों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन एवं चार अनुसार है (ग) जिला छतरपुर में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है । जिला बैतूल में श्रम पदाधिकारी बैतूल के प्रतिवेदन अनुसार बैतूल जिले में अक्टूबर 2014 को जारी आदेश के बाद 20 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के निरीक्षण किये गये है । शेष समितियां दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में होने तथा मात्र 01 निरीक्षक पदस्थ होने की स्थिति में निरीक्षण कार्य में व्यवधान हो रहा है । (घ) जिला छतरपुर में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है । जिला बैतूल में शेष समस्त वन प्रबंधन समितियां दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में स्थित होने के कारण निरीक्षण कार्य में व्यवधान हो रहा है, फिर भी निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे है ।

<u>बहुउद्देशयी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती</u>

38. **(क्र. 1084) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला /पुरूष के कौन-कौन से पद स्वीकृत है ? कौन-कौन से पद रिक्त है ? पद रिक्त होने के क्या कारण है ? (ख) भिण्ड जिले के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला /पुरूष की कौन-कौन सी नियुक्ति फर्जी पाई गई ? किस स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ? (ग) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष / महिला के पद पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ? (घ) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष / महिला के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण कब से किस स्तर पर विचाराधीन है ? कब तक प्रकरणों को निर्वतन कर लिया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) भिण्ड जिले के अन्तर्गत महिला/पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत एवं रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय उपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी । (ग) भिण्ड जिले में केवल पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3 पद रिक्त है । वर्तमान में पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद डाईंग केडर (मृतप्राय) होने के कारण भरना संभव नहीं है । (घ) संचालनालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है । शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा ।

<u>परिशिष्ट - "पैंतीस"</u>

<u>पोहरी विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदों की पूर्ति</u>

39. **(क्र. 1110) श्री प्रहलाद भारती :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्रसव केन्द्रों में कुल कितना-कितना स्टॉफ स्वीकृत है कौन-कौन से पद भरे हैं व कौन-कौन से पद रिक्त है संस्थावार बतावें एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी समय अवधि बतावें ? (ख) क्या यह सही है, कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रसव केन्द्र, भटनावर, गोपालपुर एवं जौराई में पर्याप्त स्टॉफ पदस्थ नहीं होने के कारण ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा है, इसके लिये कौन जिम्मेदार है व उक्त प्रसव केन्द्रों के बेहतर संचालन हेतु विभाग द्वारा क्या कोई योजना तैयार की गई है व उक्त प्रसव केन्द्रों में स्टॉफ की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैराढ एवं नवीन स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छर्च हेतु कौन-कौन से पद स्वीकृत किये गये है ? क्य उक्त संस्थाओं पर स्वीकृत पदों के विरूद्ध नवीन पदस्थापना कर दी गई है यदि हाँ, तो पदवार, नामवार जानकारी उपलब्ध करावें यदि नहीं तो नवीन पदस्थपना कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार** है । विभाग में विशेषज्ञों एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है । चिकित्सा अधिकारियों हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा पैरामेडिकल के 900 पदों पर सीधी भर्ती हेतु मांग पत्र व्यापम को प्रेषित किया गया है । चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी । निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है । (ख) पोहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रसव केन्द्र, भटनावर, गोपालपुर एवं जौराई में स्वीकृति अनुरूप स्टॉफ पदस्थ है । तीनों उप स्वास्थ्य केन्द्रों को 01 नियमित ए.एन.एम. व 01 संविदा ए.एन.एम. का पद स्वीकृत है, जो पदस्थ है । उक्त केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैराढ़ एवं नवीन स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छर्च में स्वीकृत पदवार नामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है** । उत्तरांश (क) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य

40. **(क्र. 1111) श्री प्रहलाद भारती :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2009 से प्रश्न दिनांक तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पोहरी विधान सभा क्षेत्र में कितने व कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिये नवीन भवन एवं अतिरिक्त कक्ष, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, हॉस्टल निर्माण व पेयजल हेतु हैण्डपम्प खनन के कार्य स्वीकृत हुए ? व इस हेतु किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु राशि प्राप्तु हुई व उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कौन-कौन से कार्य ऐसे है जो समय अवधि में पूर्ण नहीं हुए है ? (ख) समय अवधि में अपूर्ण कार्यों हेतु कौन जिम्मेदार है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? कार्यवार, वर्षवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ ही नहीं किये गये है व उसके लिये कौन जिम्मेदार है व उस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है व अप्रारंभ कार्य कब तक प्रारंभ किये जावेंगे समय अवधि बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 01 जनवरी 2009 से प्रश्न दिनांक तक सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत पोहरी विधानसभा क्षेत्र में 7 माध्यमिक शाला भवन 440 अतिरिक्त कक्ष 108 बाउण्ड्रीवाल 552 शौचालय एवं 21 पेयजल हेतु हैंडपम्प खनन के कार्य स्वीकृत हुए हैं । इस हेतु सर्वशिक्षा अभियान मद में राशि प्राप्त हुई है । पूर्ण कार्यो की कार्यवार प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** एवं समय अवधि में पूर्ण नहीं होने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) समय अवधि में अपूर्ण कार्यो हेतु जिम्मेदार निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव है । उनके विरूद्व अनुविभागीय राजस्व के कार्यालय में धारा 40/92 का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है । कार्यवार वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) प्रश्न दिनांक तक कुल 16 अप्रारंभ कार्यो में से 14 कार्यो हेतु निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच सचिव जिम्मेदार है जिनके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में कार्यवाही प्रचलन में है । शेष 2 कार्य हेतु कार्यो की राशि वसूली उपरांत सचिव को निलंबित कर दिया गया है । अप्रारंभ कार्य प्रारंभ होना संभव नहीं है । लागतवृद्वि होने के कारण उक्त कार्यो की राशि एजेंसी से वापस मंगाकर निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है । विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** ।

मुंगावली तथा जावरा की शा.अस्पतालों में स्वीकृत पदों की पूर्ति

41. **(क्र. 1149) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगावली तथा जावरा में स्थित शासकीय अस्पतालों व डिस्पेंसरी में कितने पद स्वीकृत है व उनमें कितने कौन-कौन से पद रिक्त/भरे हुये है तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक हो जायेगी ? (ख) पिछले 2 वर्ष में मुंगावली व जावरा विधानसभा क्षेत्रों में कितना-कितना बजट विभिन्न मदों में स्वीकृत किया गया व उसका क्या-क्या उपयोग हुआ, कितने

भवन आदि बने व कितनी धनराशि की दवाईयां दी गई ? (ग) मुंगावली व जावरा में रोगी कल्याण समितियों की क्या आमदनी पिछले 3 वर्ष में रही व किस-किस कार्य हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष खर्च की गई व वर्तमान में क्या स्थिति है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुंगावली तथा जावरा में स्थित शासकीय अस्पतालों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** विभाग के अधीन रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती से एवं पदोन्नति द्वारा निरंतर जारी हैं । निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं हैं । (ख) पिछले 2 वर्ष में मुंगावली व जावरा विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट तथा उपयोग की **जानकारी पुस्ताकयल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार हैं** जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सिविल अस्पताल में ओ.पी.डी. का निर्माण कार्य तथा 2 एफ टाईप एवं 4 जी टाईप आवासीय क्वाटर का निर्माण कार्य किया गया हैं । मुंगावली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत भवन नहीं बने हैं । दवा नीति के तहत् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जेनरिक दवाईयॉ क्रय की जाकर अधिनस्थ संस्थाओ में दवाईयों की उपब्धता सुनिश्चित की जाती हैं । (ग) मुंगावली व जावरा में रोगी कल्याण समितियों की 3 वर्ष की आमदनी, खर्च व वर्तमान स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "स" अनुसार** हैं ।

उच्चतर विद्यालयों में नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण

42. **(क्र. 1166) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिलो में गत 5 वर्षों में नि:शुल्क पुस्तक योजना अंतर्गत (कला समूह) किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को राशि दी गई है ? (ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जिन छात्रों को पुस्तके वितरित की गई हैं उनकी संख्या बतावें ? (ग) प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि दी गई ? (घ) उपरोक्त पुस्तकें किस नियम के तहत क्रय की गई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजनांतर्गत ।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को जारी राशि

43. **(क्र. 1167) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में विगत 05 वर्षों में प्रत्येक हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एस.एम.डी.सी. के तहत कितनी राशि जारी की गई है ? (ख) उपरोक्त राशि को खर्च करने के नियम क्या है ? (ग) विगत 05 वर्षों में प्राप्त राशि किस-किस मद में व्यय की गई है ? मदवार जानकारी दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मंदसौर जिले में विगत पांच वर्षो में प्रत्येक हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एस.एम. डी.सी. को कुल राशि रूपये 4,95,41,300/- जारी की गई है । (ख) प्रश्न- क में वर्णित राशि को खर्च करने संबंधी नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) विगत 05 वर्षो में एस.एम.डी.सी. द्वारा वार्षिक अनुदान मद में रूपये 1,96,63,580/- आंशिक मरम्मत मद मे रूपये 57,36,334/-, कार्ययोजना मद (प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी) निर्माण में रूपये 2, 53, 800/-, आत्मरक्षा प्रशिक्षण मद में रूपये 2,50,000/- राशि व्यय की गई ।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

44. **(क्र. 1176) डॉ. मोहन यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिला अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने मरीजों के उपचार की वर्तमान में व्यवस्था है ? स्वास्थ्य केन्द्रवार, तहसीलवार पृथक-पृथक विवरण दें ? (ख) क्या सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधाऐं बढ़ाऐं जाने की कोई योजना है ? यदि हाँ तो किन-किन हॉस्पिटलों को उन्नयन किये जाने की शासन की योजना है ? विवरण दें तथा इन्हें कब तक उन्नयन कर वहाँ डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ तथा संसाधनों की पूर्ति कर दी जावेगी ? (ग) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान में क्या-क्या सुविधाऐं प्रदान की जा रही है ? तथा सिंहस्थ महापर्व हेतु उक्त सुविधाओं में क्या इजाफा किया जावेगा ? अस्पतालवार, स्वास्थ्य केन्द्रवार संपूर्ण विवरण दें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी, नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) माधव नगर 100 बिस्तरीय अस्पताल में ट्रॉमा सेन्टर पैथालॉजी एक्सरे सोनोग्राफी ई.जी.जी आर्थोपेडिक सर्जरी सामान्य सर्जरी प्रसव सुविधा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा आंतरिक एवं बाह्य रोगी उपचार की समुचित व्यवस्था प्रदाय की जा रही है । जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए 450 शैय्याओं वाले एक चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है)

परिशिष्ट - "सैंतीस"

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण की संचालित योजनाएं

45. **(क्र. 1234) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण की क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं इस हेतु कितनी-कितनी राशि वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक की अवधि में वर्षवार जिले को प्राप्त हुई ? (ख) उक्त योजनान्तर्गत उक्त प्राप्त राशि में से जिले में किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की पूर्ण जानकारी वर्ष/कार्यवार उपलब्ध करावें ? (ग) क्या अल्प संख्यक विकास योजनान्तर्गत जिला मुख्यालय पर अल्प संख्यक वर्ग की छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण

हेतु प्रस्ताव तैयार कर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? (घ) यदि हाँ, तो बतावें कि उक्त प्रस्ताव कितनी राशि का हैं व कब भेजा गया ? वर्तमान में ये प्रस्ताव किस स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित पड़ा है कब तक उक्त लंबित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर इस हेतु बजट में राशि का प्रावधान करके छात्रावास का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा अवगत करावें ? पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यकों के कल्याण हेतु शासन के निर्देश की प्रति भी उपलब्ध करावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>आरोग्य केन्द्रो का संचालन</u>

46. **(क्र. 1235) श्री दुर्गालाल विजय** : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में कितने आरोग्य केन्द्र कब से व कहाँ-कहाँ संचालित हैं, इनमें कौन-कौन स्टॉफ व क्या-क्या सुविधाये उपलब्ध हैं ? इन केन्द्रों में सुविधाओं के वास्ते इनके प्रारंभ दिनांक से वर्तमान तक कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? केन्द्रों के प्रारंभ करने के क्या उद्देश्य हैं बतावें ? (ख) शासन निर्देशानुसार क्या उक्त सभी केन्द्रों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दिया गया हैं ? यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष में कितने-कितने मरीज केन्द्रवार लाभान्वित हुए संख्या बतावें ? (ग) उक्त में से किन-किन केन्द्रों का निरीक्षण अप्रैल 2014 से वर्तमान तक की अवधि में किस-किस विभागीय/अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कब-कब किया गया इस दौरान क्या-क्या अनियमितताऐं पाई इस हेतु दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) माह नवम्बर 2014 में आईसीडीएस के परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र जैदा के निरीक्षण के दौरान केन्द्र में ही संचालित आरोग्य केन्द्र पर उन्हें एक्सपाईरी डेट दवाईयां मिली ये दवाईयां कब व किसके द्वारा कितनी मात्रा में जैदा आरोग्य केन्द्र को उपलब्ध कराई गई? इस हेतु कौन दोषी हैं, के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जावेगी यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोतम मिश्र) : (क) प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है** । ग्राम आरोग्य केन्द्र में स्टाफ के रूप में किसी की पदस्थापना नहीं की गयी है, किंतु ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू. वीएचएनडी के दिन अपनी सेवाएं देते है । ग्राम आरोग्य केन्द्रों पर सुविधाओं के वास्ते ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन, 5 तरह की जांचें, एवं 16 प्रकार की मूलभूत औषधियां उपलब्ध है । ग्राम आरोग्य केन्द्र में सुविधाओं के वास्ते इनके प्रारंभ वर्ष 2012 से वर्तमान तक प्रदाय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' में अंकित है** । ग्राम आरोग्य केन्द्र ग्राम स्तर पर मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए हैं । (ख) श्योपुर जिले के अन्तर्गत अधिकांश आरोग्य केन्द्रों को व्यवस्थित कर लिया गया है । शेष आरोग्य केन्द्रों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया चक्रिय क्रम में जारी है तथा विगत एक बर्ष में आरोग्य केन्द्रों पर केन्द्रवार लाभान्वित हुए मरीजों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-'अ' अनुसार** । (ग) अप्रैल 2014 से

वर्तमान तक की अवधि में केन्द्रों का निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'ब' अनुसार है** । (घ) जी हाँ । माह अप्रैल 2014 में उप स्वास्थ्य केन्द्र अजापुर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 10 बाटल Ofloxacin प्रदाय की गयी थी, जिसकी एक्सपायरी अक्टूबर 2014 थी । इनमें से 6 बाटल का उपयोग किया जा चुका था एवं शेष 4 बाटल विनष्टीकरण हेतु पृथक से रखी गयी थी । यही 4 बाटल आई.सी.डी.एस. के परियोजना अधिकारी द्वारा देखी गयी थी । चूंकि विनष्टीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है, अतः इस हेतु किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

म.प्र. में शासकीय विद्यालयों के भवन व मैदान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाना

47. **(क्र. 1247) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के सभी विद्यालयों के भवन व मैदान की भूमि राजस्व रिकार्ड में विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है ? यदि सभी का दर्ज नहीं तो क्या राजस्व रिकार्ड में दर्ज करायेगे ? (ख) क्या विद्यालयों की भूमि का सीमांकन करवाया गया है ? यदि नहीं तो क्या सीमांकन करवाया जावेगा ? निश्चित समयावधि तय की जावेगी ? (ग) शाजापुर जिलों के किन-किन स्थानों के कौन-कौन से विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण है ? क्या अतिक्रमण हटवाये जावेंगे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों के भवन एवं मैदान की भूमि स्कूल शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज नहीं है । संचालनालय के पत्र क्रमांक/भवन/वि.स./बी/415/2013/894-895 भोपाल दिनांक 08.07.2013 एवं पत्र क्रमांक/भवन/वि.स./बी/415/2014/58-59 भोपाल दिनांक 28.01.2015 द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर को विद्यालयों के भवन व मैदान की भूमि राजस्व रिकार्ड में विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ख) जी नहीं । जी हाँ । निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है । (ग) शाजापुर जिले के किसी भी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शाला भवन की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है । शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

शालाओं के उन्नयन तथा किये गये निर्माण

48. **(क्र. 1292) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में वर्ष 2014-15 में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का उन्नयन किया गया ? एवं कितनी नवीन शालाएं स्वीकृत की गई ? शालाओं के नाम बतावें? (ख) इन शालाओं की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण हेतु स्वीकृति देने के लिए कौन अधिकृत है एवं ये स्वीकृतियां कब, कितनी और किसके आदेश से प्रदान की गई ? (ग) इन शालाओं के लिए कितनी-कितनी राशियों का आवंटन कब और कितना किया गया ? (घ) क्या यह सही है कि कुछ शालाओं के भवनों का निर्माण प्रशासकीय स्वीकृति एवं राशि के आवंटन के पूर्व ही प्रारंभ कर दिया गया ? यदि हाँ, तो विवरण प्रदाय करें तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2014-15 में किसी भी प्राथमिक से माध्यमिक शाला एवं माध्यमिक शाला से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन नहीं किया गया है, और न ही नवीन शाला स्वीकृत की गई है । (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

डाक्टरों को प्रदाय की जाने वाली मूलभूत सुविधाएं

49. **(क्र. 1293) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चन्दला (49) के सम्पूर्ण अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या कुल कितनी है ? अस्पताल में स्वीकृत पद संख्या से भरे पद कम होने से रिक्त संख्या है ? (ख) यदि संख्या कम है तो डॉक्टरों की पदस्थापना कर कब तक पूर्ति की जावेगी ? महिला डॉक्टर की संख्या की भी पूर्ति कब तक की जावेगी ? (ग) चन्दला विधानसभा अन्तर्गत डॉक्टरों के नहीं जाने का कारण क्या डॉक्टरों को प्रदाय की जाने वाली मूलभूत सुविधा की कमी है, यदि हाँ तो पुरूष/महिला डॉक्टरों के लिये चन्दला विधानसभा सभा अन्तर्गत मूलभूत सुविधायें कब तक प्रदाय की जावेगी ? (घ) विधानसभा क्षेत्र चन्दला अन्तर्गत सभी अस्पतालों में जननी सुरक्षा, संजीवनी, तत्काल वाहन सेवा हेतु मरीजों की सुविधाओं हेतु कितने वाहन लगाये गये है, अस्पतालवार जानकारी देवे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विधानसभा क्षेत्र चन्दला अन्तर्गत 04 चिकित्सा अधिकारी एवं 01 संविदा चिकित्सक पदस्थ कार्यरत है । विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 06 पद रिक्त हैं । (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, पदोन्नति की प्रक्रिया निरंतर जारी है एवं चिकित्सा अधिकारी के 1271 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी । पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । (ग) चन्दला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासन मापदण्ड अनुसार समस्त मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "अइतीस"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया के नवीन भवन की बाउण्ड्रीवाल एवं स्टॉफ क्वार्टस का निर्माण

50. **(क्र. 1319) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया के लिये नवीन भवन बनकर तैयार हो चुका है जिसमें स्टॉफ क्वार्टस एवं बाउण्ड्रीवाल का प्रावधान भी किया गया है ? यदि नहीं तो कर्मचारी निवास एवं चिकित्सा भवन की सुरक्षा के लिये क्या प्रावधान किया गया है ? क्या नवीन अस्पताल भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के

स्थानांतरण के साथ ही उपरोक्त व्यवस्था की जावेगी ? (ख) क्या शासन उक्त नवीन निर्मित भवन की बाउण्ड्रीवाल एवं कर्मचारी आवास निर्मित करने का प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ, सा. स्वा. के. सुठालिया का नवीन भवन बनकर तैयार हो चुका है लेकिन स्टॉफ क्वॉटर एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं हुआ है बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय भवनो का प्रस्ताव जिले से प्राप्त होने पर कार्यावाही की जायेगी । (ख) जिले से प्रस्ताव होने के पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय प्रावधान करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

<u>विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की आयुष केन्द्रों पर रिक्त पदों की पूर्ति</u>

51. **(क्र. 1320) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कहाँ-कहाँ आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत है जिनमें कौन-कौन से औषधालय स्वयं के भवन में कार्यशील होकर सेवारत है ? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित कार्यशील औषधालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत होकर कौन-कौन से पद कब से रिक्त है तथा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा भवनविहीन अथवा क्षत-विक्षत भवनों के स्थान पर नवीन व सज्जित भवन बनाने की क्या योजना है ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त औषधालयों में कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त होने तथा भवनविहीन होकर औषधियों का अभाव होने से उनकी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है ? यदि हाँ, तो क्या शासन शीघ्र रिक्त पदों की पूर्ति करने, भवन निर्माण तथा आवश्यक औषधियों की निरंतर आपूर्ति करेगा ? (घ) क्या शासन की ऐसी भी कोई योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आयुर्वेदिक औषधालयों में पदस्थ आयुष चिकित्सक अन्य व्यवस्था होने तक ऐलोपेथिक पद्धति से भी उपचार कर सकेंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंर्तगत निम्न आयुष औषधालय संचालित है।1. हासरोद 2.बैलास 3.बारवां 4.कानेड 5.टोडी 6.सिन्दूरिया 7.झरखेडा शासकीय आयुष औषधालय बारवां एवं सिन्दूरिया स्वयं के भवन में संचालित है । (ख) प्रश्नांश "क" वर्णित कार्यशील औषधालयों में स्वीकृत पद एवं कब से रिक्त है की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है** । रिक्त पदों की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :- 1. आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा करायी जा रही हैं । 2.पैरामेडिकल पदो की पूर्ति हेतु 04/09/2014 को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है शेष रह गये पदों को प्रतीक्षा सूची से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन मे है। नवीन आयुष औषधालय भवन बनाये जाने हेतु योजना है । बजट उपलब्धता अनुसार भवन बनाये जाते है । (ग) पदों की पूर्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश 'ख' अनुसार । आयुर्वेद औषधालयों की आवश्यक औषधियों की निरंतर आपूर्ति की जा रही है । जी हॉ (बजट उपलब्धता के आधार पर) । (घ) जी नहीं।

<u>परिशिष्ट - "उनतालीस"</u>

स्वाईन फ्लू की रोकथाम

52. **(क्र. 1333) श्री जितू पटवारी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्वाईन फ्लू का प्रकोप महामारी के रूप में लगातार बढ़ रहा है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा जनहित में नागरिकों की सुरक्षा एवं सचेत रहने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये है ? (ख) इस बीमारी की रोकथाम के लिये अन्य कौन-कौन से विभाग का सहयोग लिया जा रहा है तथा विगत तीन वर्षों से वर्तमान तक शासन की कितनी राशि व्यय हुई है ? (ग) प्रश्नांक (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में स्वाईन फ्लू के कितने मरीज कौन-कौन से जिले में मिले है एवं इनका ईलाज कौन-कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है तथा विगत तीन वर्षों में इस बीमारी से कितने लोगों की मौत हो चुकी है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (घ) क्या शासन द्वारा स्वाईन फ्लू से मरने वालों के परिवारजनों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है ? यदि हाँ तो कितना एवं प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्तमान में मौसम में बदलाव होने के कारण प्रदेश के कुछ जिलों से स्वाईन के प्रकरण प्रकाश में आए है । शासन द्वारा स्वाईन फ्लू मरीजों हेतु जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतलों में सर्दी-जुक़ाम (स्वाईन फ्लू एच1एन1) काउन्टर बनाये गये है । जो 24*7 घण्टें कार्यरत है । इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू (एच1एन1) के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आइसोलेशन वार्ड बनाये गये है । स्वाईन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में औषधियां/सामग्रीयां आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई गई है । सभी शासकीय चिकित्सालयों में निशुल्क जांच एवं उपचार किया जा रहा है । प्रत्येक जिले एवं राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम/हेल्प लाईन नम्बर सामान्य जनमानस की सुविधा के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये । प्रचार-प्रसार (मशाल रैली, होर्डिंगस, वॉल पेंन्टिग, पेमप्लेट रेडियो जिंगल, टी.वी. स्कॅरोल) के माध्यम से किया जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जन समुदाय के लिये स्वाईन फ्लू जागरूकता के लिये समाचार पत्र के माध्यम अपील की गई । (ख) स्वाईन फ्लू बीमारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा विगत तीन वर्षों में जनवरी 2015 तक शासन द्वारा किसी भी राशि का व्यय नहीं हुआ है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है** । (घ) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "चालीस"

मिशनरी विद्यालयों में प्रवेश

53. **(क्र. 1334) श्री जितू पटवारी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में संचालित मिशनरी स्कूलों के अपने स्वयं के कोई नियम कायदे है ? क्या स्कूल शिक्षा विभाग एवं RTI के नियम कायदे इन विद्यालयों पर लागू नहीं होते है ? (ख) इंदौर जिलें में

संचालित मिशनरी विद्यालयों द्वारा विगत 2012-13, 2013-14 में RTI के अंतर्गत कितने निर्धन समूह के बच्चों को जातिवार एवं कौनसी कक्षा में प्रवेश दिया है ? विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) आगामी सत्र 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक RTI के अंतर्गत कौन सी कक्षा में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाना है ? कितनो को प्रवेश दिया गया है एवं कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाना शेष है ? विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभाग द्वारा मिशनरी स्कूलों के लिये पृथक से कोई नियम प्रावधानित नहीं है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान लागू नहीं है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है ।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है ।**

<u>औपचारिकेत्तर शिक्षकों, अनुदेशको को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में संविदा में नियुक्ति</u>

54. **(क्र. 1354) श्री रणजीतसिंह गुणवान :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, औपचारिकेत्तर शिक्षा के व्यापम उत्तीर्ण अनुदेशक पर्यवेक्षको को वर्ग-3 के संविदा शाला शिक्षक बनाने की कार्यवाही प्रस्तावित है ? (ख) क्या प्रश्नांकित में से कुछ अनुदेशकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 पर नियुक्त कर दिया है तथा कुछ शेष रह गये है ? (ग) यदि हाँ, तो शेष हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण, व्यापम उत्तीर्ण अनुदेशकों को शासन शीघ्र नियुक्ति प्रदान करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) व्यापम द्वारा आयोजित दोनों पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्ण अनुदेशक एवं पर्यवेक्षकों को मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 04.01.2010 की अधिसूचना और उसके अनुक्रम में जारी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ-44-56/2007/बीस-2 भोपाल, दिनांक 14.05.2010 के अन्नक्रम में कार्यवाही की जा रही है । (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार यथाशीघ्र ।

<u>जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर के आदेश की अवहेलना</u>

55. **(क्र. 1369) श्री राजेश सोनकर :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर ने अपने पत्र क्र./प्रभार/2014/4186 दि. 8.11.2014 द्वारा शा.मा.वि. मोहम्मदपुरा का प्रभार एक शिक्षिका को लेने का आदेश दिया था ? हाँ तो 31.1.15 की स्थिति में भी उक्त शिक्षिका द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या अधिकारी बदल जाने पर अधिनस्थ द्वारा पूर्व अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना दंडनीय कृत्य नहीं है ? (ग) क्या उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित किया जा रहा है ? अगर नहीं तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । संबंधित सहायक शिक्षिका द्वारा आदेश की अवहेलना करने के कारण उसके विरूद्व पत्र क्रमांक 691 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है । संबंधित के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

भारत शासन की सर्व शिक्षा अभियान को भेजे गये प्रस्ताव एवं प्राप्त राशि

56. **(क्र. 1385) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) केन्द्रीय योजनांतर्गत विगत 5 वर्षों में भारत शासन को सर्व शिक्षा अभियान एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कितनी राशि के अनुदान प्रस्ताव भेजे गये ? भारत शासन द्वारा उक्त अनुदान प्रस्ताव के विरूद्व कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत राशि के विरूद्व कितनी राशि प्राप्त हुई एवं प्राप्त राशि के विरूद्व विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? इसका वर्षवार विवरण दिया जावे ? (ख) बिन्दु (क) में भारत शासन से स्वीकृत राशि राज्य शासन द्वारा पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया तो इसके लिये क्या जिम्मेदारी तय की जायेगी ? भारत शासन से स्वीकृत एवं प्राप्त राशि यदि व्यय नहीं हुई तो इसके लिये क्या जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी ? क्योंकि इससे प्रदेश के लगभग एक लाख शाला में अध्ययनरत विकलांग बच्चों का नुकसान हुआ है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से कक्षा 1 से 8 तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आई.ई.डी.सी. योजना बंद कर दिए जाने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) भारत शासन से स्वीकृत किन्तु अप्राप्त राशि प्राप्त करने के लिए निरंतर पत्राचार एवं संपर्क किया गया है । अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

नसबंदी फेल धारकों को मुआवजा भुगतान

57. **(क्र. 1386) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला नसबंदी करने पर महिला का नसबंदी प्रमाण पत्र तत्काल प्रदाय किया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) नसबंदी ऑपरेशन शासन द्वारा चयनित प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा करवाई जाती है ? यदि नसबंदी फेल होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है ? सतना जिले में वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में कितने पुरूष/महिला नसबंदी ऑपरेशन किये गये ? विकासखंडवार सूची देवें ? (ग) इन ऑपरेशनों में से कितने नसबंदी ऑपरेशन असफल हुये है ? उनके नाम सहित बतायें तथा डॉक्टरों के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई है विवरण देवें ? (घ) इन फेल नसबंदी धारकों को शासन द्वारा बीमा कंपनी से एवं शासन के अन्य मदों से मुआवजे का

प्रावधान है ? यदि हाँ तो कितनी तथा कितनों को अभी तक मुआवजा प्रदान किया गया है सूची देवें ? यदि नहीं तो कब तक प्रदान किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । मासिक धर्म की अवधि के पश्चात नसबंदी किये जाने पर पूर्व से ही महिला के गर्भवती होने का अंदेशा होता है । (विन्डो पिरीयड) इस अवधि में गर्भवती जांच किट द्वारा परिणाम भी नकारात्मक आता है । इसलिये यह प्रमाण-पत्र आपरेशन 1 माह के बाद अथवा महावरी आने के बाद दिया जाता है । (ख) जी हाँ । किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, यह एक आपरेशन है जिसमें फेल होने की संभावना रहती है । यह एक चिकित्सीय सत्य है । इन प्रकरणों में भारत शासन की परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत मुआवजा देने का प्रावधान है । सतना जिलें में वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में किये गये पुरूष/महिला नसबंदी ऑपरेशन की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार** है । (ग) वर्ष 2011-12 में 316 एवं 2013-14 में 414 नसबंदी आपरेशन असफल हुये है । नाम सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है । संबंधित प्रकरणों में भारत शासन की परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत मुआवजा देने का प्रावधान है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हाँ । शासन द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है । फेल नसबंदी हितग्राहियों को नियमानुसार सही पाये जाने पर राशि रूपयें 30, 000/- (रू. तीस हजार) मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है । 730 प्रकरणों में से 479 प्रकरणों का निराकरण कर मुआवजा प्रदान किया जा चुका है । शेष प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा ।

उन्नयन शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति

58. **(क्र. 1409) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सागर जिले में 1 जुलाई 2013 से 31.12.2014 तक कितनी प्राथमिक शालाओं का मिडिल स्कूलों में, कितनी मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों में तथा कितनी हाईस्कूलों का हायर सेकेन्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाकर शालायें प्रारंभ की गयी हैं ? जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार, विकासखंडवार शाला के नाम से दी जावे ? (ख) प्रश्नांश कंडिका (क) के अनुसार इन उन्नयन शालाओं में किस-किस संवर्ग के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों में से किस-किस पद पर किस-किस शिक्षक को शैक्षणिक व्यवस्था के तहत कहाँ-कहाँ से आसंजित किया गया है ? शालावार, शिक्षक की मूल पदस्थापनावार जानकारी दी जावें ? (ग) सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जैसीनगर एवं राहतगढ विकासखण्ड अंतर्गत कितनी और कौन-कौन सी प्राथमिक शालाओं का मिडिल स्कूलों में, मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों एवं हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है ? और इन प्रस्तावित शालाओं का कब तक उन्नयन हो जायेगा ? समयसीमा बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है ।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है** किसी शिक्षक को

आसंजित नहीं किया गया है । अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) वर्तमान में आगामी वर्ष के बजट के लिये उन्नयन हेतु अभी किसी भी शाला का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया है । अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नरसिंहपुर जिले में एन.आर.एच.एम. योजना के तहत नियुक्ति

59. **(क्र. 1422) श्री तरूण भनोत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल औषधि वितरण व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के पृष्ठांकन क्रमांक 293 दिनांक 26/12/2012 के अनुसार पद क्यों नहीं भरे गये ? (ख) क्या यह सही है कि मिशन के उक्त आदेशों को तोड़ मरोड़ कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर ने पुन: विज्ञापन निकाला फिर भी पद नहीं भरे गये क्यों ? इसका जिम्मेदार कौन है व शासन इन पर क्या कार्यवाही करेगा ? (ग) क्या यह सही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल औषधि वितरण व्यवस्था नरसिंहपुर जिला छोड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की जा रही है ? उक्त वितरण व्यवस्था नरसिंहपुर जिले में कब तक लागू कर दी जावेगी ? समय-सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) नरसिंहपुर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल औषधी वितरण योजना के अंतर्गत डेटा एंट्री आपरेटर के 13 तथा सपोर्ट स्टाफ के 11 पद भरे जा चुके हैं । फार्मालिस्ट के संविदा पदों की पूर्ति हेतु जून 2014 में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर द्वारा पुन: विज्ञप्ति जारी की गई थी । परन्तु चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका है । (ख) जी नहीं । प्रश्न भाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधी वितरण योजना, प्रदेश के सभी जिलों में लागू हैं जिसमें नरसिंहपुर जिला भी सम्मिलित है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

निजी विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई जाना

60. **(क्र. 1424) श्री तरूण भनोत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सनातन धर्म पब्लिक स्कूल हाथीताल जबलपुर में अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के तहत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में शासन के निर्देशानुसार गरीब छात्रों को प्रवेश देने के उपरांत भी संपूर्ण छात्रों की शुल्क जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर द्वारा संस्था को प्रतिछात्र के हिसाब से उपलब्ध करवाई जा रही है ? (ख) अब तक जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर द्वारा वर्णित (क) की संस्था को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने छात्रों की राशि प्रदान नहीं की गई है ? इसका जिम्मेदार कौन है ? कब तक गरीब छात्रों की राशि संबंधित संस्था को उपलब्ध करवा दी जावेगी ? समय-सीमा बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशित गरीब छात्रों की संख्या के हिसाब से वर्ष 2013-14 की फीस प्रतिपूर्ति संबंधित शाला को की जा चुकी है । निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 8 के अनुसार गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निःशुल्क प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति शिक्षा सत्र के अंत में किए जाने का प्रावधान है । अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) उत्तरांश क के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>हाई स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का नाम (पात्र) इंसपायर अवार्ड योजना में फीड कराने बावत्</u>

61. **(क्र. 1527) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंसपायर आवर्ड योजना अंतर्गत रीवा जिले के हनुमना विकास खण्ड की हाई स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10 की सन् 2009-10 के कितने छात्र-छात्राओं के मूल अभिलेखों के आधार पात्र होते हुए भी आन लाईन में प्रविष्टि आज दिनांक तक दर्ज नहीं की गई है ? कृपया सूची प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या पात्रों की जगह अपात्रों के नाम, टोटल में फीड कराये गए है ? यदि हाँ, तो आज तक पात्रों के नाम क्यों फीड नहीं कराए गए है ? बतावें ? इन पात्रों का नाम कब तक फीड कराया जावेगा एवं इन्हें उप अवार्ड से लाभ लेने हेतु सूचना कब प्रदान की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत 2009-10 के लिये कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के नाम की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में पोर्टल पर आनलाईन की गई थी । पात्रता हेतु अन्य कोई मूल अभिलेखों की आवश्यकता नहीं थी, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निर्देश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट-अ पर है** । (ख) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>परिशिष्ट - "इकतालीस"</u>

<u>साक्षरता मिशन के अंतर्गत नियुक्त प्रेरकों के मानदेय में वृद्धि</u>

62. **(क्र. 1540) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा प्रेरक को कितना मानदेय दिया जा रहा है ? देयक मानदेय में राज्यांश कितना है व केंद्रांश कितना है ? सीहोर जिले में विधानसभावार कितने प्रेरक नियुक्त है ? (ख) क्या मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है ? अगर नहीं तो प्रेरकों का मानदेय कब तक और कितना बढ़ाया जाएगा ? (ग) क्या संविदा शाला शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी ? अगर हाँ, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ? (घ) क्या शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार कर अन्य शिक्षकों की तरह प्रेरकों का संविलियन कर शिक्षा विभाग से जोड़ा जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रेरकों को साक्षर भारत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि २००० दो हजार रूपये मात्र मासिक मानदेय भुगतान किया जा रहा है । साक्षर भारत योजना के बजट प्रावधान में राज्यांश २५ प्रतिशत एवं केन्द्रांश का अनुपात ७५ प्रतिशत है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी नहीं ।

परिशिष्ट - "बयालीस"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्किसगंज में स्वीकृत एक्स रे मशीन

63. **(क्र. 1541) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्किसगंज, तहसील एवं जिला सीहोर में एक्स-रे मशीन स्वीकृत है ? अगर हाँ, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ? स्थापना में देरी के क्या कारण हैं ? (ख) क्या 100 एम.ए. डिजिटल एक्स-रे मशीन से निकलने वाले रेडिएशन (ए.आर.बी. गाईडलाईन) के अनुरूप एक कमरा बनाया जाएगा ? अगर हाँ, तो कमरे का निर्माण कब तक होगा ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अस्पताल बाउण्ड्रीवाल रहित है ? अगर हाँ, तो सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल कब तक बनवाई जाएगी ? (घ) वर्ष, 2012, 2013 एवं वर्ष, 2014 में इस अस्पताल की ओ.पी.डी. एवं भर्ती मरीजों की संख्या महीनेवार देवें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है । वर्तमान में रेडियोग्राफर का पद सृजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है । (ख) एक्सरे मशीन की स्थापना किये जाने के समय ए.आर.बी. गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है । (ग) जी हाँ । बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पी.आई.पी. 2015-16 में बजट प्रस्तावित किया गया । स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बाउण्ड्रीवाल बनाई जा सकेगी । (घ) वर्ष 2012-2013 एवं 2014 के बाह्य रोगी एवं अतः रोगियों की संख्या महिने वार की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत भवनों की स्थिति

64. **(क्र. 1549) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2010 के पश्चात कितने-कितने स्कूल भवन कहाँ-कहाँ पर किसकी अनुशंसा पर बनाये गये ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भित ऐसे कितने स्कूल भवन हैं, जो उक्त अवधि में निर्माणाधीन हैं, अर्थात कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? RAMS द्वारा अतिरिक्त कक्ष एवं भवन निर्माण की स्वीकृति को लेकर क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं ? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें ? (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कितने-कितने विद्यालयों को उन्नत किया गया ? समस्त उन्नत विद्यालयों में भवन एवं रिक्त पद भर दिये गये हैं ? (घ) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में उ.मा.वि. व हाई स्कूल में रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 01 जनवरी 2010 के पश्चात शासकीय मॉडल स्कूल सैलाना, शासकीय हाईस्कूल बाजना, शासकीय हाईस्कूल गुडभेली, शासकीय हाईस्कूल चन्द्रगढ़, शासकीय हाईस्कूल गड़ीगमना तथा शासकीय हाईस्कूल इन्द्रावलकला स्वीकृत किए गए । ये स्कूल यू-डाईस फार्म में प्राचार्य द्वारा अंकित जानकारी के आधार पर जिले की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना में सम्मिलित किए गए, जिसके आधार पर भवन स्वीकृत हुए । (ख) वर्तमान में शासकीय मॉडल विद्यालय सैलाना, शासकीय हाईस्कूल बाजना, शासकीय हाईस्कूल गड़ीगमना तथा शासकीय हाईस्कूल इन्द्रावलकला निर्माणाधीन है । राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निर्धारित मापदण्डों की प्रतिलिपि **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) उक्त अवधि में दो माध्यमिक विद्यालयों, इन्द्रावलकला तथा गड़ीगमना को हाईस्कूल में उन्नत किया गया है । भवन स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है । शासकीय हाईस्कूल इन्द्रावलकला में 03 पद भरे हुए एवं 04 पद रिक्त हैं एवं शासकीय हाईस्कूल गड़ीगमना में 03 पद भरे हुए एवं 04 पद रिक्त हैं । (घ) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है । निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

शिक्षकों की जानकारी

65. **(क्र. 1563) श्री मधु भगत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में अध्यापक संवर्ग-1, 2, 3 के तथा शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद भरे हुए हैं ? (ख) कितने पद अध्यापक संवर्ग से पदोन्नति से भरे जाने हैं एवं कितने शिक्षक संवर्ग से ? (ग) क्या बालाघाट जिले में पदोन्नति से भरे जाने वाले अधिकांश पद रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो इनकी पूर्ति पदोन्नति द्वारा कब तक कर दी जावेगी ? (घ) लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने हेतु जिम्मेदार कौन है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** पर । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** । (ग) विषयमान से पदोन्नति के लिए पात्र संवर्गीय अध्यापक उपलब्ध नहीं होने के कारण विभिन्न प्रवर्ग के 241 पद रिक्त है । विषयमान से फीडर कैडर में प्रवर्गीय कर्मचारी उपलब्ध होने पर पदोन्नति की जाती है । पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया होने से समयसीमा बताना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति

66. **(क्र. 1566) श्री मधु भगत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में दिनांक 01.01.2013 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत स्कूल भवन बाउँड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, किचन शेड की स्वीकृति दिनांक, लागत कार्य पूर्णत अवधि बताएं ? वर्षवार, ग्रामवार, स्थानवार बताएं ? (ख) उपरोक्तानुसार निर्माण स्थलों का चयन किस आधार पर किया जाता हैं ? इसके मापदण्डों का उल्लेख करें ? जो स्थल निर्धारित मापदण्ड एवं मानकों के प्रतिकूल

है उनकी सूची देवें ? उन पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जो निर्माण मापदण्ड एवं मानकों के प्रतिकूल है उनकी सूची देवें ? उन पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ? समय-सीमा बताएं ? (घ) उपरोक्त कार्यों में विलंब एवं उनके गुणवत्ताहीन होने की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । बालाघाट जिले में दिनाँक 01.01.2013 से प्रश्न दिनांक तक कोई भी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल भवन, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, किचन शेड स्वीकृत नहीं हुये हैं । शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित निर्माण कार्य पूर्व निर्मित स्कूलों में ही किया जाना है निर्माण स्थल चयन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण स्थलों का चयन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों की पूर्ति अनुसार किया जाता है । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार सभी निर्माण कार्य मापदण्ड एवं मानकों के अनुकूल है । निर्माण कार्यों की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती है । यह एक सतत् प्रक्रिया है । विलंब एवं गुणवत्ताहीन होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न ही नहीं उद्भूत होता है ।

<u>छात्रों की समेकित छात्रवृत्ति से वंचित रखा जाना</u>

67. **(क्र. 1589) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जबलपुर संभाग के विभिन्न स्कूलों में अध्यनरत लाखों विद्यार्थी समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत आई.डी. मिलान न होने से वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली समेकित छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं ? यदि हाँ, तो सिवनी जिले के कितने विद्यार्थी हैं ? संस्थावार संख्या बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विद्यार्थी की आई.डी. मैच न होने के क्या-क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन दोषी है ? कब तक आई.डी. मैपिंग का कार्य पूर्ण करा कर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित करा दी जावेगी ? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार विद्यार्थी की आई.डी. मैपिंग का कार्य विद्यालयीन शिक्षकों से कराया जा रहा है, जबकि सर्वे कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या शिक्षकों को इसके लिए राशि उपलब्ध कराई गई है ? यदि हाँ, तो कितनी - कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या यह भी सही है कि आई.डी. मैपिंग का कार्य न होने से सिवनी जिले के कई शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, तथा वेतन वृद्धियां रोकी गई है, तथा उन्हें ग्रीष्म कालीन अवकाश का लाभ भी नहीं मिला था, जबकि सर्वे कार्य गलत होने के लिए वह दोषी नहीं है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत आने वाली जिला जबलपुर के 1500 विद्यार्थी एवं नरसिंहपुर के 2353 विद्यार्थियों की आई.डी. मिलान न होने से वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति हेतु शेष रहे, जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा आई.डी. दी जाकर मेपिंग से जोड़ा

जाकर छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है । सिवनी जिला अंतर्गत कोई भी छात्र आई.डी. मिलान न होने से वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति से वंचित नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) 9 विभागों की लगभग 30 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रथमबार आनलाइन क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है । कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानीय निकायों द्वारा जनरेट किए गए समग्र आई.डी. प्राप्त कर शालाओं से मेप कर आनलाइन छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है, अतः कोई दोषी नहीं है । आई.डी. मेपिंग का कार्य प्रचलन में है । निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ग) जी नहीं, विद्यार्थियों की शाला से आई.डी. मेपिंग का उत्तरदायित्व बी.आर.सी./विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य को दिया गया है । सर्वे कार्य एवं आई.डी. जनरेट किए जाने का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) सिवनी जिले में आई.डी. मेपिंग का कार्य न होने से किसी भी शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं रोका गया है, न ही वेतन वृद्धि रोकी गई है । समेकित छात्रवृत्ति कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सिवनी के आदेश क्र. 2765 दिनांक 6/8/14 द्वारा 02 संकुल प्राचार्यो की 1-1 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है । ग्रीष्म कालीन अवकाश में शासकीय कार्य करने वाले समस्त शिक्षकों को नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता प्रदान की जाती है ।

मेडिकल स्टोर्स लायसेन्स का नवीनीकरण

68. **(क्र. 1590) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने मेडिकल स्टोर्स कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं ? इनके लायसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है ? कितने समय में ये नवीनीकृत किये जाते हैं ? विधानसभावार जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि जबलपुर संभाग में अधिकतर जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर के पद खाली होने से लायसेन्स नवीनीकृत एवं मेडिकल स्टोर्स की मापदण्ड अनुसार जांच नहीं हो पा रही है ? (ग) जबलपुर संभाग में कितने मेडिकल स्टोर्स के लायसेन्स नवीनीकरण हेतु पेण्डिंग हैं ? जिलेवार सूची दें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सिवनी जिले में कुल 441 मेडिकल स्टोर्स संचालित है जिनकी विधानसभावार सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** । औषधि विक्रय लायसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 64 में प्रावधानित है नियम की छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** इनकी वैधता लायसेंस स्वीकृत अथवा लायसेंस नवीनीकृत दिनांक से 5 वर्ष की होती है, वैधता अवधि पश्चात ये नवीनीकृत किये जाते हैं । (ख) जबलपुर संभाग के सात जिलों में से नरसिंहपुर जिला छोड़कर अन्य छः जिलों में औषधि निरीक्षक पदस्थ है । जबलपुर जिले में दो औषधि निरीक्षक पदस्थ है, इनमें से एक औषधि निरीक्षक को जबलपुर जिले का तथा एक औषधि निरीक्षक को नरसिंहपुर जिले कार्य सौंपा गया है । इस तरह संभाग में

प्रत्येक जिले में औषधि निरीक्षक कार्यरत है । वर्ष 2014-15 में जबलपुर संभाग में कुल 1375 औषधि विक्रय संस्थानों के निरीक्षण किये गये । अत: यह कहना सही नहीं है कि लायसेंस नवीनीकृत एवं मेडिकल स्टोर्स की मापदण्ड अनुसार जांच नहीं हो पा रही है । (ग) जबलपुर संभाग में कुल 123 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस नवीनीकरण हेतु लंबित है, जिनकी जिलेवार सूची में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार** है ।

<u>विभागीय व्यख्याताओं के संबंध में</u>

69. **(क्र. 1629) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची इस सत्र में जारी की गई है ? यदि हाँ, तो क्या इसमें सभी व्यख्याताओं के नाम सम्मिलित है, तथा इनकी वरिष्ठता दिनांक सही अंकित की गई है ? (ख) यदि नहीं तो इसके लिये दोषी अधिकारी कौन है ? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में व्याख्याता उ.मा.वि. संवर्ग को जारी अंतरित पदक्रम सूची वर्ष 2014-15 पर आपत्तियां की गई है । प्राप्त आपत्तियों के आधार पर पदक्रम सूची संशोधित की जाती है । त्रुटियों के परिमार्जन एवं संशोधन की कार्यवाही अनवरत है । (ख) उत्तरांश क के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>तत्कालीन सी.ई.ओ द्वारा करोडों की वक्फ संपत्ति का डिनोटिफाईट किया जाना</u>

70. **(क्र. 1646) श्री आरिफ अकील :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उज्जैन स्थित वक्फ दरगाह बुहारूद्दीन ग्राम कालियादेह, उज्जैन वक्फ संपत्ति क्रं. 34 वक्फ पंजी 34 सर्वे क्रं. 705 में करोड़ों की वक्फ संपत्ति दर्ज है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में करोड़ों की वक्फ संपत्ति के कई खसरा नं. की भूमियों को वक्फ संपत्तियों में डिनोटिफाईट कराने का पत्र भेजकर राजपत्र दिनांक 23.10.2013 को निरस्त कराया गया था ? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड ने बिना राज्य शासन और बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति का डिनोटिफिकेशन राजपत्र में कराकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया था ? (घ) क्या यह सही नहीं है कि दिनांक 18.12.14 को उनके विरूद्ध निलंबन और आपराधिक अभियोजन का प्रस्ताव शासन को भेजा था ? यदि हाँ, तो शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों और कार्यवाही किस स्तर पर विलंबित है ? कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) से (ग) जी हाँ । (घ) वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया जा रहा है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वक्फ सम्पत्तियों का संरक्षण एवं सुरक्षा

71. **(क्र. 1647) श्री आरिफ अकील :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वक्फ संपत्ति के संरक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व शासन का होता है ? यदि हाँ तो म.प्र. में वक्फ संपत्तियों के अवैध हेराफेरी, घोटाले, भ्रष्टाचार आदि के मामलों में शासन स्तर पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह सही है कि वक्फ बोर्ड में विगत 4 वर्षों में वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण डिलीशन नियम विरूद्ध आदेश पारित कर हानि पहुंचाने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं ? इन मामलों में क्या वक्फ बोर्ड द्वारा शासन को कार्यवाही हेतु कब-कब प्रस्ताव भेजे गये, तथा उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई बतावें ? (ग) क्या यह भी सही है वक्फ बोर्ड के किन-किन अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध वक्फ बोर्ड द्वारा उनके निलंबन और आपराधिक अभियोजन के प्रस्ताव पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या प्रस्ताव अमान्य कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो किन-किन कारणों से बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ । प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की अवैद्य हेराफेरी, भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आने पर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव अनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की स्थिति **संलग्न परिशिष्ट पर है** । (ख) विगत वर्षो में वक्फ संपत्तियों के अवैद्य हस्तांतरण नियम विरूद्ध आदेश पारित कर हानि पहुंचाने के 88 मामले प्रकाश में आए । प्राप्त सभी प्रस्तावों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों यथा श्री एस.यू.सैयद, (राप्रसे) के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, श्री एस.एम.एच.जैदी, के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पशुपालन विभाग, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने पर उनके द्वारा जांच कार्यवाही के प्रस्ताव भेजे जाने पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है । श्री दाउद अहमद खांन, उप संचालक, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के विरूद्ध दिनांक 2-7-2014 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई हैं । (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध जांच की कार्रवाही प्रचलित है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "छियालीस"

प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही

72. **(क्र. 1672) श्री संजय पाठक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जिला चिकित्सा अधिकारी जिला कटनी को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 289 दिनांक 31.10.2014 एवं पत्र क्रमांक 285 दिनांक 31.10.2014 प्रेषित किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो बतायें उक्त पत्र किस-किस संबंध में थे ? तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? ब्यौरा दें ? (ग) मासिक वेतन के भुगतान हेतु हुये इस विलंब के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । (ख) 1. पत्र क्रमांक. 289 दिनांक 31.10.2014 जो सिविल अस्पताल विजयराधवगढ़ में वेतन भुगतान के संबंध में था ।

जिस पर कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः- जिन लोगों ने आवेदन दिया है वे कोई स्वीकृत शासकीय कर्मचारी नहीं है इनसे पूर्व में आवश्यकतानुसार समय-समय पर कार्य लिया जाता था एवं इनका भुगतान रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया जाता था जिन लोगों को ठेकेदार द्वारा रखकर कार्य किया जा रहा है उनका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है । 2. पत्र क्रमांक. 285 दिनांक 31.10.2014 जो श्री श्याम बिहारी पाण्डे, ग्राम-नदावन द्वारा मासिक मानदेय के भुगतान कराये जाने के संबंध में था जिसके संबंध में श्री श्याम बिहारी पाण्डे को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला कटनी द्वारा अंश कालिक रूप से तीन माह तक के लिये रोगी कल्याण समिति की दर पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी इसके बाद उनसे कार्य नहीं लिया गया और न ही भुगतान किया गया । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी ने माननीय विधायक महोदय को प्रथम पत्र के संदर्भ में पत्र क्रमांक.1101/दिनांक 7.2.2015 एवं द्वितीय पत्र के संदर्भ में पत्र क्रमांक.11034 दिनांक.19.11.2014 प्रेषित करते हुये वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया । (ग) मासिक वेतन के भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारियों का मासिक भुगतान ठेकेदार द्वारा शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा है अतः विलंब का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>शालाओं का उन्नयन</u>

73. **(क्र. 1673) श्री संजय पाठक** : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायरसेकेण्डरी शालायें हैं जो उन्नयन हेतु शाला मापदण्ड को पूरा करती हैं ? तथा कितने वर्षों से इनका उन्नयन किया जाना लंबित है ? संकुल केन्द्रवार शालावार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) क्षेत्र में ऐसी 25 से भी अधिक शालाऐं हैं जो उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करती हैं किन्तु विभागीय उपेक्षा के कारण उनका उन्नयन होना लंबित हैं ? इस हेतु कौन दोषी हैं ? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु कोई शाला मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है । कटनी जिले के विजयराघवगढ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 की गणना एवं मापदण्डों अनुसार 23 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में तथा दो हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन की पात्रता पाई गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । वर्ष 2014-15 के बजट में प्रावधानित सभी 50 हाईस्कूल एवं 100 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन आदेश जारी किये जा चुके है । वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है । (ख) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रति वर्ष सीमित संख्या में ही पात्रतानुसार उन्नयन किया जाना है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है ।

<u>शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति</u>

74. **(क्र. 1686) श्री इन्दर सिंह परमार** : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 के कुल

कितने-कितने पद है जिनमें किस-किस स्थान के दोनों वर्ग में किस-किस संस्था में पद रिक्त हैं ? (ख) वर्तमान में सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों पर नियुक्ति के क्या नियम हैं ? क्या पदोन्नति द्वारा भी रिक्त पदों को भरने का प्रावधान है ? यदि है तो शाजापुर जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया कब की जावेगी ? क्या पूर्व में पदोन्नति के द्वारा सहायक ग्रेड-3 के पदों को भरा गया है, यदि भरा गया है, तो कब ? (ग) शाजापुर जिले में शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के कितने पद रिक्त हैं ? यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि किस संस्था के सहायक ग्रेड-3 के पद सीधी भर्ती से भरे जायेगें एवं किस संस्था में पदोन्नति के माध्यम से ? (घ) शाजापुर जिले में सहायक ग्रेड-3 के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? क्या सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों को अनुकम्पा नियुक्ति से भरा जाएगा, यदि नहीं तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) वर्तमान में सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पद पर सीधी भरती एवं पदोन्नति से पदों को भरने का प्रावधान है । पदोन्नति की बैठक सामान्यतया तैयारी पूर्ण करने पर आयोजित की जाती है । निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है । संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक स्था-1/पदों./2013/859-60 दिनांक 27.12.2013 द्वारा जिले में भृत्य से सहायक ग्रेड-3 के पद पदोन्नति द्वारा 06 पदों को भरा गया है । (ग) शाजापुर जिले में विभाग अन्तर्गत सीधी भरती का सहायक ग्रेड-3 का कोई भी पद रिक्त नहीं है । सहायक ग्रेड-3 के जिला स्तर पर स्वीकृत पदों में से 75 प्रतिशत सीधी भरती से एवं 25 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान नियमों में है । जिले में जिस वर्ग का पद रिक्त होता है उस वर्ग से उसकी पूर्ति की जाती है । संस्थावार यह निर्धारण नहीं किया जाता है । (घ) शाजापुर जिले में सहायक ग्रेड-3 के लिये अनुकम्पा नियुक्ति के 09 आवेदन प्राप्त हुए है । वर्तमान में जिले में सहायक ग्रेड-3 के 05 रिक्त पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध है । ये पद सीधी भरती के नहीं होने से इन पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाना संभव नहीं है ।

<u>पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु स्वरोजगार के लिये ऋण योजनाएं</u>

75. **(क्र. 1691) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलबध कराये जाने के लिये कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है ? कृपया सभी योजनाओं की जानकारी दें ? (ख) अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने के क्या-क्या मापदण्ड है, तथा इन योजनाओं के तहत कितनी राशि तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग स्वरोजगार योजना संचालित है । योजना की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है** ।

जिला चिकित्सालय राजगढ़ में स्वीकृत/रिक्त पद

76. **(क्र. 1737) श्री अमर सिंह यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत जिला चिकित्सालय राजगढ़ में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत है तथा कब से कौन-कौन से पद रिक्त है ? कौन-कौन किस-किस पद पर कब से कार्यरत हैं, सभी पदों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) शासन द्वारा उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? (ग) जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति राजगढ़ द्वारा किस-किस पद पर, किन-किन कर्मचारी को कब से कितने समय के लिए कितने मानदेय पर रखा गया है ? क्या उक्त कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कब तक अवधि बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** । (ख) विभाग के अधीन रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग तथा व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती से एवं पदोन्नति द्वारा निरंतर जारी है । निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं हैं । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** रोगी कल्याण समिति द्वारा कर्मचारियों को एक वित्तीय वर्ष हेतु रखा जाता है एवं कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष में निरंतर सेवा में लिया जाता है । रोगी कल्याण समिति में रखे गये कर्मचारियो को नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जननी सुरक्षा योजना में लगाये गये वाहन

77. **(क्र. 1738) श्री अमर सिंह यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला चिकित्सालय राजगढ़ द्वारा समस्त विकासखण्ड अंतर्गत प्रसूति महिलाओं को प्रसूति हेतु लाने एवं छोड़े जाने हेतु लगाई जाने वाली जननी वाहनों के क्या नियम-निर्देश है ? इसमें वर्तमान में कितने वाहन कब से किस अवधि तक किस दर पर किस फर्म के लगाये गये है ? उक्त फर्म की अवधि कब समाप्त हो रही है ? उक्त अवधि में उक्त फर्म को किये गये भुगतान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) राजगढ़ जिला चिकित्सालय अंतर्गत समस्त विकासखण्ड में कुल कितने वाहन चालू हालत में है तथा कितने वाहन खराब स्थिति में है तथा किस कार्य में किसके द्वारा उपयोग में लिये जा रहे है ? उनके नाम, नंबर एवं वाहन चालक सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) क्या वर्तमान में किसी विकासखण्ड में प्रायवेट वाहन भी अनुबंधित किये गये है ? उक्त प्रायवेट वाहनों को लगाये जाने हेतु कब निविदा आमंत्रित की गई थी ? दिनांक सहित बतावें ? (घ) राजगढ़ जिला चिकित्सालय अंतर्गत समस्त विकासखण्ड में विगत 3 वर्षों में सभी वाहनों की मरम्मत एवं डीजल पर किये गये व्यय की जानकारी उपलब्ध करावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" एवं "दो"** अनुसार है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**

"तीन" एवं "चार" अनुसार है । (ग) जी हाँ । दिनांक 16/07/2014 को निविदा आमंत्रित की गई थी । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'चार"** अनुसार है ।

कंटनंजेंसी भृत्यों की पदोन्नति के संबंध में

78. **(क्र. 1782) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा विगत 20 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत कन्टनजेंसी भृत्यो की पदोन्नति हेतु आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किये गये ? (ख) क्या यह सही है कि छतरपुर जिले में कन्टजेंसी भृत्यों की नियमित भृत्यों के पद पर पदोन्नतियां नहीं की गयी है ? (ग) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन न करने वाले जिम्मेदार कौन से अधिकारी तथा कर्मचारी है ? उनके नाम बतायें ? (घ) विभागीय पदोन्नति की समय सीमा कितनी है ? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । (ख) जी हाँ । (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) कन्टेन्जेंसी भृत्यों की पदोन्नति का प्रावधान नियमों में नहीं है अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं ।

विभाग द्वारा किये गये कार्यों की जांच

79. **(क्र. 1805) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में सन् 2010 से 2014 तक किन-किन योजनाओं एवं मदों में कितने कार्य किये गये हैं ? योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) रीवा जिले में हरिजन सेवक संघ इंदौर के द्वारा कितनी शैक्षणिक संस्थायें संचालित हैं ? क्या शासन द्वारा ऐसी संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है ? नामवार सूची उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) रीवा संभाग के कितने जिले में प्रभारी जिला संयोजक कार्यरत हैं ? नामवार पदवार सूची उपलब्ध करायें ? प्रभारी जिला संयोजकों को कब तक हटाकर नियमित अधिकारियों को पदांकन किया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) रीवा जिले में विभिन्न योजनाओं में कराये गये कार्यों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) रीवा जिले में हरिजन सेवक संघ द्वारा 03 शैक्षणिक संस्थायें संचालित हैं । इन संस्थाओं को शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है । हरिजन सेवक संघ द्वारा रीवा जिले में कन्या आश्रम, अर्जुन नगर, रीवा, अस्वच्छ बालक छात्रावास, नेहरूनगर तथा अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बिछिया, रीवा संचालित की जा रही है । (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अत: निराकरण का प्रश्न नहीं उठता है । (घ) रीवा संभाग के सतना जिले में श्री एस.डी.सिंह, क्षेत्र संयोजक एवं रीवा में

श्री अनिनाश पाण्डे, क्षेत्र संयोजक प्रभारी जिला संयोजक के रूप में कार्यरत हैं । नियमित अधिकारियों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है ।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

प्रदेश में संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालय

80. **(क्र. 1806) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा शिक्षा के लिये कितने निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं, नामवार सूची उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त संचालित महाविद्यालय में कौन-कौन से कोर्स संचालित हैं ? ब्रांचवार, विषयवार, संख्यावार सूची उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में उक्त कोर्सों की सीटों में प्रवेश देने की क्या प्रक्रिया संचालित है, आदेशों की कॉपी सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये क्या आरक्षण की व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत यदि नहीं, तो क्यों ? किस शैक्षणिक सत्र में आरक्षण लागू किया जायेगा, बतायें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया एवं बटियागढ़ में स्वीकृत पद

81. **(क्र. 1817) श्री लखन पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया एवं बटियागढ़ में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है ? (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने डॉक्टरों की संख्या कब से कम है ? (ग) यदि कमी है तो स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टर की पदस्थापना कब तक (पूर्ति) कर दी जावेगी ? (घ) वर्तमान में कार्यरत डॉक्टर कब से पदस्थ हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है । (ख) **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** में अंकित चिकित्सकों के पद पुर्नआवंटन पश्चात वर्ष 2012 से रिक्त हैं । (ग) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है । पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 1271 पदों हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी । पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

श्रमायुक्त द्वारा जारी पत्रों पर कार्यवाही

82. **(क्र. 1849) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन इन्दौर के द्वारा वर्ष 2014 में किस दिनांक को किस-किस को शासकीय आश्रम एवं छात्रावासों में कार्यरत रसोईयें, चौकीदार, भृत्य एवं सफाईकर्मियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कार्यरत वनों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा कार्य के चौकीदारों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान के संबंध में पत्र लिखे हैं ? (ख) श्रमायुक्त द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक से प्रश्नांकित तिथि तक किस जिले के श्रम कार्यालय द्वारा किस विभाग के कितने छात्रावास एवं आश्रमों एवं किस वनमंडल की कितनी समितियों का निरीक्षण किया, शेष का निरीक्षण न किए जाने का क्य कारण रहा हैं ? (ग) छात्रावास एवं आश्रमों में कार्यरत कर्मियों और समितियों में कार्यरत चौकीदारों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में श्रम विभाग के द्वारा समुचित कार्यवाही समय-समय पर न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा हैं ? (घ) श्रम विभाग शासकीय विभागों से दैनिक वेतनभोगियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करवाए जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा हैं ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर द्वारा श्रम विभाग के सभी सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 11/4/नवम/प्रवर्तन/2014/32473-525, दिनांक 01.10.2014 जारी कर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सुरक्षाकर्मी, चैकीदारों आदि को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है । इसके अलावा श्रम पदाधिकारी बैतूल को पत्र क्रमांक बफा/4/नवम/प्रवर्तन/ 2014/ 27522, दिनांक 22.08.2014 द्वारा छात्रावास एवं आश्रम में कार्यरत रसोइये एवं चैकीदारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये है । (ख) प्रश्नांश ख की जानकारी जिलों से संबंधित होने के कारण संकलित की जा रही है । (ग) यह जानकारी प्रश्नांश ख से जुड़ी होने से प्रश्नांश ख के साथ उत्तर दिया जाएगा । (घ) श्रम विभाग के मैदानी अधिकारियों तथा निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही

83. **(क्र. 1850) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद जिला भिण्ड में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक अवधि में नसबंदी प्रोत्साहन राशि के फर्जीवाड़े की जांच में डॉ. आलोक शर्मा बी.एम.ओ. दोषी पाए गए थे ? (ख) यदि हाँ तो उक्त जांच प्रतिवेदन में कितनी राशि का फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया एवं दोषी चिकित्सक के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । केवल वित्तीय नियमों के पालन न करने की बात पाई गई । (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

डेंगू और स्वाइन फ्लू की स्थिति के संबंध में

84. **(क्र. 1864) श्री हर्ष यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में डेंगू और स्वाईन फ्लू से पीड़ित कितने संदिग्ध मरीज विभाग की जानकारी/संज्ञान में आए ? (ख) उक्त अवधि में ऐसे कितने मरीजों के नमूने लेकर उनकी कहाँ-कहाँ जांच कराई गई और कितने केस पॉजिटिव पाऐ गए ? इनकी इलाज किन-किन शासकीय/निजी चिकित्सालयों में किया गया ? (ग) उक्त अवधि में कौन-कौन से मरीजों की मृत्यु इन बीमारियों के कारण शासकीय/निजी अस्पतालों में हुई ? समुचित इलाज हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये ? (घ) क्या यह सही है कि विभाग डेंगू और स्वाइन फ्लू से पीडित मरीजों की वास्तविक संख्या को छिपा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में डेंगू से 2195 पीड़ित एवं 11, 843 संदिग्ध मरीज विभाग की जानकारी/संज्ञान में आए हैं तथा स्वाईन फ्लू से 163 पीड़ित एवं 582 संदिग्ध मरीज विभाग की जानकारी/संज्ञान में आए हैं । (ख) दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में डेंगू के कुल 11843 मरीजों के नमूने लेकर 15 सेंटीनल सर्वेलेंस हास्पिटल में जाँच करायी गई है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** एवं 2195 डेंगू पॉजिटिव्ह प्रकरण पाए गए हैं, तथा इनका उपचार शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में किया गया है । इसी प्रकार उक्त अवधि में स्वाईन फ्लू के 582 संदग्धि मरीजों के नमूनों की जांच क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र जबलपुर एवं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ग्वालियर म.प्र. में करायी गई गई है, जिसमें से 163 पॉजिटिव्ह पाए गए हैं **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** । (ग) दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में 13 मरीजों की डेंगू से मृत्यु हुई है, जिनमें से शासकीय अस्पताल में 1 एवं निजी अस्पतालों में 12 मरीजों की मृत्यु डेंगू से हुई है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है** डेंगू का कोई विशेष उपचार नहीं है, लक्षण के आधार पर चिकित्सकों द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार मरीजों को समुचित उपचार दिया जाता है । स्वास्थ्य विभाग बीमारियों के नियंत्रण के लिए पूर्ण रूप से सज़ग है एवं नियंत्रण की सभी व्यवस्थाएं की गई है । जन सामान्य में बीमारियों के नियंत्रण के लिए आकाशवाणी के माध्यम से जिंगल्स तथा टी.व्ही. चैनल के माध्यम से प्रसारण करवाया गया है । समाचार पत्रों में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जनहित में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं । सभी शासकीय चिकित्सालयों/अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है । मरीजों के प्लेटलेट काउंट करने के लिए सेल काउंटर एवं हिमेटोक्रीट की जांच की व्यवस्था सभी जिलों में है । आवश्यक सभी दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । निजी चिकित्सालयों व शासकीय चिकित्सालय

भोपाल के चिकित्सकों को डेंगू के उपचार हेतु मार्गदर्शन के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हैल्थ सर्विसेस, भारत सरकार से विशेषज्ञ दल भी बुलाया गया था, जिन्होंने उपचार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है । इसी प्रकार मेडीकल कॉलेज के विशेषज्ञों द्वारा संभाग स्तर पर जिलों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी डेंगू के उपचार के संबंध में प्रशिक्षण कराया गया है । दल ने राज्य में किए गए प्रयासों का संतोष व्यक्त किया । वैक्टर जनित बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में पूर्व से ही समस्त तैयारियां की गई थी, इसके अंतर्गत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त बैठक दिनांक 07/05/2014 तथा 26-27 मई 2014 को जिला मलेरिया अधिकारियों/जिला व्हीबीडी सलाहकारों/आईडीएसपी के एपिडिमियोलॉजिस्ट के साथ बैठक आयोजित कर लार्वा विनिष्टिकरण एवं वैक्टर विनिष्टिकरण का प्रशिक्षण दिया गया था । मलेरिया/डेंगू के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश स्तर से प्रोटोकॉल तैयार किया गया है जो सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिलों से इसे ग्राम स्तर तक भेजा गया है तथा उसी के अनुरूप नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है । प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को भी डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव तथा राज्य के समस्त 52000 ग्रामों में आवश्यक औषधियों के भण्डारण के निर्देश दिए गये थे, इस कारण राज्य के सभी ग्रामों में वर्षा ऋतु के पूर्व ही आगामी छः माहों की आवश्यक औषधियां को भण्डारित कर लिया गया था । राज्य में डेंगू एवं मौसमी बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु यह प्रमुख चरण था । प्रदेश में 5000 सेक्टर, 59285 आशा कार्यकर्ता, 16000 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) के माध्यम से बीमारियों के नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है । ग्राम स्तर से जिला स्तर एवं जिला स्तर से राज्य स्तर पर आउटब्रेक की सूचना प्राप्त करने हेतु कॉल सेंटर संचालित हैं तथा किसी भी ग्राम से किसी भी बीमारी की आउटब्रेक की रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है । इसी प्रकार उक्त अवधि में स्वाईन फ्लू से 52 मरीजों की मृत्यु शासकीय/निजी चिकित्सालयों में हुई है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है** विभाग द्वारा स्वाईन फ्लू के मरीजों हेतु जिला चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज/अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में सर्दी जुकाम (स्वाईन फ्लू H1 N1) काउंटर बनाए गए हैं, जो 24X7 घंटे कार्यरत है । इसके अतिरिक्त सभी मेडीकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू (H1 N1) के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आईसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं । स्वाईन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/ मेडीकल कॉलेज अस्पतालों औषधियां/सामग्रियां आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी गई है । सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जा रहा है । प्रत्येक जिले में एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम/हेल्प लाईन नं. सामान्य जन मानस की सुविधा के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए हैं । प्रचार-प्रसार मशाल रैली, होर्डिंग्स, पम्पलेट्स्, वॉल पेंटिग्स्, रेडियो जिंगल्स, टी.व्ही. स्क्रॉल आदि के माध्यम से किया जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा समुदाय के लिए स्वाईन फ्लू जागरूकता हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से अपील की गई है । (घ) जी नहीं ।

महिदपुर में पदस्थ विभागीय अमला

85. **(क्र. 1877) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में पदस्थ समस्त स्टाफ का नाम, पदनाम, स्थान सहित जानकारी दें ? (ख) यह भी बताएं कि स्वीकृत पदों के समक्ष कितने पद कब से रिक्त हैं ? इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? (ग) आयुष औषधालयों के खुलने, बंद होने का समय क्या है ? विगत 1 वर्ष में महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में इनको सप्लाई दवाओं की सूची माहवार, नामवार, संख्या सहित उपलब्ध करावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ख) रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र—"ब" अनुसार** । आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा करायी जा रही है । पैरामेडीकल पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 04/09/2014 को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है शेष रह गये पदों को प्रतीक्षा सूची से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** ।

विभागीय निर्माण कार्य एवं शैक्षणिक गतिविधियॉ

86. **(क्र. 1884) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विभिन्न गतिविधियों एवं भवन मरम्मत हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है ? (ख) यदि हाँ तो बैतूल जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिसंबर तक कितनी राशि आवंटित की गई ? मदवार राशि पृथक-पृथक बतावें ? (ग) आवंटित राशि से कौन-कौन से कार्य किए गए तथा किस-किस शाला भवन की मरम्मत कराई गई ? वर्षवार बतावें ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** । (ग) उत्तरांश ''ख'' के अनुक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन में कराये गये निर्माण कार्य का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है** । वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किसी भी शाला भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है । हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल शाला भवन की जानकारी निम्नानुसार है :- (1) शालाओं व्दारा वार्षिक रूप से प्रदाय किये जाने वाले शाला अनुदान मद में प्रदाय राशि से आकस्मिक व्यय, लघु मरम्मत मद में प्रदाय राशि से लघु मरम्मत कार्य तथा वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि मद में प्रदाय राशि से बालरंग, बालसभा, विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं इत्यादि व्ययों की प्रतिपूर्ति की गई । (2) वर्ष 2013-14 में अनुरक्षण मद में राशि निरंक होने से कोई अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है । (3) वर्ष 2014-15 में अनुरक्षण मद में मरम्मत कार्य हेतु शासकीय कृषि उ.मा.वि. बैतूल को राशि प्रदाय की गई है । मरम्मत कार्य किया जाना अभी शेष है ।

बैतूल वि.स. क्षेत्र में आदिवासी उपयोजना में स्वीकृत राशि

87. **(क्र. 1887) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम आदिवासी उपयोजना (माडा पाकेट) में सम्मिलित हैं ? विकासखंड जानकारी देवें ? (ख) वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में माह दिसंबर 2014 तक माडा पाकेट योजना से कितनी राशि स्वीकृत की गई ? ग्रामवार, राशि, कार्य नाम सहित वर्षवार बतावें ? (ग) क्या सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण होंगे ? समय सीमा बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र के कोई भी ग्राम आदिवासी उपयोजना (माडा पाकेट) में सम्मिलित नहीं है । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विभागीय छात्रवृत्ति में अनियमितता

88. **(क्र. 1900) श्री बाला बच्चन** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर एवं ग्वालियर में विभागीय छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार के कितने प्रकरणों की जांच वर्तमान में चल रही है ? (ख) ऐसे कितने प्रकरण है जिनमें छात्रों द्वारा दो या दो से अधिक कॉलेजों से छात्रवृत्ति निकाली जा रही थी ? कितनी राशि निकाली जा चुकी है ? राशि, कॉलेज नाम, छात्र नाम सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही कर राशि की रिकवरी की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) 1. म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत संचालित शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना एवं मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना में भ्रष्टाचार का प्रकरण समक्ष आने पर कलेक्टर, छतरपुर के निर्देश पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, छतरपुर के द्वारा प्रारंभिक जॉच की गई है । 2. ग्वालियर जिले में विभागीय छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार की कोई भी जॉच वर्तमान में नहीं चल रही है । (ख) प्रश्नांश की जानकारी निरंक है । (ग) 1. छतरपुर जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के जॉच प्रतिवेदन पर कलेक्टर महोदय की अनुशंसा अनुसार कमिश्नर, सागर संभाग द्वारा श्रमपदाधिकारी, छतरपुर को निलंबित किया गया है, जिस पर जॉच कार्यवाही प्रचलन में है । 2. प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार ग्वालियर जिले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल में नियम विरूद्ध क्रय

89. **(क्र. 1908) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल द्वारा लगभग पांच करोड़ की राशि से अनियमित व नियम विरूद्ध क्रय के मामले में प्रधान महालेखाकार के पत्र के आधार पर वर्ष 2014 में किन्हीं चिकित्सकों, कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई

जांच संस्थापित की गई ? प्रकरण का संपूर्ण विवरण दें ? (ख) किस-किस मामले में किन-किन के विरूद्ध जांच की गई है ? जांच अधिकारियों द्वारा अब तक क्या जांच की है ? जांच प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा इस मामले में अब तक की गई जांच व प्रस्तुत प्रतिवेदन की जानकारी देवें ? क्या जांच पूर्ण कर ली गई है ? नहीं तो कब तक पूर्ण की जावेगी ? (ग) तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री राजेन्द्र तिवारी एवं पी.डी. सूर्यवंशी के विरूद्ध किसके द्वारा क्या जांच की जा रही है ? अब तक की गई कार्यवाही व जांच का विवरण दें ? इन्हें अब तक निलम्बित न करने के क्या कारण है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल के द्वारा राशि रूपए 3.30 करोड़ की औषधियाँ इत्यादि क्रय किये जाने के कारण महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में तीन चिकित्सकों एवं दो कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है । (ख) डॉ. नीरज बेदी, डॉ. श्रीमती स्मिता भटनागर एवं डॉ. श्रीमती सुधा चैरसिया के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच की गई । विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा विभागीय जाँच पूर्ण कर ली गई है अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा विभागीय जाँच की कार्यवाही कराई जा रही है अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति

90. **(क्र. 1909) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं सतना जिलान्तर्गत शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद कहाँ-कहाँ रिक्त हैं ? इनकी प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? (ख) किन-किन चिकित्सालयों में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों से चिकित्सा अधिकारी वर्ग के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं क्यों ? ऐसी स्थिति में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के दायित्वों का निर्वहन किन के द्वारा किया जा रहा है ? क्यों ? किस प्रकार ? (ग) भोपाल स्थित जय प्रकाश जिला चिकित्सालय में गत एक वर्ष में किस-किस प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ से मेडिकल ऑफीसर के दायित्वों का निर्वहन कराया गया ? विवरण दें ? यहाँ रिक्त मेडिकल ऑफीसर के पदों की प्रतिपूर्ति हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) भोपाल जिले की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ"** एवं सतना जिले की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" के अनुसार** है पदपूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों हेतु विज्ञापन जून 2014 को जारी किया जा चुका है चयन सूची अप्राप्त है । (ख) सतना जिले में किसी भी विशेषज्ञ से चिकित्सा अधिकारी संवर्ग का कार्य नहीं लिया जा रहा है भोपाल जिले में जय प्रकाश चिकि. सि.अ. बैरागढ, सा.स्वा. केन्द्र बैरसिया कोलार एवं गांधीनगर में जनहित में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञो की आपातकालीन डयूटी लगाई गई है उक्त संस्थाओं में पदस्थ विशेषज्ञ ही विशेषज्ञ के

दायित्वों का निर्वहन कर रहे है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) माह जनवरी एवं फरवरी 2015 में विशेषज्ञों की आपातकालीन ड्यूटी लगाई गई जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स"** के अनुसार है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों हेतु विज्ञापन जून 2014 को जारी किया जा चुका है । चयन सूची अप्राप्त है । चयन सूची प्राप्त होने पर पद स्थापना संबंधी कार्यवाही उपलब्धता के आधार पर की जा सकेंगी ।

अनु.जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये चलाई जा रही योजना

91. **(क्र. 1937) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में विकासखंडवार वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं में कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुये, कितनों को किस योजना के तहत कितना ऋण स्वीकृत किया गया, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) अनूसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं में हितग्राहियों से प्राप्त ऐसे कितने आवेदन हैं जिनको अभी तक ऋण प्राप्त नहीं हो पाया है ? कारण बतायें ? ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनके प्रकरण बैंकों में लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ? (ग) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाएँ जो ऋण आधारित हैं क्या उनमें हितग्राहियों को समय सीमा में लाभ मिल रहा है, यदि नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

मांग संख्या 41, 52, 68, 42 एवं अनुच्छेद 275 (1) की जानकारी

92. **(क्र. 1949) श्री संजय उइके :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक परियोजना प्रशासक, विकासखण्ड अधिकारी को विधान सभा क्षेत्र विकास निधि, लोकसभा क्षेत्र निधि एवं विभागीय निर्माण कार्यों हेतु अधिकार प्रदत्त किये गये हैं ? (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक बालाघाट जिले के सहायक परियोजना प्रशासन बैहर, जनपद पंचायत बैहर, बिरसा, परसवाड़ा एवं विकासखण्ड बैहर, बिरसा, परसवाड़ा में प्रश्नांश (क) में वर्णित निधियों के कराये गये कार्यों की सूची उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।